खण्ड-460, अंक-3
बुधवार, 01 भद्रपद, शक संवत् 1928
(23 अगस्त, 2006 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2006)

खण्ड 460 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2006

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-ङ
प्रश्नोत्तर ..	1-31
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएँ ..	31-32
जनपद फतेहपुर के जहानाबाद क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों पर लेपन स्तर तक सड़कें बनवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	32-33
राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पैलानी, जनपद बांदा को उच्चीकृत करके इण्टर तक की साइंस एवं आर्ट्स कक्षायें इसी सत्र से प्रारम्भ कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	33
जनपद चित्रकूट में बुन्देलखण्ड विकास निधि जिलांश के धन से वर्ष 2003-2004 एवं 2004-2005 के वित्तीय वर्षों में उत्तर प्रदेश सहकारी निर्माण एवं विकास लि0 इलाहाबाद द्वारा हड़पे जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	33-34
जनपद सीतापुर के ग्राम सेतुही एवं मीतमऊ में घाघरा नदी के कटान से प्रभावित लोगों को दैवीय आपदा कोष से राहत दिलाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	34
लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र में पेयजल संकट का निवारण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	34-35
जनपद सोनभद्र को सूखा घोषित कर किसानों के समस्त देयों को माफ करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	35
सुल्तानपुर सदर क्षेत्रान्तर्गत डिकना ड्रेन नं0 2 की खुदाई टेल तक करवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	35
बरेली के आंवला क्षेत्रान्तर्गत अलीगंज-सिरौली क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	35-36
जनपद संत कबीर नगर में शासकीय चिकित्सीय सेवाओं की समुचित व्यवस्थायें उपलब्ध कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	36
जनपद बांदा में अन्त्योदय एवं बी0जी0एल0 कार्डों को बनाये जाने में हो रही धांधली रोकने एवं पात्र व्यक्तियों को ही उक्त कार्ड बनाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	37
वाराणसी नगर से सटे लगभग दो दर्जन गांवों के किसानों को उजाड़कर उनकी 2200 एकड़ जमीन अधिग्रहीत कर हाई टेक सिटी बनाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	37
जनपद भदोही के औराई क्षेत्रान्तर्गत अधिकांश क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	37-38

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद सीतापुर के कस्बा हरगांव को हुसैनगंज पावर हाउस से सीधे विद्युत आपूर्ति करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	38
जनपद गाजियाबाद में गढ़मुक्तेश्वर को विकसित करने हेतु वर्ष 2005-2006 में पर्यटन विभाग द्वारा कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	38
जनपद बुलन्दशहर के शिकारपुर-जहांगीराबाद वाले चौराहे का सौन्दर्यीकरण कराकर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा स्थापित कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	39
विधान सभा के वर्ष 2005 के प्रथम सत्र के प्रथम गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-90 के अस्पष्ट उत्तर के संबंध में औचित्य के प्रश्न पर मा0 अध्यक्ष द्वारा दी गयी व्यवस्था का कार्यान्वयन न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ..	39-40
प्रदेश में स्थानीय निकायों एवं नगर पंचायतों के चुनाव कराये जाने में हो रहे विलम्ब के संबंध में औचित्य का प्रश्न ..	40-42
प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में सात कि0मी0 सड़क निर्माण कराने सम्बन्धी मा0 मुख्य मंत्री की घोषणा का कार्यान्वयन अभी तक न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ..	42-43
लोक निर्माण विभाग द्वारा मानक से कम रेट पर टेण्डर स्वीकार किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ..	43
प्रक्रिया नियमावली के नियम 311 की व्याख्या किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ..	43-45
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	45-46
जनपद बुलन्दशहर के थाना अगौता में डकैतों द्वारा फौजी जसवीर के घर पर डकैती डालने एवं उनकी हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री मुंशी लाल गौतम द्वारा नियम 56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन ..	46-47
प्रदेश में भ्रष्टाचार व खाद्यान्न घोटाले से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री जगदीश नारायण राय, श्री रंगनाथ मिश्र आदि द्वारा नियम 56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य ..	47-49
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ ..	49-70
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 (पारित) ..	71-73

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अध्यादेश, 2006 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक, 2006 ..	73-88
(संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)	
प्रदेश में बढ़ते आतंकवाद और बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री लाल जी टण्डन, श्री प्रमोद कुमार, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य तथा डा0 सुशील चौधरी आदि द्वारा दी गयी सूचनाओं पर नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा (जारी) ..	88-104
आतंकवाद एवं कानून व्यवस्था पर जारी चर्चा पर समय बढ़ाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	104-105
प्रदेश में बढ़ते आतंकवाद और बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री लालजी टण्डन, श्री प्रमोद कुमार, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य तथा डा0 सुशील चौधरी आदि द्वारा दी गई सूचनाओं पर नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा ..	105-124
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	124-125
जनपद पीलीभीत के पूरनपुर विधान सभा क्षेत्र में पल्स पोलियो दिवस पर प्रशासनिक अधिकारियों के उपस्थित न होने के संबंध में डा0 विनोद तिवारी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य	126
जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी स्थित विकास खण्डों के ग्रामों में संक्रमित पेयजल से गम्भीर संक्रामक रोग पैदा हो जाने के कारण हजारों लोगों का स्वास्थ्य खराब होने के संबंध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य ..	126-127
जनपद भदोही के ज्ञानपुर तथा औराई में अग्निशमन केन्द्रों पर गाड़ी व कर्मचारी न होने के संबंध में श्री रंगनाथ मिश्र द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ..	127-128
जनपद चित्रकूट के थाना-मऊ के ग्राम-दुबारी में श्री बच्ची लाल प्रधान के साथ मार-पीट करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किये जाने के संबंध में श्री दद्दू प्रसाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ..	128-129
प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ न दिये जाने के संबंध में श्री सोबरन सिंह यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ..	129-130

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 23 अगस्त, 2006

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 335

अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर
अजय कुमार, डा0	बागपत
अजय राय, श्री	वाराणसी
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद
अताउल रहमान, श्री	बरेली
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद
अब्दुल कलाम, श्री	संत कबीर नगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां, श्री	बाराबंकी
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर
अमर सिंह परमार, श्री	आगरा
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी
अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0	जालौन
अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अलका राय, श्रीमती	गाजीपुर
अलगू प्रसाद चौहान, श्री	संत कबीर नगर,
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात
अशोक बाजपेयी, डा0	हरदोई
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थनगर
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
आर0के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0के0 सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
आलम बदी, श्री	आजमगढ़
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
आशीष यादव, श्री	बदायूं
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इन्द्रदेव सिंह, डा0	बिजनौर
उज्ज्वल रमण सिंह, श्री	इलाहाबाद
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
उमा शंकर कुशवाहा, श्री	गाजीपुर
ओइमवेश, स्वामी	बिजनौर
ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर

ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
ओम प्रकाश (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
कपिल देव यादव, श्री	मऊ
कमलेश कुमार पाठक, श्री	कानपुर देहात
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
कुतुबुद्दीन अंसारी, श्री	बिजनौर
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
खालिद अजीम उर्फ अशरफ, श्री	इलाहाबाद
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रदेव राम यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छेदी राम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश नारायण राय, श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकरनगर
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री	गोरखपुर
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ भाष्कर, श्री	संत रविदास नगर, भदोही
दुर्गा प्रसाद मिश्र	देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देव नारायण उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री	गोरखपुर
देवेन्द्र नागपाल, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री	संत कबीर नगर
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धू राम लोधी, चौधरी	हमीरपुर
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेन्द्र कुमार, श्री	गौतमबुद्ध नगर

नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नवाब सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नारद राय, श्री	बलिया
परमजीत, श्री	मुजफ्फरनगर
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पी0के0 राय, डा0	कुशीनगर
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रताप चौधरी, श्री	हाथरस
प्रदीप जैन "आदित्य", श्री	झांसी
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	चन्दौली
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
प्रेमलता देवी, श्रीमती	अलीगढ़
फसीहा बशीर, चौधरी (गजाला), श्रीमती	देवरिया
फागू, श्री	मऊ
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बाबूराम, एम0काम0, श्री	जालौन
बाबू लाल, श्री	गोण्डा
बाबू लाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री	झांसी
बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट	जालौन
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
भगवत शरन गंगवार, श्री	बरेली
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भरत सिंह, श्री	बलिया
भारतेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर
भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन सिंह उर्फ संतोष कुमार, श्री	इटावा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मलिक मसूद, श्री	आजमगढ़
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौ0, एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश त्रिवेदी, श्री	कानपुर देहात
महेश नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मान पाल सिंह, श्री	एटा
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मुकुट बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मुकुल उपाध्याय, श्री	अलीगढ़
मुलायम सिंह यादव, श्री	बदायूं
मुंशी लाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर	बिजनौर
मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री	लखनऊ
मोहम्मद बशीर, चौधरी	आगरा
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद शफीर, श्री	फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी

यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
याकूब, हाजी	मेरठ
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रंगनाथ मिश्र, श्री	संत रविदास नगर, भदोही
रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, श्री	प्रतापगढ़
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रवीन्द्र पुण्डीर, प्रो0	मेरठ
राकेश कुमार वर्मा, श्री	बाराबंकी
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजनाथ यादव, श्री	वाराणसी
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजवीर सिंह, श्री	बुलंदशहर
राजीव कुमार सिह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राजेश कुमार, श्री	खीरी
राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर
राबिया कलाम, श्रीमती	वाराणसी
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	चंदौली
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
राम चन्द्र यादव, श्री	फैजाबाद
रामपाल यादव, श्री	सीतापुर
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम भुआल निषाद, श्री	गोरखपुर
राम मगन, श्री	बाराबंकी
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री	इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री	बदायूं
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विवेक बंसल, श्री	अलीगढ़
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना" श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार	बरेली

वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वीरेंद्र सिंह, श्री	वाराणसी
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदासनगर, भदोही
शब्बीर, श्री	बहराइच
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा
श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम नारायन, श्री	महराजगंज
श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रद्धा यादव, श्रीमती	जौनपुर
श्रीराम भारती, श्री	मिर्जापुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्तो देवी, श्रीमती	सहारनपुर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सन्ध्या कटेरिया, कु0	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
सियाराम सागर, डा0	बरेली
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री	वाराणसी
हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

नोट :—औद्योगिक विकास मंत्री (श्री ख्वाजा हलीम), प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन एवं राज्य सम्पत्ति राज्य मंत्री (श्री बनवारी सिंह यादव), उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा) तथा बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री अजीत कुमार राजू) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित

नगरपालिका एवं महापालिकाओं के चुनाव कराने की मांग

**1--श्री जगदम्बिका पाल--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा नगरपालिका एवं महापालिकाओं के चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो कब तक ? उक्त चुनावों की तिथि घोषित कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

जी हां,

निर्वाचन की समय-सारणी पर विचार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगदम्बिका पाल--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद स्थानीय निकाय के चुनाव....

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं केवल यह अर्ज कर दूं कि गत दिनों चुनाव न होने की वजह से इलाहाबाद में 5 पार्षदों द्वारा 5 रिट याचिकाएं प्रस्तुत की थीं और इसी वजह से चुनाव नहीं हुए। लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया और सारी डेट्स निकल चुकी थीं। तब ही चुनाव हो गये होते, सरकार की तो मंशा थी चुनाव कराने की और आज भी सरकार की मंशा यही है कि चुनाव हो जायं। मैं कहना चाहता हूं कि बजाय इसके कि इस पर बहस हो आपके कक्ष में एक बैठक हो जाय और सबकी सहमति से आज ही चुनाव की तारीख तय कर लें।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है। पाल जी सहमत हैं इससे।

श्री जगदम्बिका पाल--

ठीक है, आप कह रहे हैं तो सभी दल के नेता बैठकर चुनाव की तारीख तय कर लेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मैं संजीदगी से चाहता हूं कि चुनाव हो जायं क्योंकि यह चुनाव खुद में बहुत कुछ तय करेगा। इसीलिये चाहते हैं कि आज ही बैठक करके चुनाव की तारीख तय कर लें।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, आज नेताओं की बैठक है।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, यह अच्छा है। जो यहां तय नहीं हो पाया वह आपके कक्ष में पहुंच गया। यह अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। जिन समस्याओं का समाधान यहां नहीं हो पाता एक समानान्तर कक्ष आपका हो गया जहां बैठकर उसका हल निकाल लिया जायेगा। यह एक अच्छी परिपाटी है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

कल जब किसी बात के लिये अध्यक्ष जी के कक्ष में बैठक की बात तय हुई थी तो उस समय आप कुछ नहीं बोले थे। कौन सा मसला था, जिस पर बड़ी जल्दी तैयार हो गये थे ? उस वक्त तो कुछ नहीं बोले थे। आपने ऐतराज नहीं किया था क्योंकि वह पाल जी का प्रश्न नहीं था, आपके दल का था। तब ही तो अध्यक्ष जी के कक्ष में जाने के लिये खुशी से तैयार हो गये थे जिसकी आज बैठक है अध्यक्ष जी के कक्ष में।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है चलिये तय हो गया है।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को खाद्यान्न देने की निर्धारित नीति

*1--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को खाद्यान्न देने की शासन द्वारा कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया)--

जी हां।

प्रदेश में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को कुल 35 किग्रा0 खाद्यान्न दिया जाता है, जिसमें प्रदेश के 09 मण्डलों यथा-फैजाबाद, देवीपाटन, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती एवं लखनऊ में 10 किग्रा0 गेहूं तथा 25 किग्रा0 चावल तथा शेष 08 मण्डलों यथा-आगरा, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ, कानपुर, झांसी एवं चित्रकूटधाम में 15 किग्रा0 गेहूं तथा 20 किग्रा0 चावल क्रमशः रु0 2.00 प्रति किग्रा0 एवं रु0 3.00 प्रति किग्रा0 की दर से दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम इकबाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह योजना बहुत क्रान्तिकारी योजना है लेकिन इस योजना का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। (सत्ता पक्ष से किसी माननीय सदस्य के बोलने पर व्यवधान) मान्यवर, गोण्डा ही नहीं अनेकों जिलों में नही हो रहा है। आपके यहां हो रहा है, तो आप बधाई के पात्र हैं कि आप इसको अपने यहां करा ले रहे हैं। यह अंतिम आदमी का हक है और उस तक इस हक को पहुंचाना किसी भी कल्याणकारी राज्य के लिये आवश्यक है। मान्यवर, यह खाद्यान्न जो अंतिम इकाई का है। दो-दो सौ रुपये में बी0डी0ओ0 कार्यालय में बेचा

गया है। जो पात्र व्यक्ति हैं उन तक लाल कार्ड नहीं पहुंच पा रहे हैं मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं लेकिन जो इसका पात्र व्यक्ति है उस तक कार्ड नहीं पहुंच रहा है। पात्र व्यक्ति को नहीं पता कि मैं पात्र हूं और खाद्यान्न कोटेदार के यहां से ही बाहर चला जाता है। यह खाद्यान्न विदेशों तक भी गया है। श्रीमन्, इसके अभाव में मौतें हुई हैं। अगर माननीय मंत्री जी को आवश्यक होगा तो मैं भूख से हुई मौतों का डेटवाइज विवरण अपने जिले का दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न पूछिये।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अन्त्योदय कार्ड बनाने की प्रक्रिया क्या है ? अन्त्योदय कार्ड की अंतिम सूची जारी होने के पहले विधायकों की सहमति क्या उसमें ली जायेगी ? विगत मार्च के बाद मेरे विधान सभा क्षेत्र में अन्त्योदय कार्ड और अन्नपूर्णा का वितरण नहीं हुआ है यह वितरण लैप्स हो गया है। इसके वितरण न होने के क्या कारण हैं ? मैं जानना चाहूंगा कि जो दोषी लोग हैं। जिन्होंने इसको गरीबों तक नहीं पहुंचने दिया है उनके खिलाफ कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ?

कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया--

श्रीमन् केन्द्र सरकार द्वारा संख्या निर्धारित कर दी गई है। प्रदेश में कितने बी0पी0एल0 कार्ड बनेंगे। लगभग 106.79 बी0पी0एल0 प्रदेश में हैं जिसमें 40 प्रतिशत अन्त्योदय कार्ड दिये जाते हैं। 40.945 के लगभग अन्त्योदय कार्ड पूरे प्रदेश में हैं। इनको देने का मापदण्ड यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों की वार्षिक आय गरीबी रेखा से नीचे है रु0 19884.00 से कम है ऐसे लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे रखा जाता है। संख्या केन्द्र से सीमित है। मैंने व्यक्तिगत रूप से मा0 केन्द्रीय खाद्य मंत्री जी से मिलकर और पत्र के माध्यम से इस संख्या को बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। हमें आशा है कि शीघ्र कार्ड बढ़ाये जायेंगे। जब तक नहीं बढ़ाये जाते हैं तब तक पूरे प्रदेश में इसी सीमा के अन्दर कार्ड वितरण करायेंगे। बलिया जनपद का मेरे पास पूरा आंकड़ा है अगर कोई वितरण की समस्या आपके विधान सभा क्षेत्र में है तो विधायक जी शिकायत करेंगे तो उसमें कड़ी जांच करायेंगे। यदि कहीं वितरण नहीं हुआ है तो जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। ऐसी किसी शिकायत का संज्ञान बलिया जनपद से हमारे कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री लालजी वर्मा--

राशन कार्ड के वितरण के बारे में किस तरह से पात्र व्यक्तियों को मिलना चाहिए। इसमें राम इकबाल जी ने प्रश्न उठाया। अन्त्योदय कार्ड के संबंध में जो आज की परिस्थिति है उसमें प्रधान की भूमिका रहती है जिसमें राजनीतिक प्रतिद्विन्दता के कारण बी0पी0एल0 अन्त्योदय कार्ड जो संख्या सीमित है इसके अन्तर्गत नहीं मिल पा रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा, इकबाल जी ने सुझाव दिया कि विधायक रहे लेकिन मैं उनसे सहमत नहीं हूं जिस तरह से प्रधान के कारण समस्या है उसी तरह से विधायक रहेंगे तो बड़ी समस्या हो जायेगी। माननीय मंत्री जी क्या कोई ऐसी व्यवस्था बनाने की कृपा करेंगे जिससे जो सीमित साधन हैं उसके अनुसार सीमित संख्या में कार्ड हैं वह पात्रता की जो सीमा है उसमें जो सबसे अधिक पात्र हैं उसको मिल सके। इसमें व्यवस्था बनाने की कृपा करेंगे ?

कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया--

लालजी वर्मा जी ने कहा, तो यही व्यवस्था लागू है। मैं अपनी बात दोहराना चाहता हूं कि संख्या सीमित होने के कारण सभी पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध कराना संभव नहीं है। किसी अपात्र व्यक्ति को यदि कार्ड मिल रहा है तो जांच करायेंगे इस कार्ड को निरस्त कराने की कार्यवाही की जाएगी। माननीय विधायक कार्ड वितरण, कार्ड का निर्धारण करें यह हितकर नहीं होगा इससे व्यवस्था में सुधार की संभावना नहीं है।

श्री लालजी वर्मा--

मान्यवर, पात्रता में जो लोग आयें, इसमें जो आय की सीमा निर्धारित है, 19884 रुपये, उसमें सबसे नीचे स्तर के लोगों को सबसे पहले यह कार्ड दिये जायें। ऐसी कोई व्यवस्था माननीय मंत्री जी करायेंगे ?

कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया--

मान्यवर, यही व्यवस्था लागू है, अगर कहीं इसका उल्लंघन हुआ है तो आप बता दें ?

श्री सुखदेव राजभर--

मान्यवर, मंत्री जी जो व्यवस्था बता रहे हैं, पूरे प्रदेश में कार्डों के बनाने और वितरण में जो हो रहा है, उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। आज हम लोगों ने एक सूचना भी नियम 56 में लगायी है। इसीलिए मंत्री जी से अनुरोध है और जैसा उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार से सीमित संख्या में कार्ड उपलब्ध हुए हैं और उसी आधार पर वितरण तय करना है। क्या कोई ऐसा आदेश आ गया है जिससे पूरे प्रदेश में कार्डों का नवीनीकरण हो रहा है ? उस नवीनीकरण के नाम पर पहले जिन लोगों को पात्रता के आधार पर कार्ड बने होंगे, प्रिजुडिस होकर उनके नाम हटाये जा रहे हैं। क्या नवीनीकरण की कोई योजना बनी है या निर्देश गए हैं, यदि कोई ऐसा कार्यक्रम चल रहा है तो जो पहले वाले पात्र व्यक्ति हैं, उनको नवीनीकरण में शामिल करेंगे ? साथ ही साथ निश्चित तौर पर इस संबंध में आपका पत्र जाना चाहिए, निर्देश जाने चाहिए ताकि इसमें कड़ाई हो। आज सेक्रेटरी से लेकर प्रधान तक, ऐसे-ऐसे लोगों को कार्ड बना रहे हैं, जो पात्र नहीं हैं, आप कहते हैं कि स्पेशिफिक कोई केस दे दीजिये, लेकिन ऐसे-ऐसे लोगों को जो आय की सीमा निर्धारित की गई है, उनकी उससे बहुत ज्यादा आय है लेकिन उनकी अन्त्योदय कार्ड मिले हैं। बी0पी0एल0 कार्ड ऐसे लोगों को दिए गए हैं जिनको अनाज की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे अपात्र व्यक्तियों को जिन्हें बी0पी0एल0 का कार्ड दिया गया है, वह अनाज उठा नहीं रहे हैं और वह सीधे बनियों के यहां जा रहा है। इस स्थिति को सुधारने के लिए जो नए कार्ड बनवा रहे हैं, आप पात्र व्यक्तियों को ही पात्रता सूची में लें और साथ ही साथ जिन अपात्र व्यक्तियों को कार्ड बन गये हैं, उनकी जांच कराकर उन्हें निरस्त कराने की व्यवस्था क्या मंत्री जी करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो मंत्री जी पहले ही कह चुके हैं।

कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया--

पुराने कार्ड जितने बने हैं, कई फट गये हैं, इसलिए नए कार्ड बनवाने का निर्णय शासन के द्वारा लिया गया। यह सही है कि यह कोई आधार नहीं बनाया गया है कि जो जिनके पहले बने हैं,

उन्हीं को दोबारा दिया जाय, यह कोई आधार नहीं है। 5 वर्ष में कई लोग ऐसे हैं, जिनकी स्थिति सुधर गई है और भी लोगों को आवश्यकता है। जैसा राजभर जी ने कहा कि शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि जिस पात्र व्यक्ति का बनना चाहिए; उसका न बनकर अपात्र का बन रहा है। आज ही मैं पूरे प्रदेश में कहलवा दूंगा कि इसकी जांच करके जो भी अधिकारी इसके लिए दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्यवाई की जाए और ऐसी किसी अनियमितता को रोकने के लिए सरकार पूरी गम्भीरता से प्रयास करेगी।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

पाल साहब, बहुत सी बातें आ गयी हैं।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, मंत्री जी ने स्वीकार किया कि वह सभी पात्र व्यक्तियों को बी0पी0एल0 का कार्ड निर्गत नहीं कर पा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जो आय की सीमा निर्धारित है, गरीबी रेखा के नीचे, बिलो पवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले ग्रामीण व्यक्तियों की 19884 रुपये और शहरी क्षेत्र के लिए 25546 रुपये, तो क्या राज्य सरकार द्वारा जिस तरह से अन्य मामलों में, जैसे कई योजनाओं में उन्होंने बजट की व्यवस्था की है....

मान्यवर, कल ही कहा गया कि गरीबों को 250 करोड़ रुपये की साड़ियों का वितरण किया जाएगा। जो बी0पी0एल0 के लोग हैं उनके कार्ड के लिए केन्द्र से धनराशि मिलती है तो क्या राज्य सरकार अपने संसाधनों से विचार करेगी कि वह अपने स्तर पर अन्त्योदय कार्ड जारी करे। मान्यवर, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जहां शिकायत होगी वहां पर जांच करायेंगे तो मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक माननीय मंत्री जी को कितनी शिकायतें प्राप्त हुयी हैं और उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया--

मान्यवर, बी0पी0एल0 कार्ड बनाने में जो भी शिकायतें मिल रही है उसमें हम जांच करवा रहे हैं। इस समय मैं इन शिकायतों की गिनती बताने में असमर्थ हूं। मान्यवर, बी0पी0एल0 और अन्त्योदय केन्द्र संचालित योजना है राज्य सरकार इसमें कोई अंशदान करने की स्थिति में नहीं है। मान्यवर, बेहतर होगा कि आप निर्देशित कर दें कि मैं और पाल साहब भी हमारे साथ चलें और केन्द्र सरकार से अनुरोध करें कि वह बी0पी0एल0 और अन्त्योदय का कोटा बढ़ा दें। मुझे विश्वास है कि पाल साहब जैसा बड़ा नेता मेरे साथ अनुरोध करेगा तो कुछ न कुछ परिणाम अवश्य निकलेगा।

श्री सुखदेव राजभर--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मूल प्रश्न के उत्तर में बताया कि लगभग 40 लाख लोगों को अन्त्योदय कार्ड के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण हो रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश में यह किस आधार पर बांटा गया है ?

कुंवर भारतेन्द्र सिंह--

मान्यवर, इसमें यह भी आ जाये कि ब्लाकों में किस आधार पर बांटा जा रहा है। प्रत्येक ब्लाक का कोटा कितना है और आपको जो 40 लाख कार्ड मिले हैं उसे जिले में बांटने का आधार क्या है ? अगर इसकी जानकारी मिल जाये तो उचित होगा।

श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया --

मान्यवर, हर ब्लाक का, प्रत्येक जिले का कोटा बना है। अगर कहीं पर गलत बना है तो शिकायत आने पर कार्यवाही होती है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो 40 लाख कार्ड हैं उसे जिले में किस आधार पर बांटा गया है ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया--

मान्यवर, कार्ड की संख्या और किस जिले में कितने बी0पी0एल0 के पात्र लोग हैं यह दोनों चीजें केन्द्र से निर्धारित होती हैं। लेकिन माननीय सदस्य ने जो सूचना मांगी है वह हम भिजवा देंगे।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में कितने बी0पी0एल0 अन्त्योदय योजना के कार्ड धारक हैं इसकी सूचना मुझे मिल जाये। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में तीन ब्लाक हैं, नगला, चिलकहर और बंथरा डी0 एम0 खुले आम गाली देता है और यह डी0एम0 का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। माननीय मंत्री जी व्यंगात्मक हंसी हस रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह सवाल इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री राम इकबाल सिंह--

यह इससे सम्बन्धित है। कौन गालियां दे रहा है इसकी सूचना मंगायें ?

बी0डी0ओ0 हमारे क्षेत्र के हैं जिन्होंने कार्ड को ब्लैक किया है कोटेदार के माध्यम से। तो क्या मा0 मंत्री जी इसकी उच्च स्तरीय समयबद्ध जांच कराकर दण्डित करेंगे ?

कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया--

जांच और दण्डित का प्रश्न तब उठता है जब शिकायत प्राप्त हो। मुझे ऐसे कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। आप खाद्य सलाहकार समिति के सदस्य हैं, जब वह बैठक होती है तो उसमें आप उपस्थित नहीं होते हैं। आपके जनपद की पूरी सूची मेरे पास है मैं आपको अभी दे दूंगा। इसमें पूरा विवरण है आप देख लीजियेगा। भारतेन्द्र जी ने जो कहा है, तो क्षेत्र में जब हम लोग जाते हैं तो वहां पर बी0पी0एल0 और अन्त्योदय कार्डों की मांग होती रहती है। बहुत से अपात्र लोगों को भी दे दिया जाता है। यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पमप की मांग लगातार रहती है उसी तरह से बी0पी0एल0 और अन्त्योदव कार्डों की मांग रहती है। जनता कभी संतुष्ट नहीं होती है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

अब मैं दूसरा प्रश्न ले रहा हूं।

श्री सुखदेव राजभर--

मान्यवर, मैं यह चाहता हूं कि इस तरह की व्यंग्यात्मक हंसी पर रोक लगायी जाय।

कन्या भ्रूण हत्या पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कार्य योजना

*2--श्री श्याम देव राय चौधरी--

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कन्या भ्रूण हत्या पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या उसे प्रभावी रूप से लागू की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 प्रख्यापित किया गया है, जो 01 जनवरी, 1996 से जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर इस प्रदेश सहित सम्पूर्ण देश में लागू है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी--

मान्यवर, मेरा प्रश्न गम्भीर और महत्वपूर्ण है। मैंने माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहा था कि क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि कन्या भ्रूण हत्या पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है, इसका उत्तर आया "जी नहीं"। दूसरा मैंने पूछा कि यदि हां, तो क्या उसे प्रभावी रूप से लागू की जा रही है, इसका उत्तर आया "प्रश्न नहीं उठता"। फिर मैंने उनसे पूछा था कि यदि नहीं, तो क्यों, तो उसका उत्तर आया कि भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 प्रख्यापित किया गया है, जो 01 जनवरी, 1996 से जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर इस प्रदेश सहित सम्पूर्ण देश में लागू है। तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इतने गम्भीर प्रश्न और ज्वलंत प्रश्न जो पुरुष और स्त्री के अनुपात को बिगाड़ रहा है और यह कार्य जो भी एजेंसी कर रही है, जो लोग इसमें लिप्त हैं वह कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि अन्त में जो आपने में उत्तर में लिखा है कि "प्रख्यापित है", तो क्या इसको लागू करने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की नहीं है ? यदि हां, तो इस दिशा में सरकार क्या कार्य कर रही है ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, यह प्रश्न गम्भीर है इसलिए हर सत्र में यह आता है और इस पर बहस होती है। आपको याद होगा कि गत सत्र में काफी लम्बी इस पर बहस हुई थी और यह बताया था कि महिलाओं की तादाद अच्छी खासी घटी है और उनका अनुपात नौ सौ बयालीस एक हजार में है। कुछ प्रदेशों को छोड़कर अधिकतर प्रदेशों में तादाद घटी है। इसके दो तरीके हैं--

एक कानून और कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना और दूसरा खुद समाज को इस बात के लिए तैयार होना कि वह ऐसा दरिन्दगी का काम नहीं करेंगे। कानून तीन महीने से छः महीने सजा का भी है और 50 हजार रुपये से एक लाख रुपये का जुर्माना भी है जुर्म साबित हो जाने पर। जुर्म साबित करने के लिए एक तरीका है, रिपोर्ट लॉज होगी, जांच होगी, इसमें यह भी सख्ती की गयी है मान्यवर, इसमें 15 दिन के अन्दर जांच मुक्कमल हो जानी चाहिए, लेकिन तजुरबे से देखने को यह भी मिला है कि इस तरह का पाप पढ़े-लिखे समाज में और जो अपने आपको अच्छा कहते हैं, पैसे वाला, कोठी वाला जो ऐसे खर्चे को बरदाश्त कर सकते हैं उनमें यह जुर्म करने की आदत ज्यादा है बनिस्बत उस आदमी के जो गांव, देहात में रहता है, गरीब आदमी होता है वहां तकरीबन नहीं के बराबर है यह जुर्म और बड़े शहरों में यह जुर्म ज्यादा है इसलिए इसमें कानून से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि लोगों को एहसास दिलाया जाय और इसके लिए कोशिश की जाती है और उसके लिए विज्ञापन निकाले जाते हैं, लोगों को बताया जाता है, समझाया जाता है और सरकार अपने तौर पर इस काम को पहले से भी कर रही है और जो नहीं इसीलिए कहा है, कृपया बतायेंगे कि कन्या भ्रूण हत्या के प्रभावी नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गई है, मान्यवर, जब पहले से यह योजना है और उस पर बराबर से काम चल रहा है तो अलग से योजना नहीं बनाई गयी है उसी पर काम हो रहा है।

श्री अध्यक्ष--

उत्तर पूरा आ जाने दीजिए।

श्री मोहम्मद आजम खां--

ठीक है, मान्यवर, मैं बैठ जाता हूं।

श्री अध्यक्ष--

अब आप प्रश्न पूछें।

श्री मोहम्मद आजम खां--

आपने पूछा मैंने पूछा बात एक ही है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय चौधरी साहब आप प्रश्न पूछिये।

श्री श्यामदेव राय चौधरी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न किया था, यह तो ठीक है कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह भी इससे इत्तेफाक रखते हैं। प्रश्न गम्भीर है, अनुपात भी बिगड़ रहा है और एक हजार में 942 है और वह भी जानते हैं उन्होंने निन्दा भी की लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस निन्दनीय कार्य के होने का कारण एक तो है जन जागरण, सो ठीक कहा लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि जो कानून प्रख्यापित किया गया है उसकी अवहेलना करके जो संस्थायें, जो डाक्टर्स इस काम में लिप्त हैं और भ्रूण हत्या को प्रोत्साहित कर रहे हैं उसमें सहयोग कर रहे हैं और सिर्फ धन अर्जित करने के लिए। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि इस दिशा में प्रदेश सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? कितने लोगों को दण्डित किया गया है ? कितने लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है ? यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, 10 मुकदमें कायम किये गये हैं, जिसमें सहारनपुर में तीन, आगरा में तीन और अलग से मेरठ में चार। यह मान्यवर, मैं चाहूंगा कि चौधरी साहब से बड़ा सहयोग मिल सकता है इस मामले में और उनको जानकारी भी ज्यादा है और जाहिर है जब प्रश्न किया है तो यह भी जानकारी भी होगी कि फला जगह ऐसा होता है। सरकार को जहां-जहां मालूम होता है, सरकार अपने तौर पर कार्यवाही करती है, इस संबंध में जब भी कोई शिकायत आती है तो उस पर जांच भी होती है और मुकदमा भी कायम होता है लेकिन जितनी जिज्ञासा चौधरी साहब की है, जितनी मालूमात है, अब हुकुम सिंह जी वाला प्रश्न मत कीजिएगा, आप अपने बुद्धि से कीजिएगा आप में कोई कमी नहीं है उसकी, अगर कोई ऐसी सूचना आपकी है, जाहिर है बनारस बड़ा शहर है और बनारस में ऐसा कुछ हो सकता है, अगर आपसे जानकारी मिले तो यकीनन उसमें कार्यवाही की जायेगी।

श्री श्यामदेव राय चौधरी--

महोदय, माननीय मंत्री जी, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत योग्य है, बहुत जानकारी है और बात को किस ढंग से घुमाया जाय और किस तरह से दूसरे के पाले में डाल दिया जाय इसमें सिद्ध हस्त हैं, मैं नहीं हूं, मैं अभी सीख रहा हूं। मैं आपके माध्यम से पुनः इस गम्भीर विषय पर बहुत गम्भीरता से आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि विषय की गम्भीरता को देखते हुए अब बनारस क्या आपने खुद कहा कि बड़े शहरों के बड़े लोग इसमें ज्यादा इन्ट्रेस्टेड हैं, रुचि लेते हैं, आपे छोटे शहरों को इससे वंचित नहीं किया और यह जो 76-77 जिले हैं पूरे उत्तर प्रदेश में उसको देखते हुए और वहां पर यह जो अल्ट्रा सोनिक और अल्ट्रा साउण्ड जिन-जिन माध्यमों से उनका लिंग परीक्षण होता है, वह कार्य कर रहे हैं और जो लोगों की पैसों की भूख है उसको देखते हुए सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। बनारस उसका अपवाद नहीं है तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सरकार इसको गम्भीरता से ले और जितने जिले हैं उन सारे जिलों में इसका परीक्षण कराये और इसको गम्भीरता से ले कर के जहां यह कार्य हो रहा है उनको हतोत्साहित करने का कार्य करें और उन पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कार्यवाही करें।

श्री मोहम्मद आजम खां--

बिल्कुल मान्यवर, सहमत हैं।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैं छोटे बड़े शहरों की बात नहीं करता, रामपुर में क्यों नहीं है यह सबको मालूम है। मान्यवर, यह भ्रूण हत्यायें इसलिये हो रही हैं कि जो एक मोह है कि बेटा होना चाहिए इसलिए अगर यह पता लग जाता है कि गर्भ में कन्या है तो उसकी हत्या हो जाती है। जहां यह बात नहीं होती है वहां बच्चों की संख्या बढ़ती चली जाती है और फिर जिससे देश की आबादी बढ़ती चली जाती है। मान्यवर, मेरा एक रचनात्मक सुझाव है कि एक तो जब तक सरकार की ओर से आन्दोलन होना तो अलग है, जनता का आन्दोलन नहीं होगा लोग इस बात को महसूस नहीं करेंगे और तब तक जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हो सकता है। मेरा सुझाव है कि लोगों को प्रेरित करने के लिए कुछ न कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जिससे लोग प्रेरित हों। क्या माननीय संसदीय कार्य

मंत्री जी सदन को इस बात का आश्वासन देंगे कि जिनके दो से अधिक बच्चे हों, जिन मंत्रियों के हों वह मंत्री पद पर नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न से संबंधित नहीं है। यह भ्रूण हत्या से संबंधित मामला है।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, अगर आपको खतरा हो तो अध्यक्ष पद को इससे अलग कर दिया जाये, अध्यक्ष पद इस परिभाषा से निकाल दिया जाये।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न भ्रूण हत्या का है।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, यह सीधा जुड़ा प्रश्न इसलिए है कि लोग ज्यादा बच्चे इसलिए ज्यादा पैदा करते हैं कि उनके यहां बेटा हो। मान्यवर, पंजाब, हरियाणा की स्थिति इसी कारण बिगड़ी हुई है। वहां का रेशियो इतना बिगड़ गया है कि वहां पर एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गयी है। इसी चक्कर में लोग 5-5, 6-6 और 10-11 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो क्या इस पर सरकार कोई विचार करेगी ? मान्यवर, इसमें थोड़ा सा त्याग और बलिदान की बात है जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं वह मंत्री पद पर नहीं रहें तो इसमें क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मुझे तो कम से कम इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा। आपका अच्छा सुझाव है कि कोई न कोई प्रोत्साहन हो। इस पर भारत सरकार में विचार चल रहा है और उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा विचार ही नहीं किया जा रहा बल्कि काम भी चल रहा है। मान्यवर, आप देखें कि सरकार ने एक निर्णय लिया कि जो 12वीं कक्षा पास लड़कियां हैं उनको सरकार 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दे रही है। यह इसी तरह का निर्णय है कि बाप पर बेटी बोझ न बन सके। (सत्तापक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

यह एक ऐसा एतिहासिक निर्णय है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। मान्यवर, हमेशा यहां यही रोना रहता था कि खजाना खाली है हम भूखे नंगे हैं तो पब्लिक समझती थी कि जब मुख्य मंत्री ही नंगा भूखा है और जिसके हाथ में कटोरा और प्याला है वह हमें क्या देगा ? लेकिन उत्तर प्रदेश में जब भी मुलायम सिंह यादव जो मुख्य मंत्री बने हैं उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारे हाथ में कटोरा है बल्कि कहा कि जो खजाना है उससे हम जनता की सेवा करेंगे। यह जो बेरोजगारी भत्ता है या लड़कियों का 20 हजार रुपये की सहायता है मान्यवर, यह भी एक तरीका है प्रोत्साहन देने का।

जनपद बरेली, लखनऊ, रामपुर तथा गोरखपुर के अस्पतालों से निकलने वाले कचरे के निपटारे हेतु आवश्यक कार्यवाही

*3--डा0 सुशील चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली, लखनऊ, रामपुर तथा गोरखपुर में अस्पतालों से निकलने वाले कचरे का निपटारा न होने से संक्रमण रोगों के फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उसकी रोकथाम के लिए क्या कोई कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

जी नहीं।

प्रश्नगत जनपदों में बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

डा0 सुशील चौधरी--

माननीय अध्यक्ष जी, अस्पतालों से निकलने वाले कचरे के बारे में माननीय मंत्री जी ने आपके सामने कहा कि प्रश्न नहीं उठता और आप और हम रोजाना देखते हैं कि इससे संक्रमण बढ़ रहा है तो इसके निस्तारण के लिए योजना होनी चाहिए। मेरा मंत्री जी से आपके माध्यम से फिर यह अनुरोध है कि अस्पतालों से निकलने वाले कचरे के निस्तारण की व्यवस्था सरकार द्वारा होनी चाहिए ताकि संक्रमण न फैले तो यह मैं आपके माध्यम से दोबारा पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इसके बारे में कोई योजना बना रही है ?

श्री अम्बिका चौधरी--

श्रीमन्, मैंने जो 'जी नहीं' कहा उसमें यह नहीं कहा कि कोई कार्य योजना नहीं है या कार्य योजना पर काम नहीं हो रहा है। मैंने यह कहा कि जो आपकी आशंका है कि इससे संक्रमण रोगों के फैलने का खतरा बड़ा भारी हो गया है इसमें 'जी नहीं' कहा है। इंतजाम करने की जो बात कही है इसमें जो कचरा है अस्पतालों का बायो मेडिकल वेस्ट के निपटारे का, जो इससे जुड़ी कार्ययोजना है इसमें 'जी नहीं' नहीं कहा है। आप उत्तर देख लें जो मैंने पढ़ा है। मान्यवर, इसकी समुचित व्यवस्था हो रही है। जो प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, 1986 के अनुरूप 1998 में बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट एण्ड हाइजिनिंग रूल्स बने और उस नियमावली का पूरी तरह से अनुपालन करते हुए उत्तर प्रदेश में सारी व्यवस्था ऐसे की जा रही है। न सिर्फ जिन जनपदों में आपने पूछा है, आपने 5-6 जनपदों का पूछा है मैं उनकी व्यवस्था के बारे में अलग से बता दूंगा। इसके अतिरिक्त पूरी कार्ययोजना है कि पूरे प्रदेश में जितने भी अस्पताल हैं उन सभी अस्पतालों से निकलने वाले जितने भी तरह के कचरे हैं, 10 कटैगरीज बनाई गयी है, ऐक्ट में प्राविधान है। अस्पताल जो हैं उसमें 10 तरह के कचरे हैं। कचरे में मानव शरीर भी हैं, दवाइयों का वेस्ट है, पट्टी है, सर्जिकल प्लेट भी है, जो ग्लूकोज की बाटिल होती है, प्लास्टिक की बाटिल होती है, सभी तरह का है, मैं उस पर नहीं आ रहा हूं लेकिन सभी तरह के कचरे का निस्तारण कैसे किया जा सकता है, इसकी पूरी व्यवस्था है, न सिर्फ इन 6 जगहों पर बल्कि पूरे प्रदेश में इसकी व्यवस्था है।

श्री जगदम्बिका पाल--

अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी राजस्व मंत्री कम शायर ज्यादा हैं क्योंकि वह अपने शब्दों के जाल से जिस तरह से प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आप देखते हैं कि उसके सार में और उसके भावार्थ में कुछ निकलता नहीं है। माननीय सदस्य ने स्पष्ट तौर पर पूछा है एक तो कुछ जनपदों का उन्होंने नाम दिया है कि उन जनपदों से कचरे के निपटारे की क्या व्यवस्था सरकार ने की है और उससे क्या संक्रामक रोग फैल रहे हैं ? मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया है कि प्रश्नगत जनपदों में बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है। मान्यवर, इन्होंने उल्लेख भी किया कि जो प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1986 लागू हुआ उसके अन्तर्गत हम जनपदों के अस्पतालों में जो कचरे हैं उनके वेस्ट के निस्तारण की कार्यवाही कर रहे हैं। लगभग 20 वर्ष हो गये, 20 वर्षों से इन अस्पतालों से चाहे प्रश्नगत जनपद हों या अन्य जनपद हों, आज भी आपने देखा है कि अभी तक जो अस्पताल से निकले हुए कचरे हों, चाहे बाटिल हो या डिस्पोजेबिल सीरिंज हो, गाज हो, पट्टी हो, गन्दगी का अम्बार रहता है। उसके निस्तारण की अभी तक कोई समुचित व्यवस्था अस्पतालों से नहीं हो पाई है तो इन 20 वर्षों में सरकार द्वारा जो कार्ययोजना बनी है उसमें क्या कार्यवाही हो रही है, हम यह जानना चाहते हैं ? कार्ययोजना तो ठीक है अधिनियम बन गया उसके बाद आपने कहा कि हमने कटैगराइज कर दिया है और उसके निस्तारण के लिए कार्यवाही कर रहे हैं। यह प्रदेश की एक बड़ी समस्या है चाहे डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल हो या छोटे अस्पताल हों उसमें एक बहुत बड़ी समस्या है। वह सिरिंज जो फेकी हुई है उससे एड्स जैसे रोग भी हो जाते हैं। क्योंकि झोलाछाप डाक्टर उसका फिर से उपयोग कर लेते हैं तो मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि कौन सी कार्ययोजना बनाई गयी है और उसके अन्दर क्या-क्या कार्यवाही कर रहे हैं उसके अन्दर क्या-क्या प्राविधान हैं ?

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, माननीय पाल साहब का प्रश्न बिल्कुल ठीक है विस्तार से बताना हो तो मैं विस्तार से बता देता हूं। ऐक्ट और रूल्स की चर्चा आ गयी यह सबसे पहले 2 इन्सिनरेटर की स्थापना प्रदेश में हुई जो सरकारी अस्पतालों में हुई और सरकारी व्यवस्था में उर्सला अस्पताल कानपुर और बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ में इन्सिनरैटर की स्थापना हुई जिसमें इसको जला दिया जाता है पूरी तरह से।

यह व्यवस्था चल रही है। उसके बाद निजी क्षेत्र में वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, मेरठ और बरेली में नगरीय क्षेत्रों में नगर निगमों से जमीन लेकर निजी क्षेत्रों को दिया गया, जिसमें इन 6 जिलों का जिनका मैंने जिक्र किया है, में इन्सिनरेटर की व्यवस्था की गयी है। इनके अतिरिक्त 10 और स्थानों का चयन भी हुआ है, इनका केवल चयन ही नहीं हुआ है, बल्कि सारी प्रक्रिया करके आर्डर भी प्लेस कर दिया गया है। आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, गोण्डा, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, फैजाबाद और झांसी, इन 10 केन्द्रों में यह पूरी तरह से सी0टी0एफ0 का इंतजाम करके सिर्फ इन्सिनरेटर ही नहीं बल्कि 3 तरह की व्यवस्थायें भी उसमें हैं। कामन ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी के नाम से यह व्यवस्था कर दी गयी है। इन 10 केन्द्रों पर 150 किमी0 तक के क्षेत्रों को कवर करते हुये 10 हजार शैय्याओं तक के अस्पताल, चाहे वह 300, 200, 50 कितनी भी शैय्या

के हों, तक के अस्पताल, जो 150 किमी0 की दूरी तक आयेंगे, इन सबके वेस्ट को ठीक से निस्तारण किया जा सके, इस ऐक्ट के प्रावधानों के अनुरूप करने की व्यवस्था कर दी गयी है। इन 10 जगहों पर काम चल रहा है और जल्दी से जल्दी कम्प्लीट हो जायेगा। इसमें इन्सिनरेटर, माइक्रो बेविंग, आटो क्लीनिंग, सेडरिंग भी शामिल है। जिसमें किसी बड़े वेस्ट मैटीरियल को मशीनों से टुकड़े-टुकड़े किया जाना भी शामिल है। इसके अतिरिक्त अत्यधिक उच्च तापमान पर माइक्रो फ्लेमिंग करके निसंक्रमित करते हैं, यह सारी व्यवस्था भी है। हमारे पास पूरी जानकारी है, जहां की कहिये वहां का बतायें।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, मंत्री जी ने गोरखपुर का उल्लेख किया है, आपका क्षेत्र है, आप जानते हैं कि सिद्धार्थनगर और बस्ती की दूरी वहां से 75-75 किमी0 है। आपने बताया कि गोरखपुर में कामन ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्थापित किया जा रहा है, उसके संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हुयी है, या तो माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं अन्यथा मैं जानना चाहता हूं कि इस सरकार को सभी जनपदों के जिला चिकित्सालयों में कितने निजी क्षेत्र के प्रस्ताव मिले हैं, उनके नाम क्या हैं और उस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

श्री अम्बिका चौधरी--

श्रीमन्, मैंने सदन को गुमराह नहीं किया है और माननीय पाल साहब कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं। यदि वह अपने को गुमराह समझते हैं तो यदि वह गुमराह लोगों के नेता हैं तो मैं इसमें उनकी मदद नहीं कर सकता।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, माननीय प्रमोद कुमार इस बात के गवाह हैं। हम तो हमेशा इनका सहयोग करते रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी--

माननीय पाल साहब मेरे बड़े भाई हैं और विनयावनत मैं उनकी शरण में हूं। श्रीमन्, मैंने यह कहा कि इन 10 जगहों पर हमने आर्डर प्लेस कर दिया है और सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह वर्ष 2006 के समाप्त होने के पूर्व यह 10 यूनिट काम करने लगेगी। इसके अलावा मैंने कहा कि वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, मेरठ और बरेली इन 6 जगहों पर काम चल रहा है। गोरखपुर, जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया, वह अक्टूबर तक हो सकता है, काम करने लगेगा। गोरखपुर जिला अस्पताल में हमने अलग से व्यवस्था की है मेडिकल कालेज में अलग से किया है। गोरखपुर में यह किया गया कि जब तक यह प्लान्ट नहीं चालू हो जाता तब तक बैग में ब्लीचिंग पाउडर या दूसरे केमिकल्स के माध्यम से विसंक्रमित करके जो म्युनिसिपल गार्बेज है, उसी के साथ यह डिसपोजल हो रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि पूरा क्षेत्र कवर हो जायेगा।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

मान्यवर, मेरा सीधा सा प्रश्न है कि लखनऊ में जितने सरकारी अस्पताल हैं, क्या उन अस्पतालों से निकले हुए कचरे को नष्ट करने के लिए इन्सिनरेटर लगे हुए हैं ? और अगर लगे हुए

हैं तो किस अस्पताल में कितनी क्षमता वाले इन्सिनरेटर लगे हुए हैं ? मान्यवर, कचरा जो सरकारी अस्पताल से निकलता है और नर्सिंग होम से निकलता है, मेरी जानकारी में है कि लखनऊ में अधिकांश बड़े-बड़े नर्सिंग होम हैं और वह अस्पताली कचरे को जमीन में गड्ढा खोद करके गाड़ देते हैं, वह बाद में खुद जाते हैं और उससे बाद में संक्रामक रोग फैलते हैं। इसलिए मेरा प्रश्न है कि लखनऊ में कितने नर्सिंग होम ऐसे हैं, जिनमें इन्सिनरेटर लगे हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष--

नर्सिंग होम की सूचना कहां मिल पायेगी ?

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, किसी अस्पताल में इन्सिनरेटर लगाने की बात नहीं की गई है और नही यह सम्भव है। लखनऊ में बलरामपुर अस्पताल के अतिरिक्त फातिमा अस्पताल में है और श्रीमन् नगर निगम द्वारा एक इन्सिनरेटर अलग से लगाया गया है और तीसरा निजी क्षेत्र में चिनहट में है जो कि अभी प्रगति पर है। मान्यवर, नर्सिंग होम में अलग से लगाने का प्रश्न नहीं है क्योंकि यह बड़ी व्यवस्था है इसलिए अलग से इन्सिनरेटर नर्सिंग होम में नहीं लगाया जा सकता है। अस्पताल चाहे 10 बेड का हो या 100 बेड का हो, सभी में से कचरा निकलता है, एक बैग में कचरा डाल दिया जाता है और एक कम्पनी उन बैगों को अस्पतालों से इकट्ठा करती है और उसके निस्तारण के लिए उस बैग को इन्सिनरेटर तक पहुंचाती है। इसलिए मान्यवर, नर्सिंग होम में इन्सिनरेटर लगाये जाने का कोई प्रश्न नहीं है। लखनऊ में पर्याप्त व्यवस्था है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

मान्यवर, किंग जार्ज मेडिकल युनिवर्सिटी में अस्पताली कचरे के निस्तारण की क्या कोई व्यवस्था है ?

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय लखनऊ शहर में है और पूरे लखनऊ की व्यवस्था विस्तार से बता दी गई है।

श्रीमती लुईश खुर्शीद--

मान्यवर, मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें, आपने बड़े-बड़े शहरों का नाम लिया है लेकिन फर्रुखाबाद कानपुर से 200 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर राम मनोहर लोहिया के नाम से अस्पताल है, उसके कचरे के निस्तारण के लिए क्या व्यवस्था है ?

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, मैंने दस जगहें बतायी हैं, उन पर ध्यान दें, वहां का कचरा कानपुर से डिसपोजल हो जायेगा।

श्रीमती लुईश खुर्शीद--

मान्यवर, कानपुर से फर्रुखाबाद की दूरी 200 किलोमीटर है।

श्री अम्बिका चौधरी--

कानपुर से डिस्पोजल हो जाएगा। थोड़ा सा करीब आइये, कवर हो जाएगा।

श्री सुखदेव राजभर--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने ऐक्ट में कचरे की एक सूची बतायी है, उसमें मान्यवर, मानव शव का नाम भी लिखा है तो क्या उसमें से मान्यवर, भावनात्मक दृष्टिकोण से कचरे की सूची से मानव शव का नाम निकलवा देंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, हमने मानव शव नहीं पढ़ा, मानव अंग पढ़ा है। मानव अंग का तात्पर्य यह हुआ कि गैंगलियान होने के कारण अस्पताल में आपरेशन से यदि एक उंगली काट दी जाए तो यह मानव अंग कहलायेगा। इसी तरह से गालब्लेडर आपरेशन से निकाल दिया गया तो वह भी इसी श्रेणी में आयेगा। लोग तो कई अंग कटवाते रहते हैं, जिसका जिक्र करना उचित नहीं है, वह भी इसी में शामिल है।

राजकीय होम्योपैथ मेडिकल कालेज, लखनऊ एवं इलाहाबाद को स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करने की मांग

*4--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ एवं इलाहाबाद को स्नातकोत्तर स्तर का बनाने की घोषणा मुख्य मंत्री द्वारा वर्ष 2001 में की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त घोषणा का पालन करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मा0 मंत्री जी को जानकारी है कि राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्नातकोत्तर शिक्षा की व्यवस्था न होने के कारण छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो सरकार कब तक प्रदेश में स्नातकोत्तर कक्षायें प्रारम्भ करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां।

जी नहीं।

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद नई दिल्ली द्वारा निर्धारित संबंधित न्यूनतम मानक पूर्ण नहीं है। इन्हें पूर्ण किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। मानकों के पूर्ण होते ही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ हो जायेगा।

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर प्रोफेसर तथा रीडर के पदों के सृजन के पश्चात् प्रदेश के तीन राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ/इलाहाबाद/कानपुर में एम0डी0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का पहला भाग था कि क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ एवं इलाहाबाद को स्नातकोत्तर स्तर का बनाने

की घोषणा मुख्य मंत्री द्वारा वर्ष 2001 में की गयी थी ? उसका उत्तर दिया गया कि जी हां। वर्ष 2001 में मुख्य मंत्री राजनाथ सिंह जी थे और मैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री था। हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है और यहां पर जितने राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज है किसी में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई नहीं हो रही है। इसलिए उस समय घोषणा की गयी थी कि लखनऊ और इलाहाबाद में स्नातकोत्तर स्तर की कक्षायें प्रारम्भ की जाएं। माननीय मंत्री जी ने बताया कि केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित सम्बन्धित न्यूनतम मानक पूर्ण नहीं है।

मैं पहला प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि न्यूनतम मानक क्या है और वर्ष 2001 में क्या मानक थे ? इन 5 सालों के अन्दर क्या इस दिशा में कुछ कदम आगे बढ़ाया गया और एक-दो अर्हता पूरी की गयी ? पहले इसकी जानकारी दे दें।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने सुना होगा अभी गौर साहब ने कहा कि राजनाथ सिंह के साथ मैं मंत्री था। इसको निकलवा दें वरना भ्रम की स्थिति आ जायेगी। डी0के0 पण्डा इन्हीं के क्षेत्र में रहते हैं, यह उसी का असर है, इसको निकलवा दें वरना दिक्कत हो जायेगी।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

प्रमोद जी, अपना कान ठीक करा लीजिए।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, डिग्री कोर्सेज के लिए एक कालेज में 3 प्रोफेसर चाहिए होते हैं और इस तरह जो कुल पद रिक्त हैं, उनकी बड़ी संख्या है। लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, गाजीपुर, फैजाबाद, मुरादाबाद और आजमगढ़ जनपदों में ये कालेज संचालित हैं। सी0सी0एच0 मानक से प्रोफेसर के 91 पद हैं, जिसमें स्वीकृत पद 10 हैं, उसमें से भरे गये पद 2 हैं और 8 पद खाली हैं और न्यूनतम मानक के सापेक्ष 81 पद रिक्त हैं। रीडर के लिए सी0सी0एच0 मानक से 105 पद हैं उसके सापेक्ष स्वीकृत पद 10 हैं, 3 भरे गये और 7 पद रिक्त हैं और न्यूनतम मानक के सापेक्ष 95 पद कम हैं। प्रवक्ता के 105 पद, स्वीकृत 126 पद, भरे गये 72 पद, रिक्त 54 पद। प्रवक्ता के 21 पदों को रीडर के पदों से उच्चीकृत किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, हमारा प्रश्न दूसरा था, उत्तर माननीय मंत्री जी ने दूसरा दे दिया है। मेरा प्रश्न था कि प्रदेश के तीन राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ, इलाहाबाद व कानपुर में स्नातकोत्तर कक्षायें संचालित करने के लिए केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा क्या मानक हैं ? उनमें से कितनी पूर्ति हो गयी है और क्या कमी रह गयी है ? माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि कितने रीडर, प्रोफेसर और प्रवक्ताओं के पद रिक्त हैं, जबकि मेरा प्रश्न था कि एक होम्योपैथी मेडिकल कालेज में स्नातकोत्तर होने के लिए क्या मानक है ? वर्ष 2001 में क्या स्थिति थी और अब क्या 5 साल बाद हम एक कदम भी आगे बढ़े हैं, इसका उत्तर दिला दें ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

बिल्कुल साफ उत्तर दिया गया है कि भारत सरकार मानक तय करती है जैसे ही वह मानक पूरे हो जायेंगे मान्यता मिल जायेगी।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या मानक हैं यह आपने नहीं बताया ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, बिल्डिंग चाहिए, फर्नीचर चाहिए और पढ़ाने वाले चाहिए, यही मानक है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, मुझे संरक्षण दीजिये, इतने वरिष्ठ मंत्री हैं और संसदीय कार्य मंत्री भी है, इसका भी उत्तर दे रहे है। क्या-क्या मानक हैं यह मंत्री जी बता दें। 2001 में कितनी कमी थी और 2006 में कितनी प्रगति सरकार ने किया है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, 7 कालेज हैं। एक कालेज में 13 प्रोफेसर होना जरूरी है, 15 रीडर और 15 लेक्चरर। पोस्ट ग्रेजुएट में 3 प्रोफेसर और 3 लेक्चरर होने चाहिये। मान्यवर, मैंने बताये तो मानक। जब वह पूरे हो जायेंगे तो शुरू कर दिया जायेगा। अभी वह पूरे नहीं हो पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

एक प्रश्न है कि 2001 में कितने थे क्या उसमें बढ़ोत्तरी हुयी है ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं इसके लिये सूचना दे दूंगा आपको।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने इसके पहले प्रश्न के उत्तर में कहा था कि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, हम कटोरा लेकर नहीं घूम रहे हैं। लेकिन यहां उत्तर में कहा गया है कि वित्तीय संसाधनों की उपलबधता होने पर प्रोफेसर तथा रीडर के पदों का सृजन किया जायेगा। इतने पदों के सृजन में मान्यवर, कितना पैसा लगेगा। अनाप-शनाप खर्चों के लिये पैसा है लेकिन होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा के लिये पैसा नहीं है। मान्यवर, सरकार ने स्वीकार किया है कि प्रदेश में स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता है, व्यवस्था न होने से लोगों को दिक्कत हो रही है। आर्थिक स्थिति का बहाना बनाकर पदों का सृजन नहीं किया जो रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो वित्तीय संसाधनों की कमी है इसको कब तक पूरा किया जायेगा जिससे कि प्रदेश के अन्दर दो मेडिकल कालेजों में स्नातकोत्तर कक्षायें प्रारम्भ हो सकें ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, यह तो सुझाव हुआ। गौर साहब खुद भी वरिष्ठ सदस्य हैं और पढ़े लिखे व्यक्तियों में से हैं। प्रोफेसर और रीडर की तलाश सिर्फ पैसे से ही नहीं होती है। पैसे हों और आपको प्रोफेसर मिल जाय यह जरूरी नहीं है। प्रोफेसरों की उपलब्धता, उनकी शैक्षिक योग्यता और उनकी सीनियारिटी के एतबार से कोई प्रोफेसर बनता है। एक नया चलन चल गया था कि आज किसी कालेज में टीचर हो गये फिर प्रोफेसर हो गये। तो प्रोफेसर ऐसे नहीं होते हैं प्रोफेसर सीनियारिटी की बुनियाद पर होते हैं। मान्यवर, जैसे ही सक्षम व्यक्ति प्राप्त होंगें वैसे ही किया जायेगा। पैसे की कोई कमी नहीं है।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

मान्यवर, मंत्री जी से पूंछना चाहता हूं कि प्रश्न केवल लखनऊ और इलाहाबाद के होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्नातकोत्तर कक्षाओं के बारे में है, इन दो मेडिकल कालेजों में स्नातकोत्तर कक्षायें प्रारम्भ करने में कितने पदों की कमी है। नम्बर दो-उसके लिये कितने वित्तीय भार की आवश्यकता है। तीसरे जैसा कि मंत्री जी ने रीडर और प्रोफेसर की चयन की प्रक्रिया के बारे में इशारा किया है इन पदों पर चयन के लिये लोक सेवा आयोग को अधियाचन सरकार ने कब भेजा है यह बता दें ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

वह तो पहले से ही गया है, रिमाइंडर बराबर भेजा जाता है।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

मान्यवर, अधियाचन कब भेजा गया यह इस प्रश्न का अनुपूरक होगा। यह स्वाभाविक था कि जब पदों की रिक्तता की बात सरकार सदन में कहेगी तो पूछा जायेगा कि पदों की रिक्तता की पूर्ति के लिये क्या-क्या प्रक्रिया अपनायी जायेगी और अधियाचन कब भेजा गया है। तो यह बता दें कि अधियाचन कब भेजा गया है। सरकार ने ऐसे सभी राजकीय मेडिकल कालेजों, राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों में सब में संविदा में रखने की कोशिश की है। महाविद्यालय में संविदा पर अध्यापक रख रहे हैं। यहां पर भी संविदा पर रखकर स्नातकोत्तर कक्षाओं को सरकार कब तक प्रारम्भ करा देगी।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, जो संविदा पर रखे जा रहे हैं वह व्यवस्था तो है ही मेडिकल कालेजों में, हास्पिटल्स में रखे जा रहे हैं। मान्यवर, मैंने जैसा आपसे कहा कि जब तक मानक पूरे नहीं हो जाते उस वक्त तक इस कमी को पूरा नहीं किया जा सकता क्योंकि एवेलेबिलिटी नहीं है प्रोफेसर्स की, इसलिये इसमें देर लग रही है। आप अगर दे देंगे तो उस पर विचार कर लिया जायेगा। मैं तो बाजपेयी जी से और गौर साहब से निवेदन कर रहा हूं कि होम्योपैथी के प्रोफेसर उपलब्ध करा दीजिए मैं आपकी मदद करूंगा।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

अभी मंत्री जी ने कहा कि योग्य लोग नहीं मिल रहे हैं जबकि उत्तर से साफ स्पष्ट है कि पदों का सृजन नहीं किया गया है। मंत्री जी अपने उत्तर से सदन को भ्रमित कर रहे हैं। मेरा प्रश्न है कि पदों का सृजन करके कब तक उनको भर दिया जायेगा ?

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित कर दे या इस पर आधे घंटे की चर्चा स्वीकार कर लें।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मैंने पहले ही बताया कि पी0जी0 कोर्स, स्नातकोत्तर कोर्स में कितनी-कितनी आवश्यकता है। जैसे ही मानक पूरा हो जायेगा उसे भर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी सदस्य का कहना यह है कि पदों को संविदा के आधार पर या अन्य तरह से कब तक भर देंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मानक भारत सरकार तय करती है। भारत सरकार के मानकों पर जैसे ही हम पूरे उतरेंगे वैसे ही संविदा के आधार पर या उनको पूरी तरह से रखने पर विचार कर लिया जायेगा।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

मान्यवर, जनहित के प्रश्न पर मंत्री जी का रवैया इस तरह का है। इसे प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंप दिया जाय या आधे घण्टे की चर्चा स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष--

आप नियम 49 में इसे दे दें।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मेरा कहना यह है कि यह नियम 49 की परिधि में नहीं आता है।

श्री हुकुम सिंह--

मंत्री जी ने इस पर विस्तार से उत्तर दिया लेकिन जो प्रश्न किए गए उनका उत्तर नहीं दिया मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि कितने पद सृजित हो चुके हैं ? यदि नहीं सृजित हुए हैं तो क्या पद सृजित करने की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से शुरू करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जो 7 कालेज हैं उनकी आपको सूचना दी है जिसमें 3 प्रोफेसर 3 रीडर एक कालेज में आवश्यक होते हैं। क्योंकि मानक पूरे नहीं हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह--

मंत्री जी सदन को भ्रमित कर रहे हैं इस पर चर्चा स्वीकार कर लें।

श्री मोहम्मद आजम खां--

भारत सरकार के मानक हैं।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

मैं इसे प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सुपुर्द करने की मांग कर रहा हूं। आप स्वयं सहमत होंगे कि प्रश्न का उत्तर संतोष जनक नहीं है, तथ्यों से परे है इसलिए इसे प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सुपुर्द करने की कृपा करें या फिर चर्चा स्वीकार कर लें।

श्री मोहम्मद आजम खां--

जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर दे दिया अब जो आप चाहते हैं वह तो सरकार के पास नहीं है। मैंने बार-बार कहा कि जैसे ही मानक पूरा हो जायेगा वैसे ही पदों का सृजन हो जायेगा। मानक पूरे नहीं हैं जब मानक पूरे नहीं हैं तो पदों का सृजन कैसे होगा ? जैसे ही भारत सरकार के तय किए हुए मानक पूरे हो जायेंगे पदों का सृजन हो जायेगा।

श्री हुकुम सिंह--

यह तीनों होम्योपैथी कालेज सरकारी हैं अगर सरकारी हैं तो मानकों को पूरा करने का प्रस्ताव सरकार करेगी यह सरकार का दायित्व है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने मानकों को पूरा करने के लिए कोई प्रस्ताव किया है ? यदि किया है तो कब किया है और प्रस्ताव में सबसे पहली शर्त यह भी है कि रीडर होने चाहिए प्रोफेसर होना चाहिए। उसके लिए पदों के सृजन का कोई कार्यक्रम आपने बनाया है ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं बार-बार कह रहा हूं कि जब तक मानक पूरे नहीं हो जाते और उसी की कोशिश में सरकार बार-बार लगी है कि जो भी कमियां मानक के अनुसार हैं उसको पूरा करेंगे और पिछले दिनों मान्यवर होम्योपैथी चिकित्सा को प्रोत्साहित करने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है और खुद जाकर इमारत का उद्घाटन किया है, उसके लिये धन की घोषणा की गई है। लेकिन मान्यवर, प्रोफेसर और रीडर के पदों को भरने के लिये जिन मानक की आवश्यकता होगी वह अभी पूरे नहीं हुए हैं। जैसे ही यह मानक पूरे होंगे पदों का सृजन कर दिया जायेगा।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, आपका संरक्षण हमको मिलना चाहिए। अगर आपका संरक्षण हमको नहीं मिलेगा तो हमारा यहां बैठना व्यर्थ हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

आप लोगों की बात आ गई है।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, कितनी बार आप उनको मौका देंगे। सभी सदस्यों का अधिकार है प्रश्न करने का। तीन बार हम लोग खड़े हो चुके हैं। प्रमोद जी भी खड़े हुए।

श्री अध्यक्ष--

आप पूछ लीजिये न जो आपको पूछना है।

श्री जगदम्बिका पाल--

मानयवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपनी कठिनाइयों का,और सरकार की कठिनाइयों का जिक्र कर रहे हैं कि यह जो हमारा होम्योपैथी काउन्सिल आफ इंडिया है उसने मानक में कुछ कमियां दर्शायी हैं और कह रहे हैं कि सरकार मानक को पूरा करने की कार्यवाही कर रही है। जैसे ही मानक पूरा हो जायेगा निश्चित तौर से नियुक्तियां हो जायेगी। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि चाहे होम्योपैथी कालेज हों, चाहे मेडिकल कालेज हों चाहे डेन्टल कालेज हों, चाहे वेटनेरी कालेज हों। मेडिकल कालेज आफ इण्डिया मेडिकल कालेज के लिये बना है, डेण्टल काउन्सिल आफ इण्डिया डेण्टल के लिये बना है, वेटनेरी काउन्सिल आफ इण्डिया वेटनेरी कालेज के लिये बना है। आल इण्डिया काउन्सिल आफ टेक्नोलाजी इंजीनियरिंग कालेज के लिये बना है।

तो मान्यवर, यह सही है कि सरकार या जो काउन्सिल हैं उनके द्वारा टीम इंस्पेक्शन के लिये भेजी जाती है और मानक में कुछ कमियां होती हैं तो वो उसका उल्लेख किया जाता है कि इसमें प्रोफेसर की कमी है, रीडर की कमी है। और उन कमियों को पूरा करने के लिये जो मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया चाहे मेडिकल हो, चाहे होम्योपैथी हो चाहे डेण्टल हो, जो कमियां दर्शाती है। तो तत्काल उसको पूरा करने के लिये विज्ञापन निर्गत किया जाता है। तो यह जो हमारे सरकारी होम्योपैथी के कालेज हैं जहां रीडर या प्रोफेसर के लिये मानक में कुछ कमियां दर्शायी गयी हैं उन मानक को पूरा करने के लिये राज्य सरकार इन पदों की नियुक्ति के लिये कब विज्ञापन किस समाचार-पत्र में प्रकाशित हुआ ? जब तक विज्ञापन प्रकाशित नहीं होगा तब तक कोई उसके लिये कैसे एप्लाई करेगा चाहे वो कटक में बैठा हो, कोचीन में बैठा है कैसे आवेदन कर सकता है। मानक को पूरा करने के लिये विज्ञापन प्रकाशित किया। विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद ही तो जो कोई उस योग्यता को पूरा करता होगा वो आवेदन कर सकता है। जब तक विज्ञापन नहीं निकलेगा मानक अनन्तकाल तक पूरा नहीं होगा और फिर स्नातकोत्तर की कक्षायें नहीं चल सकेंगी। इसलिये मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस विज्ञापन को कब तक प्रकाशित करा देंगे। और नियुक्ति की कार्यवाही पूरा करके हमारे होम्योपैथी काउन्सिल आफ इंडिया को सूचित कर देंगे। अगर इससे पहले विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है तो कब किया है, उसकी तिथि बतायें ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

ऐसे पूछिये ना। इस वर्ष अंतिम बार पुनरीक्षित प्रस्ताव निदेशालय के पत्र संख्या नि0गो0/33 शासकीय एस0एम0डी0 67109291, 10 अगस्त, 2006 प्रेषित किया जा चुका है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का ध्यान उनके उत्तर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

देखिये प्रश्न पूछा गया कि शासन ने इसको पूरा करने के लिये कब लिखा उन्होंने एक पत्र पढ़ दिया।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहते हुये कहना चाहता हूं कि पाल जी ने पूछा कि पदों के लिये विज्ञापन कब हुआ ? जब बच्चा पैदा नहीं हुआ तो बढ़ेगा कैसे ? माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर प्रोफेसर और रीडर के पदों के सृजन के पश्चात् ही तो पद भरे जाएंगे। मैं जानना चाहता हूं पदों का सृजन कब होगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

पद सृजन के लिये जा चुका है।

श्री अध्यक्ष--

पदं सृजन के लिये प्रस्ताव जा चुका है।

नोट :--तारांकित प्रश्न संख्या-4 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में कुपोषण के शिकार बच्चों का सामान्य पोषण करने हेतु सरकार की योजना

1--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कोई ऐसा सर्वेक्षण किया गया है कि प्रदेश में 14 वर्ष से कम आयु के कितने बच्चे हैं तथा इनमें कुपोषण के शिकार कितने प्रतिशत बच्चे हैं ? कुपोषण के शिकार बच्चों का सामान्य पोषण हो सके इसके लिए क्या सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवार कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)--

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों की संख्या--6,79,23,000 है।

परिवार कल्याण विभाग में इस संबंध में कोई सर्वे नहीं कराया गया है। कुपोषण से बचाव हेतु आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत 7 माह से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनुपूरक आहार उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार योजना चलाई जा रही है।

आर0सी0एच0, पल्स पोलियो, सिफ्सा योजना के कार्यों के सफल संचालन हेतु प्रशासनिक अधिकारियों से कराने की मांग

2--श्री अब्दुल मन्नान--

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालयों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत तैनात जिला प्रशासनिक अधिकारियों से आर0सी0एच0, पल्स पोलियो, सिफ्सा योजना के कार्यों के सफल संचालन हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्य लिये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि यह कार्य बिना प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों से कराये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्यों को जिला प्रशासनिक अधिकारियों से कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन--

जी नहीं।

प्रशासनिक अधिकारियों को इन कार्यक्रमों के संचालन हेतु कार्य/दायित्व नहीं प्रदान किये गये हैं। यह कार्य प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सोंरो में तैनात चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई अनियमितताओं सम्बन्धी कथित शिकायती-पत्र

3--श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सोंरो जनपद-एटा पर तैनात चिकित्साधिकारी द्वारा की गयी अनियमितताओं के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ख-

3/41 2005 दिनांकित 22-6-06 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में 300 शैय्या का अस्पताल एवं अनुमन्य सुविधाओं की जानकारी

4--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद-शाहजहांपुर में 300 शैय्या का अस्पताल स्वीकृत है, परन्तु अब तक 300 शैय्याओं वाली सुविधायें प्रदान नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल को अनुमन्य सुविधायें प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

जी हां।

चिकित्सालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और 150 शैय्या का चिकित्सालय क्रियाशील है, अवशेष 150 शैय्या का विस्तारीकरण प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

5--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर में फिजीशियन, सर्जन, आई स्पेशिलिस्ट, कार्डियोलाजिस्ट, एम0डी0एम0एस0 तथा नर्सों के कितने पद रिक्त हैं ? उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर में फिजीशियन 01, सर्जन 02, नेत्र सर्जन 02 एवं नर्सों के 09 पद रिक्त हैं।

चिकित्सकों की उपलब्धता के आधार पर रिक्त पदों पर तैनाती की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत के शिव दयाल सेवानिवृत्त ए0 डी0 ओ0 के समस्त देयों के भुगतान की जानकारी

6--श्री रामहेत भारती--

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिव दयाल सेवानिवृत्त ए0 डी0 ओ0 (सा0क0), पीलीभीत के समस्त देयों पेंशन, बीमा, ग्रेच्युटी, जी0 पी0 एफ0 का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब करा दिया जायेगा ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)--

श्री शिव दयाल, सेवानिवृत्त सहायक विकास अधिकारी, पीलीभीत को केवल अनन्तिम पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

श्री शिव दयाल, सहायक विकास अधिकारी, पीलीभीत की सेवा पुस्तिका एवं जी0पी0एफ0 पास बुक को प्रविष्टियां पूर्ण नहीं हैं जिसे पूर्ण कराने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री शिव दयाल की सेवा पुस्तिका एवं जी0पी0एफ0 पास बुक की प्रविष्टियां पूर्ण कराने की कार्यवाही की जा रही है। प्रविष्टियां पूर्ण होते ही उनके समस्त देयों का भुगतान कर दिया जायेगा।

प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में जहरीले जानवरों के काटने पर लगायी जाने वाली ए0आर0बी0 सुई की मांग

7--श्री श्याम देव राय चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में जहरीले जानवरों के काटने पर लगायी जाने वाली ए0आर0बी0 सुई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या वाराणसी स्थित श्री शिव प्रसाद गुप्त, राजकीय चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को पर्याप्त संख्या में सुई उपलब्ध हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

औषध निर्माता कम्पनियों द्वारा मांग के सापेक्ष ए0आर0बी0 की आपूर्ति नहीं की जा रही है।

गत वित्तीय वर्ष में 550 वायल के सापेक्ष इस वित्तीय वर्ष में माह अगस्त, 2006 तक इस चिकित्सालय को 650 वायल ए0आर0बी0 की आपूर्ति करायी जा चुकी है। पर्याप्त मात्रा में ए0आर0बी0 इंजेक्शन उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश में सभी विकलांग व्यक्तियों को पेंशन दिये जाने की मांग

8--श्री श्याम देव राय चौधरी--

क्या विकलांग कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के सभी पात्र विकलांगों को पेंशन दिये जाने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो वाराणसी जिले में वर्तमान में कितने पात्र विकलांग चिन्हित किये गये हैं ? क्या उन्हें अनुमन्य पेंशन दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विकलांग कल्याण, मत्स्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री श्याम नारायण)--

जी हां।

जनपद वाराणसी में पहले से 4769 विकलांग व्यक्तियों को पेंशन दी जा रही है और इस वर्ष 11461 नये पात्र विकलांग व्यक्तियों को पेंशन योजना से लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है जिसके सापेक्ष अभी तक 818 नये पात्र विकलांग व्यक्तियों का चयन करके उन्हें पेंशन की प्रथम किस्त दी जा चुकी है। शेष विकलांग व्यक्तियों के चयन की कार्यवाही की जा रही है।

9--श्री राम इकबाल सिंह--

[पहले गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 42 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उ0 प्र0 द्वारा अपने वाद में धुरिया जाति को पिछड़े वर्ग में सम्मिलित करने सम्बन्धी प्रत्यावेदन

10--श्री बाबू लाल कुशवाहा--

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उ0 प्र0 ने अपने वाद सं0 4/94 में दिनांक 15-7-1998 को धुरिया जाति जो गोड जाति की उपजाति है तथा जो अनु0 जाति की सूची में क्रम सं0-36 पर सम्मिलित है, को पिछड़े वर्ग में सम्मिलित करने सम्बन्धी प्रत्यावेदन को निरस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश के अनुपालन में शासनादेश जारी कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जी हां, प्रत्यावेदन निरस्त कर दिया गया है किन्तु अनुसूचित जाति की सूची के क्रम संख्या-36 पर केवल गोंड जाति उल्लिखित है। धुरिया, गोंड की उपजाति के रूप में सूची के क्रमांक-36 पर अंकित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

तदैव।

जनपद लखनऊ के निशात अस्पताल में सैफीखान बालक के सीनें में छोड़े गये आपरेशन ब्लेड के दोषी चिकित्सक के विरुद्ध कार्यवाही एवं मुआवजे की मांग

11--श्री कौशल किशोर--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद लखनऊ के निशात अस्पताल में सैफीखान नौ वर्षीय बालक के सीने में छोड़ गये आपरेशन ब्लेड को माह अप्रैल, 2006 के प्रथम सप्ताह में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के डा0 शेखर टण्डन के नेतृत्व में चिकित्सकों द्वारा दूरबीन विधि से पुनः आपरेशन कर निकाला गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे निजी अस्पतालों पर प्रतिबन्ध लगाकर लापरवाही बरतने के दोषी चिकित्सक के विरुद्ध कार्यवाही कराते हुये भुक्तभोगी को मुआवजा प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

यह प्रकरण निजी चिकित्सालय से सम्बन्धित है अतः अपेक्षित कार्यवाही भी उसी चिकित्सालय द्वारा की जानी होगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरदोई में तैनात आंगन बाड़ी कार्यकत्री की अनियमित नियुक्ति एवं भ्रष्टाचार सम्बन्धी पत्र की जांच

12--श्री चन्द्र किशोर--

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आदित्य विक्रम सिंह, स0वि0स0 का पत्र दिनांक 16 जून, 2006 जो कि ग्राम पंचायत भगतुपुर संतपुर, विकास खण्ड

मल्लावां, जनपद हरदोई में तैनात आंगनबाड़ी कार्यकत्री की अनियमित नियुक्ति एवं उनके द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में था, जिस पर मा0 मंत्री के आदेश पत्रांक-1037/वी0आई0पी0, दिनांक 6-7-06 निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार को भेजे गये, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)--

(क) जी हां।

(ख) प्रश्न में वर्णित शिकायत की जांच निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के द्वारा करायी जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के आलमपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण की मांग

13--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र चिलकहर, जनपद बलिया के आलमपुर में प्रा0 स्वा0 केन्द्र बनाना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो प्रा0 स्वा0 केन्द्र का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की दृष्टि से प्रदेश संतृप्त है। विधान सभा क्षेत्र चिलकहर, जनपद बलिया के आलमपुर में प्रा0 स्वा0 केन्द्र की स्थापना नहीं हुई है। अत: प्रश्नगत स्थल पर प्रा0 स्वा0 केन्द्र के भवन निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

अप्रशिक्षित नर्सों को प्रशिक्षित करने की मांग

14--डा0 सुशील चौधरी--

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग में 1998 में बनाई गयी अलिपिकीय सेवा नियमावली में 10 वर्ष की पूर्ण सेवा करने पर अप्रिशिक्षित नर्सों को प्रशिक्षित करने का प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो वर्ष 1980 में नियुक्त कितनी नर्सों को अप्रशिक्षित से प्रशिक्षित बनाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला कल्याण मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राना)--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग अलिपिकीय कर्मचारी सेवा नियमावली, 1998 के अन्तर्गत अप्रशिक्षित नर्सों को प्रशिक्षण दिये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है।

प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही

15--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों में कितने शिक्षकों के पद कितने वर्षों से रिक्त हैं ? क्या यह सत्य है कि प्रदेश के गोरखपुर, झांसी और मेरठ मेडिकल कालेजों में 50 से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो रिक्त पदों पर नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

चिकित्सा शिक्षकों के 395 पद विगत पांच वर्षों से रिक्त हैं।

जी हां।

लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा विभिन्न विशिष्टताओं में प्रवक्ता के कतिपय पदों के चयन की संस्तुतियां प्राप्त हुई हैं जिसके आधार पर नियुक्ति के आदेश निर्गत किये जा रहे हैं। शेष 132 पदों पर लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद को चयन हेतु अभियाचन भेजा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

सचिवालय डिस्पेन्सरी में लैब टेक्नीशियन के पद पर स्थायी व्यवस्था की मांग

16--श्री कौशल किशोर--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि सचिवालय डिस्पेन्सरी में अल्ट्रासाउन्ड व एक्सरे की मशीन लगी होने के बावजूद किसी स्थायी टेक्नीशियन की नियुक्ति न होने के कारण सचिवालय कर्मचारियों को बाहर से ही अल्ट्रासाउन्ड व एक्सरे कराने पड़ते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सचिवालय डिस्पेन्सरी में कोई स्थायी लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति अल्ट्रासाउन्ड व एक्सरे करने के लिये करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

सचिवालय डिस्पेन्सरी में लैब टेक्नीशियन का पद सृजित न होने के कारण नियमित तैनाती सम्भव नहीं हो पायी थी। अस्थायी व्यवस्था के रूप में एक एक्सरे टेक्नीशियन की तैनाती कर दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में संचालित राजकीय बालगृह मोहान रोड में चतुर्थ श्रेणी (आया) के पद पर श्रीमती जुबैदा खातून की तैनाती

17--प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर--

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में संचालित राजकीय बाल गृह (बालक) मोहान रोड में आया का पद सृजित है ? यदि नहीं, तो क्या किसी आया को

इलाहाबाद से लखनऊ जून, 2006 में स्थानान्तरण कर तैनात किया गया है ? यदि हां, तो पद सृजित न होते हुये उसकी तैनाती नियम विरुद्ध करने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इस मामले में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह राना--

राजकीय बाल गृह (बालक) मोहान रोड, लखनऊ में आया का पद सृजित नहीं है।

जी हां, श्रीमती जुबेदा खातून, चतुर्थ श्रेणी (आया) को तैनात किया गया है।

चतुर्थ श्रेणी के पदों में आया का पद सम्मिलित है और राजकीय बाल गृह (बालक) मोहान रोड, लखनऊ में चतुर्थ श्रेणी का पद सृजित है। अत: श्रीमती जुबेदा खातून, चतुर्थ श्रेणी (आया) को इलाहाबाद से लखनऊ जून, 2006 में स्थानान्तरण कर तैनात करने में कोई अनियमितता नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

चतुर्थ श्रेणी के सृजित पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किये जाने में कोई अनियमितता नहीं की गयी है।

जनपद गोरखपुर के ग्राम सभा सौनौरा बुजुर्ग में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की मांग

18--श्री फतेह बहादुर सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के तहसील कैम्पियरगंज के ग्राम सभा सौनौरा बुजुर्ग में वर्ष 2006-07 की जिला योजना में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की दृष्टि से प्रदेश संतृप्त है। अत: प्रश्नगत स्थल पर प्रा0 स्वा0 केन्द्र की स्थापना कराया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर जिला अस्पताल के निर्माणाधीन ट्रामा सेन्टर का निर्माण पूर्ण कराने की मांग

19--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शाहजहांपुर जिला अस्पताल में स्वीकृत ट्रामा सेन्टर का निर्माण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

निर्माण एजेन्सी की चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निर्माण एजेन्सी के चयनोपरान्त कार्य पूर्ण कराने की कार्यवाही त्वरित गति से कराई जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्साधिकारी के पदों को भरने की मांग

20--डा0 विनोद तिवारी--

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में चिकित्साधिकारी, आयुर्वेदिक एवं चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आयुर्वेदिक/यूनानी के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने हेतु दिनांक 10 अप्रैल, 2006 को साक्षात्कार आयोजित किया गया था ? यदि हां, तो क्या परिणाम घोषित कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथी चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला)--

सूचना एकत्र की जा रही है।

उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग से चयनित होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को प्रोन्नत वेतनमान दिये जाने का विचाराधीन प्रकरण

21--श्री विद्या सागर गुप्ता--

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि वर्ष 1994 और 1996 में प्रदेश की राजकीय सेवा में उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित एवं नियुक्त होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों को "समयबद्ध वेतनमान नीति" के अन्तर्गत नियमित रूप से निरन्तर 8 वर्षों की संतोषजनक सेवा के उपरान्त उनको अनुमन्य प्रोन्नत वेतनमान नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में अनुमन्य होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को प्रोन्नत वेतनमान शीघ्र दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला--

जी हां। प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 संग्रहालय एवं पुरातत्व निदेशालय में लेखा संवर्ग की सेवा नियमावली बनाने की मांग

22--श्रीमती राज लक्ष्मी वर्मा--

क्या संस्कृति मंत्री कृपया बतायेंगे कि संस्कृति विभाग के अधीनस्थ निदेशालयों (संस्कृति निदेशालय, उ0 प्र0 संग्रहालय निदेशालय तथा उ0 प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय) में लेखा संवर्ग की सेवा नियमावली बनायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह राना--

जी हां।

संस्कृति विभाग के नियंत्रणाधीन तीनों निदेशालय (संस्कृति निदेशालय, उ0 प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग तथा संग्रहालय निदेशालय) के लेखा संवर्ग के कर्मियों द्वारा उनका वेतनमान

दिनांक 1-4-2001 से संशोधित करने की मांग के दृष्टिगत, वेतनमान, उक्त दिनांक से संशोधित करने की कार्यवाही प्रचलित होने के कारण सेवा नियमावलियों का प्रख्यापन अभी नहीं किया जा सका है। उल्लेखनीय है कि सेवा नियमावलियों में लेखा संवर्ग के पदों के साथ ही पद हेतु अनुमन्य वेतनमान का विवरण (वेतन का ब्रेकअप) भी देना होता है तथा यह विवरण पद व वेतनमान संशोधित होने के बाद ही दिया जा सकता है। अतएव वेतनमान संशोधन प्रकरण में कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त ही उक्त निदेशालयों की पृथक्-पृथक् सेवा नियमावलियां प्रकाशित कराना संभव होगा।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बाराबंकी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सूरतगंज की सेवानिवृत्त स्वास्थ्य निरीक्षक श्रीमती प्रभा के देयों के भुगतान की जानकारी

23--श्री कोशल किशोर--

क्या परिवार कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सूरतगंज से स्वास्थ्य निरीक्षक पद से सेवानिवृत्त श्रीमती प्रभा कुमारी की पेंशन, ग्रेच्युटी स्वीकार किये जाने विषयक इनके प्रार्थना-पत्र सहित प्रश्नकर्ता का उपरिपत्र, दिनांक 24 अप्रैल, 2006 पर माह मई, 2006 के प्रथम सप्ताह में कोई आदेश प्रदान किये गये थे ? यदि हां, तो उक्त आदेश का पालन करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन--

जी हां।

ग्रेच्युटी एवं पेंशन भुगतान हेतु वांछित प्रपत्र मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी ने अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, फैजाबाद मण्डल को भेजे थे जिन्हें कुछ आपत्तियों के साथ मुख्य चिकित्साधिकारी को वापस कर दिया गया। आपत्तियों का निराकरण करके मुख्य चिकित्साधिकारी ने पुन: संबंधित प्रपत्र अपर निदेशक को भेजे हैं। अपर निदेशक से स्वीकृति के उपरान्त भुगतान किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के स्वास्थ्य केन्द्र कैम्पियरगंज में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की मांग

24--श्री फतेह बहादुर सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कैम्पियरगंज, जनपद गोरखपुर में शासन द्वारा चिकित्सकों के कुल कितने पद स्वीकृत किये गये हैं तथा वर्तमान में कितने पद रिक्त चल रहे हैं ? चिकित्सकों के रिक्त पदों को कब तक भरा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कैम्पियरगंज, जनपद गोरखपुर में कैडर रिव्यू के पश्चात् कुल 06 पद स्वीकृत किये गये हैं, जिसके सापेक्ष 05 चिकित्सक कार्यरत हैं। महिला चिकित्सक (विशेषज्ञ) का पद रिक्त चल रहा है।

उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर महिला चिकित्सक (विशेषज्ञ) की तैनाती शीघ्र कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 23 अगस्त, 2006 को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 32 सूचनायें प्राप्त हुयीं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं--

पहली सूचना श्री मदन गोपाल वर्मा की जनपद फतेहपुर के जहानाबाद क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों पर लेपन स्तर तक सड़कें बनाने के संबंध में है। दूसरी सूचना श्री अयोध्या प्रसाद पाल की राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पैलानी, जनपद बांदा को उच्चीकृत करके इण्टर तक की साइंस एवं आर्ट्स कक्षायें इसी सत्र से प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री आर0 के0 सिंह पटेल की जनपद चित्रकूट में बुन्देलखण्ड विकास निधि जिलांश के धन से वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 के वित्तीय वर्षों में उत्तर प्रदेश सहकारी निर्माण एवं विकास लि0, इलाहाबाद द्वारा धन हड़प करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री विद्या सागर गुप्त की है जो कि अनुपस्थित हैं। पांचवीं सूचना श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू की जनपद सीतापुर के ग्राम सेतुही एवं मीतमऊ में घाघरा नदी की कटान से प्रभावित लोगों को दैवीय आपदा कोष से राहत दिलाने के सम्बन्ध में है। छठीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र में पेयजल संकट का निवारण कराने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री परमेश्वर दयाल की जनपद सोनभद्र को सूखा घोषित कर किसानों के समस्त देयों को माफ करने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री ओम प्रकाश पाण्डेय की सुल्तानपुर सदर क्षेत्रान्तर्गत डिकना ड्रेन नं0 2 की खुदाई टेल तक करवाने के सम्बन्ध में है। नौवीं सूचना श्री धर्मपाल सिंह की बरेली के आंवला क्षेत्रान्तर्गत अलीगंज-रिछौली क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री द्वारिका प्रसाद की जनपद सन्त कबीर नगर में शासकीय चिकित्सीय सेवाओं की समुचित व्यवस्थायें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री बाबू लाल कुशवाहा की जनपद बांदा में अन्त्योदय एवं बी0पी0एल0 कार्डों को बनाये जाने में हो रही धांधली रोकने एवं पात्र व्यक्तियों को ही उक्त कार्ड बनाने के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री राम कृपाल की वाराणसी नगर से सटे लगभग दो दर्जन गांवों के किसानों को उजाड़ कर उनकी 2200 एकड़ जमीन चुपके-चुपके अधिग्रहीत कर हाईटेक सिटी बनाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री रंगनाथ मिश्र की जनपद भदोही के औराई क्षेत्रान्तर्गत अधिकांश क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना श्री राम हेत भारती की जनपद सीतापुर के कस्बा हरगांव को हुसैनगंज पावर हाउस से सीधे विद्युत् आपूर्ति करने के सम्बन्ध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्री मदन चौहान की जनपद गाजियाबाद में गढ़मुक्तेश्वर को विकसित करने हेतु वर्ष 2005-06 में पर्यटन विभाग द्वारा कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच कराने के सम्बन्ध में है। सोलहवीं सूचना श्री विद्या सागर गुप्त जी की है जो अनुपस्थित हैं। इनकी जगह श्री मुंशी लाल गौतम की सूचना ले रहे हैं। यह विधान सभा

क्षेत्र शिकारपुर, जनपद बुलन्दशहर के शिकारपुर जहांगीराबाद वाले चौराहे का सौन्दर्यीकरण करा कर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा स्थापित कराने के सम्बन्ध में है।

श्री उदयभान करवरिया--

मेरा बहुत महत्वपूर्ण मामला है। लड़कियों की शिक्षा से सम्बन्धित मामला है।

श्री अध्यक्ष--

मैं पढ़ देता हूं इलाहाबाद के विकास खण्ड शंकरगढ़ के ग्राम नारी-बारी में लड़कियों की शिक्षा हेतु राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराने के सम्बन्ध में। आज इससे ज्यादा महत्वपूर्ण आ गया था कल दे दीजियेगा।

श्री उदयभान करवरिया--

मैं जानना चाहता हूं क्या संसदीय कार्य मंत्री जी बतायेंगे कि लड़कियों को कन्या धन के रूप में 20-20 हजार रुपया दे रहे हैं। लेकिन जब यहां की लड़कियां इण्टर ही पास नहीं कर पायेंगी तो उनको 20 हजार रुपया कैसे मिलेगा ? मैं तीन-चार बार इस मामले को उठा चुका हूं लेकिन इसमें कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष--

श्री उदयभान करवरिया की सूचना इलाहाबाद के विकास खण्ड शंकरगढ़ के ग्राम नारी-बारी में लड़कियों की शिक्षा हेतु राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराने के सम्बन्ध में है, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की सूचना गोरखपुर महायोजना को अभी तक स्वीकृति न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, श्री बैजनाथ दूबे की सूचना गोण्डा के कटरा बाजार क्षेत्रान्तर्गत करनैलगंज मलौना घाट मार्ग पर अन्जोरवा नाले पर पुल बनाने के सम्बन्ध में है, श्री कालीचरन राजभर की सूचना गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत राजापुर (कटया) के पास गोधनी नदी पर पुल बनाने के सम्बन्ध में है, यह सभी सूचनायें प्रतीक्षा सूची में है। निम्न माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयी--श्री अनिल कुमार मौर्य, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री अमर सिंह परमार, श्री उमाशंकर कुशवाहा, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री प्रभूदयाल बाल्मीकि, श्री लल्लू सिंह, श्री बीजू पटनायक, श्री नवाब सिंह नागर तथा श्री रणवीर राणा।

(स्वीकृत सभी सूचनायें पढ़ी हुयी मानी गयीं)

जनपद फतेहपुर के जहानाबाद क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों पर लेपन स्तर तक सड़क बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मदन गोपाल वर्मा--

[मान्यवर, आपके माध्यम से अपने विधान सभा क्षेत्र की लोकमहत्व की सूचना देते हुये शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं--

मेरे क्षेत्र जहानाबाद के अन्तर्गत निम्नलिखित मार्गों में सड़कों की हालत बहुत ही दुर्दशाग्रस्त है--

---

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

1--अमौली गढ़ी मार्ग इटरा मोड़ से जाफरगंज तक मार्ग में गत् 15 वर्षों से केवल वोल्डर पड़े हैं आगे का कार्य नहीं हुआ है इस मार्ग की लम्बाई लगभग 5 कि0मी0 है।

2--ग्राम बसन्त खेड़ा प्रधानमंत्री मार्ग से सिजौली लम्बाई 3-5 कि0मी0।

3--चांदपुर कहुनी मऊ मार्ग से सिकन्दरपुर लम्बाई 2.5 कि0मी0।

4--धाना मार्ग से धाना ग्राम तक लम्बाई 2 कि0मी0।

5--ग्राम कमासी पक्के मार्ग से डिगरुवा पक्के मार्ग तक वाया ससिय्रां लम्बाई 4 कि0मी0।

उपरोक्त मार्गों पर यातायात बहुत व्यस्त रहता है और किसानों को भी अपनी फसल आदि बाजार ले जाने में कठिनाई होती है। अत: उक्त मार्गों को लेपन स्तर पर बनवाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करें।]

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पैलानी, जनपद बांदा को उच्चीकृत करके इण्टर तक की साइंस एवं आर्ट्स कक्षायें इसी सत्र से प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अयोध्या प्रसाद पाल--

[आपके माध्यम से तात्कालिक लोक महत्व की निम्न सूचना सदन में उपस्थित करते हुये यथाशीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं--

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पैलानी, जनपद बांदा केन नदी के किनारे बसे लगभग 40 गांवों का एक मात्र राजकीय विद्यालय है जहां तिंदवारी क्षेत्र के बालक एवं बालिकायें समान रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं। एकमात्र राजकीय इण्टर कालेज बांदा पैलानी से 35 कि0मी0 दूर है। अत: इण्टर की शिक्षा ग्रहण करने हेतु बच्चों को मजबूरी में वहां जाना पड़ता है। कदाचित उक्त विद्यालय को उच्चीकृत इण्टर तक करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अत: कृपया राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पैलानी (बांदा) को उच्चीकृत करके इण्टर तक की साइंस एवं आर्ट्स की कक्षायें इसी शिक्षा सत्र से प्रारम्भ करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निदेशित करने की कृपा करें।]

जनपद चित्रकूट में बुन्देलखण्ड विकास निधि जिलांश के धन से वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 के वित्तीय वर्षों में उत्तर प्रदेश सहकारी निर्माण एवं विकास लि0, इलाहाबाद द्वारा हड़पे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री आर0 के0 सिंह पटेल--

[आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर कराना चाहूंगा चित्रकूट जिले में वर्ष 2003-04 एवं वर्ष 2004-05 के वर्षों में बुन्देलखण्ड विकास निधि जिलांश से करोड़ों रुपये के कार्य उ0 प्र0 सहकारी निर्माण एवं विकास लि0, इलाहाबाद को स्वीकार करके दिये गये थे। किन्तु उक्त कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य नहीं करवाये गये हैं एवं दिये गये धन को हड़प लिया गया है। कुछ कार्यों को प्रारम्भ किया गया है। शेष कार्य अभी भी प्रारम्भ नहीं हुये हैं। करोड़ों रुपये उक्त संस्था लेकर जिले से गायब हो गयी है। जिले में विकास कार्य बाधित है। साथ ही क्षेत्र की जनता में असंतोष व्याप्त है।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के साथ ही तत्काल स्वीकृत कार्यों को कराने अथवा संस्था से पैसा वापस लेकर उक्त संस्था के जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर के ग्राम सेतुही एवं मीतमऊ में घाघरा नदी के कटान से प्रभावित लोगों को दैवीय आपदा कोष से राहत दिलाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू--

[मान्यवर, जनपद सीतापुर के तहसील लहरपुर के अन्तर्गत घाघरा नदी के कटान से प्रभावित ग्राम सेतुही एवं मीतमऊ में लगभग क्रमश: 25 एवं 10 मकान कट गये हैं तथा तहसील बिसवां के ग्राम बैरागीपुर के 10 मकान कट गये हैं। प्रशासन द्वारा मिलने वाली सहायता मात्र 1200 रुपये और 800 रुपये अपर्याप्त हैं जबकि विगत वर्षों में कटान से प्रभावित लोगों को 6000 रुपये प्रति मकान सहायता दी गयी थी।

अत: ग्राम सेतुही एवं मीतमऊ तथा तहसील बिसवां के ग्राम बैरागीपुर के कटान से प्रभावित लोगों को 6000 रुपये प्रति मकान तथा दैवीय आपदा कोष से एक-एक आवास दिलाये जाने की शासन से मांग करता हूं।]

लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र में पेयजल संकट का निवारण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

[मैं आपके संज्ञान में निम्न अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय को ध्यान में लाकर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

उ0 प्र0 की राजधानी लखनऊ के मध्य विधान सभा क्षेत्र में पेयजल का गम्भीर संकट जल संस्थान के अधिकारियों की लापरवाही के कारण व्याप्त हो गया है। लखनऊ में बने द्वितीय वाटर वर्क्स जो बालागंज में बना हुआ है उसमें आये दिन खराबी पैदा होने के कारण राजाजीपुरम् क्षेत्र के जोनल पम्पिंग स्टेशनों को उपयुक्त मात्रा में पेयजल नहीं मिल पाता, जिसके कारण सेक्टर, 12, 13 सेक्टर-ए, बी, सी, डी में पेयजल का घोर संकट पैदा हो गया है। इतना ही नहीं राजाजीपुरम् क्षेत्र में सेक्टर-ए, बी, सेक्टर--11 आदि में बने हुये नलकूप पुराने होने के कारण पानी की मात्रा बहुत कम दे रहे हैं, इन नलकूपों को रि-बोर कराने की आवश्यकता है किन्तु जलसंस्थान के अधिकारी यह कह कर कि धन का अभाव है इस कारण नलकूप रि-बोर नहीं हो सकते। इस क्षेत्र में अनेक नलकूपों का रि-डेवलपमेन्ट भी आवश्यक है। राजाजीपुरम् में एफ ब्लाक में बन रहा जोनल पम्पिंग स्टेशन विधान सभा में 16 मार्च, 2006 तक बन जाने का आश्वासन दिये जाने के बाद भी अभी तक नहीं बन पाया है इतना ही नहीं मेंहदीगंज में स्वीकृत जोनल पम्पिंग स्टेशन धन प्राप्त होने के बाद भी अभी तक प्रारम्भ ही नहीं हो पाया जिसकी पूरी जिम्मेदारी लखनऊ जल संस्थान के महाप्रबन्धक तथा सम्बन्धित अधिकारियों की है। सरीपुरा क्षेत्र में एक नलकूप/मिनी नलकूप की नितान्त आवश्यकता है किन्तु जल संस्थान से मेरे द्वारा बराबर आग्रह करने के उपरान्त भी यह कार्य न करके वहां के अधिकारी इसकी लागत व्यय 8 लाख रु0 की मांग बराबर कर रहे हैं।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मैं लोकमहत्व के अविलम्बनीय उपरोक्त विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये जल संस्थान लखनऊ द्वारा राजाजीपुरम् क्षेत्र में उपरोक्त वर्णित कार्य पेयजल समस्या का निराकरण करने हेतु सरकार से मांग करता हूं।]

जनपद सोनभद्र को सूखा घोषित कर किसानों के समस्त देयों को माफ करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री परमेश्वर दयाल--

[आपका ध्यान जनपद सोनभद्र की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जनपद सोनभद्र का अधिकांश भ-ूभाग जंगलों, पहाड़ों, नदी, नालों से आच्छादित है। तहसील राबर्ट्सगंज एवं घोरावल के कुछ भू-भाग मैदानी हैं जिसमें कुछ एरिया सिंचित और कुछ असिंचित हैं। वर्तमान वर्ष 2006 में खरीफ के फसल की खेती करने के लिये पर्याप्त वर्षा न होने के कारण पूरे जनपद में खेती नहीं हो पायी है किसानों के अधिकांश खेत परती पड़े हैं जो खेती की गयी है वह भी अनावृष्टि के कारण सूख रही है। मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर, उरद कई खरीफ की फसलों की बोवाई ही नहीं हो पायी है जो बोई गयी है वह भी सूख रही है। वहीं मैदानी क्षेत्र में मुख्य फसल धान की खेती भी पानी के अभाव में पूर्ण रूप से नहीं हो पायी है जो की गयी है वह भी सूख रही है जिससे किसानों के सामने सूखे की स्थिति पैदा हो गयी है।

अत: ऐसी स्थिति में इस लोकमहत्व के प्रकरण पर आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जनपद सोनभद्र को सूखाग्रस्त घोषित कर समस्त किसानों को समस्त देयों को माफ किया जाय।]

सुल्तानपुर सदर क्षेत्रान्तर्गत डिकना ड्रेन नं0 2 की खुदाई टेल तक करवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

[मैं आपके माध्यम से लोकमहत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड दुबेपुर, जनपद सुल्तानपुर की बिकना ड्रेन नं0 2 की खुदाई मशीन के द्वारा पूरी न होने के कारण करीब 200 एकड़ जमीन जलमग्न है जिसके कारण जनता में अत्यधिक आक्रोश है। किसी प्रकार से जमीन में खेती नहीं हो पा रही है।

अत: लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये उक्त ड्रेन की खुदाई टेल तक कराये जाने की मांग करता हूं।]

बरेली के आंवला क्षेत्रान्तर्गत अलीगंज सिरौली क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री धर्मेपाल सिंह (बरेली)--

[विधान सभा क्षेत्र आंवला, जनपद बरेली में अलीगंज सिरौली मार्ग महत्वपूर्ण मार्ग है। कई बार विधान सभा में विभिन्न नियमों के अन्तर्गत इस प्रकरण को उठाने के बाद इस मार्ग के निर्माण हेतु व मरम्मत हेतु सरकार द्वारा धनराशि भी आवंटित की जा चुकी है।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सड़क अत्यन्त जर्जर स्थिति में है और दुर्घटनायें भी हो रही हैं और आवागमन सड़क पर बाधित हो रहा है। सड़क निर्माण हेतु मिली हुयी धनराशि का विभाग सदुपयोग करते हुये सड़क मार्ग को पी0डब्ल्यू0डी0 बरेली समयबद्ध ठीक करावे। ऐसा सरकार सड़क को ठीक करने के निर्देश जारी करे।

अत: लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये उपरोक्त सड़क का निर्माण अविलम्ब कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद संत कबीर नगर में शासकीय चिकित्सीय सेवाओं की समुचित व्यवस्थायें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री द्वारिका प्रसाद--

[मैं सदन के माध्यम से शासन का ध्यान उक्त अविलम्बनीय लोकमहत्व विषयक सूचना के जरिये निम्नलिखित तथ्यों की ओर आकृष्ट करते हुये अनुरोध करता हूं कि संत कबीर नगर की चिकित्सा सेवाओं में तत्काल व्यापक सुधार किया जाय ताकि व्यापक जनहित को लाभ पहुंच सके--

1--संत कबीर नगर में जिला चिकित्सालय की अभी तक स्वीकृति नहीं हो पायी है।

2--संत कबीर नगर में जिला चिकित्सालय के लिये पैरा मेडिकल एवं अन्य स्टाफ के पदों की अभी तक शासन द्वारा स्वीकृति नहीं जारी की गयी है।

3--संत कबीर नगर में जिला चिकित्सालय के निर्माण हेतु अभी तक शासन द्वारा धन अवमुक्त नहीं किया गया है।

4--सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खलीलाबाद (संत कबीर नगर) को जिला अस्पताल की तरह से मानकर कार्य लिया जा रहा है जबकि वहां सुविधायें मात्र तहसील स्तरीय चिकित्सालय की ही है जैसे पैथालोजी लैब आदि की सुविधा बहुत ही कम है। अल्ट्रासाउण्ड की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां ई0सी0जी0 की सुविधा नहीं है। वहां ब्लड बैंक की सुविधा नहीं है।

5--संत कबीर नगर में जिला चिकित्सालय के नाम पर कुछ चिकित्सकों की तैनाती की गयी है किन्तु अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ की तैनाती अभी तक नहीं हो पायी है।

6--आई0टी0ओ0एस0 प्रोग्राम के अन्तर्गत धन की उपलब्धता होते हुये भी सामानों की आपूर्ति वहां समय से नहीं की जा रही है।

कृपया जनपद;संत कबीर नगर में जिला चिकित्सालय की स्थापना करने एवं अन्य पर्याप्त चिकित्सकीय सुविधाओं, चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ आदि की व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित किये जाने हेतु अनुरोध करता हूं।]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बांदा में अन्त्योदय एवं बी0 पी0 एल0 कार्डों को बनाये जाने में हो रही धांधली रोकने एवं पात्र व्यक्तियों को ही उक्त कार्ड बनाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बाबू लाल कुशवाहा--

[जनपद बांदा के जिलाधिकारी द्वारा सम्पूर्ण बांदा जनपद में अन्त्योदय और बी0 पी0 एल0 कार्डों को निरस्त करके नये कार्ड बनाने के लिये आदेशित किया गया है, कर्मचारी व अधिकारीगण गरीब, असहाय, निर्धन, मजदूरों, विकलांगों, विधवा पात्र व्यक्तियों को न लाभान्वित करके बड़े-बड़े काश्तकारों, दबंगों व धनी लोगों को अन्त्योदय, बी0 पी0 एल0 कार्ड बनाये गये हैं जिससे अन्त्योदय व बी0 पी0 एल0 कार्डों में बेइमानी, धांधली और अनियमितताओं को लेकर पूरे जिले की जनता आन्दोलित है। यह तात्कालिक एवं लोकमहत्व का विषय है।

अत: इस अविलम्बनीय लोकहित के महत्वपूर्ण विषय पर मैं बांदा जनपद में गरीब, असहाय, निर्धन मजदूरों, विकलांग, विधवा आदि पात्र व्यक्तियों को अंन्त्योदय योजना तथा बी0 पी0 एल0 कार्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।]

वाराणसी नगर से सटे लगभग दो दर्जन गांवों के किसानों को उजाड़कर उनकी 2200 एकड़ जमीन अधिग्रहीत कर हाईटेक सिटी बनाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम कृपाल--

[वाराणसी नगर के आसपास कोरौता, दाउदपुर, ऊंचगांव, मनियारीपुर, फत्तेपुर, घाटमपुर, तुलाचक, नकईपुर आदि गांवों में सब्जी, फल, फूल और धान, गेहूं की घनीभूत खेती की जाती है। इन गाँवों में बारहों महीने खेती होती है। अधिकांश लघु और सीमान्त किसान हैं जिनकी जीविका का प्रमुख साधन उक्त खेती ही है। इस क्षेत्र की घनीभूत आबादी भी है। वाराणसी का सबसे उपजाऊ व नगदी फसल वाला क्षेत्र है।

इस क्षेत्र के लगभग दो दर्जन उक्त गांव के किसानों की 2200 एकड़ यह उपजाऊ जमीन हाईटेक सिटी के लिये किसानों को बताये व बातचीत किये बगैर चुपके-चुपके अधिग्रहीत करने हेतु जिला प्रशासन व वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा उ0 प्र0 शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। इससे लगभग 50,000 की आबादी उजड़ जायेगी तथा इनके रोजी-रोटी का कोई ठिकाना नहीं रह जायेगा। ये किसान परिवार भयंकर भुखमरी व बेरोजगारी के शिकार हो जायेंगे जो भारी अपराध होगा।

अत: आपसे निवेदन है कि तत्काल आज विधान सभा की सभी कार्यवाही रोक कर इस प्रस्ताव पर चर्चा करायी जाय और उक्त अधिग्रहण की सरासर अनुचित कार्यवाही रोककर किसानों के साथ न्याय किया जाय।]

जनपद भदोही के औराई क्षेत्रान्तर्गत अधिकांश क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रंगनाथ मिश्र--

[भदोही जनपद के तथा वाराणसी के अन्तर्गत आने वाली औराई विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की दशा बहुत ही खराब है सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है, कहना मुश्किल है जहां

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोगों का चलना मुश्किल है। वहीं धूल व कीचड़ से पर्यावरण भी खराब हो रहा है। लोगों का जीना मुश्किल है। बकवा-अझवर मार्ग, बभनौटी-ममहर मार्ग, उगापुर-मानिकपुर मार्ग, जिला से लक्ष्मण मार्ग, बड़गांव, पिलखिनी मार्ग, गोहिलांव से झउवा मार्ग, पयागापुर से हथियाडील मार्ग, नरथुआ से उपरौठ मार्ग, उगापुर से भैसहटा मार्ग, रोटहा से अनेकपुर मार्ग, वरदहा से पचपटिया मार्ग, बरवा से दसनहा मार्ग, बरवां से दुरासी मार्ग, अठगोड़वा से जगन्नाथपुर मार्ग, रामपुर मार्ग गोविन्दपुर मार्ग, दरूनहा से लठिया मार्ग, कधिया फॉटक से टिकैतपुर मार्ग, बभनौटी से खेतलपुर मार्ग, बेजता मार्ग, उगापुर से लोकमनपुर मार्ग, अभिनी मार्ग, कतवारूपुर से बभिनी मार्ग, अदमा से करधना मार्ग, भटसार गैरहा मार्ग, भिटकुरी से मटुका मार्ग, भीषमपुर से दिलावलपुर मार्ग, मिल्कीपुर से भोरमार्ग, मिल्कीपुर से सिखड़ी खंदक मार्ग, रघुनाथपुर मार्ग उपरोक्त सभी सड़कें पी0 डब्ल्यू0 डी0 की है। पिछले 10 वर्षों से रिपेयर नहीं हुई हैं।

अत: आपसे मांग करता हूं कि उपरोक्त लोकहित में सड़कों की मरम्मत सरकार से कराने की कृपा करें।]

जनपद सीतापुर के कस्बा हरगांव को हुसैन गंज पावर हाउस से सीधे विद्युत् आपूर्ति करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम हेत भारती--

[अवगत कराना है कि जनपद-सीतापुर के कस्बा हरगांव तथा आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत् आपूर्ति लखीमपुर खीरी से की जाती है जिस कारण कस्बा हरगांव वासियों को बहुत ही कम बिजली मिल पाती है। लाइन हानियों के कारण अधिकांश विद्युत् आपूर्ति ठप्प रहती है। जबकि हरगांव टाउन एरिया भी है कम विद्युत् आपूर्ति तथा लो वोल्टेज के कारण खेती किसानी पर प्रभाव तो पड़ता ही है व्यवसाय भी चौपट हो रहा है जबकि हरगांव कस्बा भी जिला मुख्यालय से दूरी मात्र 22 कि0मी0 है यदि हरगांव कस्बे को हुसैनगंज पावर हाउस से सीधे विद्युत् आपूर्ति कर दी जाय तो यह समस्या हल हो सकती है।

अतएव इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये हरगांव को सीधे हुसैनगंज पावर हाउस सीतापुर से विद्युत् आपूर्ति किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद गाजियाबाद में गढ़मुक्तेश्वर के विकसित करने हेतु वर्ष 2005-06 में पर्यटन विभाग द्वारा कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मदन चौहान--

[मान्यवर, मेरे क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर बृजघाट को हरिद्वार की तर्ज पर तीर्थ नगरी के रूप में विकसित करने की सरकार की योजना है। जिसमें कई विभागों, हापुड़ विकास प्राधिकरण व पर्यटन, सिंचाई विभाग के द्वारा कार्य कराया गया है जो गुणवत्ता के नाम पर नगण्य हैं भारी अनियमितता घोटाले के रूप में की गयी है तथा कहीं-कहीं पर कार्य नहीं किया गया है। अत: जनता से जुड़ा प्रश्न अत्यन्त लोकमहत्व का है मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्यों की प्राक्कलन के अनुसार गुणवत्ता की जांच करने के लिये प्रार्थना करता हूं।]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

जनपद बुलन्दशहर के शिकारपुर-जहांगीराबाद वाले चौराहे का सौन्दर्यीकरण कराकर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा स्थापित कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुंशी लाल गौतम--

[मेरे विधान सभा क्षेत्र शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर के शिकारपुर-जहांगीराबाद वाले चौराहे पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मा0 चौ0 चरण सिंह, किसानों के मसीहा की प्रतिमा लगवाने के लिये सरकार को नगर पालिका चुंगी जहांगीराबाद चौक पर स्थापित करने हेतु कई बार धरना व प्रदर्शन व आन्दोलन किसानों द्वारा किये गये हैं। उस चौक का सौन्दर्यीकरण कराकर किसानों के मसीहा मा0 चौ0 चरण सिंह की प्रतिमा स्थापित कराये जाने का सरकारी खर्चे पर मांग करता हूं।

अत: मैं इस लोकमहत्व के विषय पर सरकार से तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।]

श्री उदयभान करवरिया--

मान्यवर, मेरा आग्रह है, यह लड़कियों की शिक्षा से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष--

आपकी बात आ गयी। आपने अपनी बात कह ली। मैंने आपकी नोटिस को पढ़ा है और भी महत्वपूर्ण नोटिसें थीं।

श्री उदयभान करवरिया--

अध्यक्ष जी, सरकार लड़कियों की शिक्षा के लिये बहुत कुछ कर रही है, 20-20 हजार रुपये दिये जा रहे हैं। यह भी लड़कियों की शिक्षा से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष--

आप बिना अनुमति के न बोलिये। आपने अपनी बात कह ली है।

श्री उदयभान करवरिया--

मान्यवर, शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण विषय और नहीं है, मैं इस विषय को 4-5 बार उठा चुका हूं।

श्री अध्यक्ष--

बोलिये, जितना बोल पाइये।

(श्री उदयभान करवरिया के बैठ जाने पर)

विधान सभा के वर्ष 2005 के प्रथम सत्र के प्रथम गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-90 के अस्पष्ट उत्तर के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न पर मा0 अध्यक्ष द्वारा दी गयी व्यवस्था का कार्यान्वयन न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 23-8-2006 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित सात सूचनायें प्राप्त हुयीं, पहली सूचना श्री जगदीश नारायण राय की है।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री जगदीश नारायण राय--

मान्यवर, आपके द्वारा जारी प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश संख्या 65-66 के अन्तर्गत 16 फरवरी, 2006 के आपके निर्देश हैं कि 20 फरवरी तक इसका जवाब नहीं आया तो विवश होकर सदन में तलब करके जवाब दिलाना होगा।

श्री अध्यक्ष--

संसदीय कार्य मंत्री जी, बार-बार कहने के बाद भी अधिकारियों ने जवाब नहीं दिया। अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, सचिव को 31 अगस्त को, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं इसमें कई बार कह चुका हूं, उनको सदन में तलब किया जाय।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, मैं बिल्कुल सहमत हूं।

प्रदेश में स्थानीय निकायों एवं नगर पंचायतों के चुनाव कराये जाने में हो रहे विलम्ब के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

दूसरी सूचना श्री जगदम्बिका पाल और प्रमोद कुमार की है। आपका जो औचित्य का प्रश्न है, उस पर एक बार चर्चा हो चुकी है और अभी मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि जब चाहें चुनाव करा लें, सब लोग बैठकर विचार करेंगे, इसलिये अब इसका कोई औचित्य नहीं रह गया है। बैठक 5.00 बजे होगी, उसमें बात हो जायेगी। मुख्य मंत्री जी भी रहेंगे, सभी दलीय नेता रहेंगे।

*श्री जगदम्बिका पाल--

अध्यक्ष जी, यह औचित्य का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

इसमें चर्चा पूरी हो गयी है, आपका कहना था कि संविधान के अनुच्छेद के अनुसार चुनाव निश्चित समय पर होने चाहिये, यह नहीं हुआ है, इसलिये संविधान का उल्लंघन हो रहा है, मंत्री जी ने आपके प्रश्न के उत्तर में कहा कि हम चुनाव के लिये तैयार हैं, शाम को बैठकर डेट तय कर ली जाये तो शाम को बैठक होकर तय हो जायेगा।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, मैंने अपने प्रश्न पर कोई अनुपूरक नहीं पूछा है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन से स्पष्ट हो गया है कि जो अवधि, टेन्योर 5 साल निर्धारित किया गया है, उस 5 साल के समाप्त होने के पूर्व यह चुनाव हर हाल में करा लिये जायें, इसलिये यह संविधान संशोधन किया गया है। चाहे स्थानीय निकाय हों या पंचायतें हों, यहां जनप्रतिनिधियों की ही सहभागिता हो। आप देखें, कितना अन्तर आ गया है, चाहे नगर पालिक हों या नगर निगम हों, जब से प्रशासक वहां बैठे हैं, चाहे सफाई का प्रश्न हो, चाहे विकास के कार्य हों, उनके पास कई उत्तरदायित्व हैं, उनके पास रेवेन्यू का भी कार्य है, लॉ एण्ड आर्डर का भी कार्य है, प्रोटोकाल का भी है, तमाम तरह के उनके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तरदायित्व हैं। आप देखें कोई अधिकारी मिलता नहीं है, आज पूरे प्रदेश की नगरपालिकायें पैरलाइज हो गयी हैं जबकि शहरों में लोगों को इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। मान्यवर, आज प्रदेश के शहरों में जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं इसके बारे में सभी लोग सहमत होंगे कि आज प्रदेश की नगर पालिकाओं की स्थिति कितनी खराब है। जिस तरह से मानसून के समय बारिश होने से नालियों की सफाई होनी चाहिये, सीवर की सफाई होनी चाहिये वह नहीं हो रही है। आज लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। इसलिये संवैधानिक व्यवस्था के तहत जनता के द्वारा चुने हुये प्रतिनिधि होने चाहिये। आज 6 महीने हो गये और अभी भी अनिश्चितता की स्थिति है। इसलिये मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जनभावनाओं को देखते हुये मेरे इस औचित्य के प्रश्न को स्वीकार करें।

***श्री प्रमोद कुमार--**

मान्यवर, चूंकि कल यह प्रश्न उठा था लेकिन वह सही नहीं था इसलिये मैं आज इस पर बोलना चाहता हूं। मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 243-प में बहुत स्पष्ट है कि "प्रत्येक नगरपालिका, यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिये नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं।"

मान्यवर, उस दिन भी जब सदन में इस सम्बन्ध में कार्यवाही हो रही थी तो मैंने कहा था कि इसे एक दिन में न करें। लेकिन सरकार ने एक दिन में इसे लागू कर दिया और नतीजा यह हुआ कि न्यायालय ने हस्तक्षेप किया। बहुत से लोगों को मेयर के पद पर बैठा दिया गया। मान्यवर, अगर इसी में अनुच्छेद 243-3-ख देखें--"उसके विघटन की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व, पूरा किया जायेगा।" मान्यवर, यह चुनाव 5 वर्ष पूरा होने के पूर्व ही करा लिये जाने चाहिये थे। क्योंकि जिस दिन 5 वर्ष पूरा होता है तो एक जनप्रतिनिधि दूसरे जनप्रतिनिधि से चार्ज लेता है। जो भी कारण रहे हों लेकिन यह सरकार समय से चुनाव कराने में असफल रही है। आज 6 महीने बीत गये हैं फिर भी चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन यह संवैधानिक दायित्व है जिसे इस सरकार को पूरा करना चाहिये और इस संवैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिये आपके माध्यम से इस औचित्य के प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, तिवारी जी ने दो प्रश्न पूछे उसमें एक यह है कि उनका सुझाव नहीं माना गया। मान्यवर, सरकार का यह मत था कि शपथ लेने वाले दिन को पहली बैठक माना जाये। कुछ जगहों पर ऐसा हुआ भी लेकिन कुछ निगमों में यह विरोधाभास रहा और उन्होंने यह चैलेन्ज किया कि हमारी पहली बैठक वह है जो हमारे द्वारा बुलाई गयी है। लिहाजा कुछ जगहों पर यह राहत दी गयी। मात्र 10-15-20 दिनों का फर्क रहा। जहां तक आपका चुनाव के बारे में प्रश्न है, मान्यवर, सरकार ने पूरी तैयारी कर ली थी, सारी तिथियाँ भी घोषित हो चुकी थीं। उसके बाद 5 लोग इलाहाबाद हाई-कोर्ट गये और वहां पर रिट हो गयी। उसके कारण चुनाव नहीं हो सके। फिर दोबारा प्रक्रिया शुरू हुयी तो परिसीमन आदि को लेकर आपत्तियां आईं तो उनका निस्तारण किया जा रहा है। मान्यवर, हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। हम चुनाव के लिये तैयार हैं।

***वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।**

श्री अध्यक्ष---

क्योंकि मा0 मंत्री जी कह रहे हैं कि न्यायालय के आदेश से इतना विलम्ब हुआ इसलिये न्यायालय के आदेश के बाद सबके बाद में निर्णय दूंगा। अभी मैं इसको सुरक्षित रखता हूं।

प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में सात कि0मी0 सड़क निर्माण कराने सम्बन्धी मा0 मुख्य मंत्री की घोषणा का कार्यान्वयन अभी तक न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

दूसरा गौर जी का सात किलोमीटर लम्बी सड़क बनाने के सम्बन्ध में है। यह तो आश्वासन है, यह औचित्य का प्रश्न कहां बनता है ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, यह कब तक बन जायेगी इसका उत्तर दिला दें।

लोक निर्माण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)--

वैसे इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में मा0 मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि एक हफ्ते के अन्दर जो भी प्रस्ताव पहुंच जायेंगे उसमें हम स्वीकृति देंगे। लेकिन अधिकांश प्रस्ताव एक हफ्ते में नहीं आये हैं और इसके बावजूद भी जितने प्रस्ताव आते जा रहे हैं जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उनमें हम स्वीकृति दे रहे हैं।

*श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, अभी लोक निर्माण मंत्री जी ने कहा कि जितने प्रस्ताव आते जा रहे हैं इसमें स्वीकृति मिल रही है। हमारी सुनिश्चित जानकारी है कि हमने अपना प्रस्ताव दस दिन के अन्दर उपलब्ध करा दिया था, तो क्या ऐसे निर्देश देंगे कि जो अधिकारी अनावश्यक रूप से प्रस्ताव अपने पास रखे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और उसे मंगा लेंगे।

श्री शिवपाल सिंह यादव--

मान्यवर, बहुत जल्दी निर्देश दे दूंगा और मंगा लूंगा। यहां से देरी नहीं होगी।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

मान्यवर, आज प्रात:काल एक इंजीनियर मेरे क्षेत्र का आया और उसने कहा कि जो सात किलोमीटर सड़क बनानी है उसके लिये शासन ने एक धनराशि निश्चित कर दी है और वह धनराशि है 60 लाख रुपया। इसमें 60 लाख से अधिक खर्च आ रहा है लिहाजा अपने प्रस्ताव में कटौती कर दीजिये। मेरा केवल इतना कहना है कि सात किलोमीटर सड़क बनाने के लिये क्या सरकार ने कोई धनराशि नियत करी है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठ जायें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, एक तो कृपापूर्वक सात किलोमीटर लम्बी सड़क स्वीकृत हुई। हुकुम सिंह जी टाईम के पंक्च्यूअल हैं उन्होंने प्रस्ताव भेज दिया समय से। लेकिन अब इसमें वाद-विवाद न करें। जब मा0 मंत्री जी की तरफ से आश्वासन आ गया है तो अब यह कहना उचित नहीं है।

लोक निर्माण विभाग द्वारा मानक से कम रेट पर टेण्डर स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

मैं अगली मद ले रहा हूं, जो माननीय राम इकबाल सिंह जी की है। इसे राम इकबाल सिंह जी ने उठाया था और इसमें मा0 मंत्री जी ने कहा था कि सब लोग बैठकर तय कर लें फिर यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। इसमें यह बात आयी थी कि लो रेट पर टेन्डर उठ जाता है और बाद में काम नहीं करते हैं छोड़ कर चले जाते हैं, कोई न कोई बहाना करते हैं तो इस पर विचार करेंगे आप ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)--

मान्यवर, मैंने पहले तो आपके यहां एक बैठक बुलाई थी उसमें विचार भी कर रहे हैं और उस पर विचार आपके आदेशानुसार कर रहे हैं और जहां पर भी ऐसी समस्या है वहां पर हम विभाग द्वारा ही काम करा देंगे वहां पर टेण्डर की फिर कोई जरूरत नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, दूसरा था, रामहेत भारती जी का, तो यह कोई प्रश्न ही नहीं है, यह नियम 300 में है ही नहीं।

प्रक्रिया नियमावली के नियम 311 की व्याख्या किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

अब डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी आप अपनी बात कहें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, कार्य संचालन नियमावली में नियम 311 की व्यवस्था है और उसमें उसकी कुछ बाध्यतायें भी हैं, नम्बर एक अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव नियमों के निलम्बन का आयेगा फिर यह भी है कि यदि अध्यक्ष जी सहमत हो जायेंगे तो नियम निलम्बित होंगे फिर उसके अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया भी माननीय अध्यक्ष द्वारा विहित की जायेगी। यह उसकी व्यवस्था है, लेकिन सामान्यत: या तो हम लोगों को अभी उसकी प्रक्रिया का पूरा ज्ञान नहीं है क्योंकि जब कभी भी नियम 311 का प्रश्न आपके समक्ष आता है तो आप उसको कहते हैं कि यह नियम 311 में स्वीकार नहीं होगा, यह नियम 56 में परिवर्तित कर रहे हैं या अस्वीकृत कर रहे हैं, मैं केवल इतना इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से जानना चाहता हूं कि सामान्यत: प्रस्ताव को अध्यक्ष की सहमति भी नहीं मिलती, नियमों का निलम्बन भी नहीं होता तो फिर प्रक्रिया के विनिश्चित होने का प्रश्न नहीं। तीन बाध्यतायें हैं, तीनों बाध्यतायें होती नहीं हैं। तब प्रथम दृष्टया यह जो विसंगति है तो यह

नियम 311 इस नियमावली में किस उद्देश्य से है ? एक तो हम यह जानना चाहते हैं और इसके अन्तर्गत प्रस्ताव करने की और नियम को पूछने की क्या प्रक्रिया है ? और एक बात और मैं इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से आपसे जानना चाहता हूं कि नियम 311 में कौन-कौन से विषय हैं ? और उसकी किस ग्रेविटी पर आ सकते हैं ? यह अगर स्पष्ट हो जाये तो कम से कम सदन के सदस्यों को सुविधा होगी या अगर इन सबकी आवश्यकता नहीं है तो फिर 311 स्वीकार ही नहीं होना है तो फिर 311 को नियमावली से विलोपित कर दिया जाय, यह इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से अपनी जिज्ञासा को शान्त करना चाहता हूं।

श्री विद्या सागर गुप्ता--

मान्यवर, मैं थोड़ा लेट हो गया, समय से नहीं आ सका।

श्री अध्यक्ष--

आप नहीं थे, मैंने तो तीन बार आपका नाम पुकारा, चारों तरफ देखा, दो मिनट प्रतीक्षा भी किया, लेकिन जब आप नहीं आये तो हमने आपकी जगह पर दूसरा ले लिया, आप कल दे दीजियेगा।

देखिये माननीय बाजपेयी जी अगर नियमावली पढ़ेंगे तो उसमें पहले ही लिखा है कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकता है, अध्यक्ष की सम्मति से यानी बिना अध्यक्ष की सम्मति के प्रस्ताव लाया नहीं जा सकता है और किसी नियम या सदन के किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित कर दिया जाय और यदि प्रस्ताव उस समय निलम्बित कर दिये जायेंगे तो यह प्रश्न की गम्भीरता और उसकी ग्राह्यता और उसका क्या महत्व है, क्या नियमों में कोई ऐसा प्राविधान नहीं है जिसमें यह आ सकता है, इन सारी परिस्थितियों को देखते हुये अध्यक्ष जब अपनी सम्मति देंगे तभी लाया जा सकता है इसलिये इस परम्परा को थोड़ा कम करना चाहिये और अगर आपकी बड़ी जिज्ञासा है और इसके बारे में कोई नई बात चाहते हैं और कोई नई बात करना चाहते हैं तो नियम समिति है उसमें आप प्रस्ताव करिये विचार हो, ठीक है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, इसमें यह लिखा हुआ है कि अध्यक्ष की सम्मति से सम्मति लेने की प्रक्रिया क्या है वह तो बता दें। अभी तक प्रक्रिया यह है कि हम दस बजे तक संसदीय में सूचना दे देते हैं चार प्रतियों में और सब देते हैं और अध्यक्ष की सम्मति लेना चाहते हैं, तभी सदन में हमारी सुनी जाती है। तो उसी में से यह माना जाता है कि अध्यक्ष जी की सम्मति मिलेगी। अगर मान्यवर, उसके ऊपर अलग से कोई प्रस्ताव लगाने की परम्परा हो तो वह लगायें या फिर एक दिन पूर्व आपकी मान्यवर, हम सम्मति प्राप्त कर लें फिर अगले दिन अपनी सूचना संसदीय अनुभाग में दें।

मान्यवर, जहां तक मुझे याद है और पुस्तकालय में मैंने देखा, प्रतिपक्ष की ओर से दी गयी नियम 311 के अन्तर्गत की सूचना कभी भी माननीय अध्यक्ष द्वारा स्वीकार नहीं हुई है। मान्यवर, क्या कभी जनहित की कोई आवश्यकता नहीं रही होगी, या सूचनाओं में कोई ग्रेविटी नहीं रही होगी। आपके द्वारा अभी विशिष्ट शब्द इस्तेमाल किया गया है तो उस विशिष्ट में मान्यवर, कौन-कौन से विषयों का समावेश होगा। या तो आप इसे नियम समिति के अन्तर्गत रखकर विचार कर लें उसकी बैठक अप आयोजित कर लें।

श्री अध्यक्ष--

यह इसमें लिखा है कि अध्यक्ष की सम्मति से इसे लाया जा सकता है, अध्यक्ष इसमें अपना एप्रूवल देंगे। आप तो पहले ही प्रस्ताव भेज देते हैं। आप खुद कह रहे हैं कि जब से नियम 311 बना है तब से कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया है। मैंने आपसे कहा कि जब नियमों में व्यवस्था नहीं हो किसी विषय को उठाने के लिये तब नियम 311 के अन्तर्गत विशिष्ट शक्तियां होती हैं। जब नियमों में सारे प्राविधान हैं 56 में प्राविधान हैं। आप 311 में देते हैं। जब भी कोई ऐसी बात आयेगी हम उस पर खुद विचार कर लेंगे। फिर आप क्यों परेशान हैं ?

अगली सूचना डा0 पी0 के0 राय जी की है यह कहां से नियम 300 में आती है। जनपद कुशीनगर के 132 के0 वी0 ए0 विद्युत् केन्द्र बरवा, राजा पाकड़ पर 20 एम0 वी0 ए0 का ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में है। यह सूचना इसमें कहां आती है ?

अब मद संख्या 6 ले लेते हैं इसमें वक्तव्य है, वह अभी नहीं आया है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री श्याम देव राय चौधरी--

मान्यवर, पहले मद संख्या 5 ले लें।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है। मद संख्या 5 लेते हैं।

कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश की सूचना को लेते हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2006 की बैठक में विधान सभा में दिनांक 23 अगस्त, 2006 से 31 अगस्त, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिशें की हैं--

1--दिनांक 25 अगस्त, 2006 को नियम 56 तथा 311 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायं।

2--दिनांक 26 अगस्त, 2006 से 29 अगस्त, 2006 तक सदन के उपवेशन न हो।

3--दिनांक 30 तथा 31 अगस्त, 2006 को सदन के उपवेशन हो।

4--दिनांक 23 अगस्त, 2006 से 31 अगस्त, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय--

अगस्त, 2006

23 बुधवार 1--निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण--

(क) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 (आधा घण्टा)

(ख) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक, 2006 (आधा घण्टा)

2--प्रदेश में बढ़ते आतंकवाद और बिगड़ती कानून-व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री लालजी टण्डन, श्री केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री हुकुम सिंह, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री भारतेन्द्र सिंह, श्री उदयभान करवरिया,

श्री मुन्शी लाल गौतम, डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा, श्री लल्लू सिंह, श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल, श्री श्याम सूरत उपाध्याय, श्रीमती लुईस खुर्शीद, श्रीमती अमीता सिंह, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री दद्दू प्रसाद, श्री आर0 के0 सिंह पटेल, श्री बाबू लाल कुशवाहा, श्री शिवचरण प्रजापति, श्री धूराम चौधरी तथा डा0 सुशील चौधरी, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचनाओं पर नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा (एक घण्टा)।

24 गुरुवार 1--वित्तीय वर्ष 2006-2007 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

2--विधायी कार्य।

25 शुक्रवार विधायी कार्य।

26 शनिवार
27 रविवार
28 सोमवार
29 मंगलवार } बैठक नहीं होगी।

30 बुधवार
31 गुरुवार } बैठक होगी।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा है, उससे यह सदन सहमत है।

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

जनपद बुलन्दशहर के थाना अगौता में डकैतों द्वारा फौजी जसबीर के घर पर डकैती डालने एवं उनकी हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री मुंशीलाल गौतम द्वारा नियम 56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष--

यह वक्तव्य आया नहीं है इसको स्थगित करता हूं, लेकिन आना चाहिये था। दूसरा श्री जगदीश नारायण राय और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का है--

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, इसको आप देख लें। निर्धारित वक्तव्य पर टिप्पणी आई है वक्तव्य नहीं आया है। आना तो वक्तव्य था टिप्पणी आई है तो क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह टेक्निकल बात है। विभाग द्वारा ऐसा नहीं लिखा जाना चाहिये। इस प्रकार भविष्य में न किया जाय। संसदीय कार्यमंत्री जी जब इस प्रकार का प्रलेख कोई हो तो नीचे के अधिकारियों को हिदायत दी जाय कि इस तरह की बात न लिखा करें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, सबकी डांट मुझ पर ही पड़ जाती है।

श्री अध्यक्ष--

संसदीय कार्य मंत्री का बहुत बड़ा योगदान विधान सभा के संचालन में होता है।

प्रदेश में भ्रष्टाचार व खाद्यान्न घोटाले से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री जगदीश नारायण राय, श्री रंग नाथ मिश्र आदि द्वारा नियम 56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री राजपाल त्यागी)--

माननीय सदस्यगण विधान सभा द्वारा दिनांक 17-5-2006 को नियम 56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में जनपद सीतापुर के विकास खण्ड सकरन एवं रेउसा में सम विकास योजना/काम के बदले अनाज योजनान्तर्गत कराये . . . . (व्यवधान)

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

मान्यवर, मंत्री जी टिप्पणी पढ़ रहे हैं या वक्तव्य पढ़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैंने पहले ही कह दिया कि इस प्रकार की बात नहीं आनी चाहिये भविष्य में इस प्रकार की बात का ध्यान रखा जाय।

यह जो आपने वक्तव्य दिया है, यह मेरे पास है और आप कोई दूसरा पढ़ रहे हैं।

यह मैं स्थगित करता हूं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, क्षमा चाहते हुये मैं पढ़ देता हूं।

श्री अध्यक्ष--

मैंने स्थगित कर दिया है, अब यह स्थगित हो गया है।

श्री राजपाल त्यागी--

मान्यवर, जो वक्तव्य वितरित किया गया है वही पढ़ रहा था और नम्बर 2 पर आ गया था, मेरी बात शोरगुल में चली गयी।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा फिर से पढ़िये।

श्री राजपाल त्यागी--

मान्यवर, माननीय सदस्यगण विधान सभा द्वारा दिनांक 17-5-2006 को नियम 56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में जनपद सीतापुर के विकास खंड सकरन एवं रेउसा में सम विकास योजना/काम के बदले अनाज . . . . .

(कई सदस्यों द्वारा पढ़ा मान लिये जाने का अनुरोध करने पर)

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

*श्री राजपाल त्यागी--

[योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों तथा बिसवां रेउसा मार्ग पर स्थित सरैया तालाब से सीताराम पुरवा, ड्रेन मूरतपुर ग्राम स्थित पुलिया के दोनों ओर स्थित ड्रेन एवं रेउसा मोहम्मदाबाद रोड पर स्थित करौत से चिरैया ड्रेन तथा गंगापुर से केवटाना वाया बिसनी ड्रेन की फर्जी खुदाई व भुगतान के नाम पर करोड़ों रुपये के घोटाले से सम्बन्धित कार्यों की जांच हेतु गठित टीम को जांच का कार्य पूरा न करने देने एवं जांच टीम के सदस्यों के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने तथा दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने का उल्लेख किया गया है।

2--इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, सीतापुर से आख्या प्राप्त की गयी। जिलाधिकारी, सीतापुर ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय सम विकास योजना/राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजनान्तर्गत विकास खण्ड सकरन एवं रेउसा में कराये जा रहे कार्यों का निरीक्षण जिला विकास अधिकारी, सीतापुर, द्वारा दिनांक 1-4-2006 को किया गया। जिला विकास अधिकारी, सीतापुर के सत्यापन/जांच आख्या प्राप्त होने पर वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, सीतापुर द्वारा कराये गये ड्रेन निर्माण कार्यों की विस्तृत जांच हेतु जिलाधिकारी, सीतापुर द्वारा दिनांक13-4-2006 को एक तकनीकी समिति गठित की गयी। इस समिति में परियोजना निदेशक, सीतापुर, अधिशासी निदेशक शारदा नहर प्रखण्ड, सीतापुर, जिला अभियन्ता, जिला पंचायत सीतापुर एवं अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड सदस्य हैं। इस समिति द्वारा उक्त योजनाओं में कराये गये कार्यों की मौके पर जाकर स्थलीय सत्यापन/जांच कर आख्या प्रस्तुत की गयी। संयुक्त जांच आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि जिन कार्यों का समिति द्वारा सत्यापन/जांच की गयी, वह सभी कार्य स्वीकृत प्राक्कलन और माप पुस्तिका में अंकित मापों के अनुरूप पाये गये। कार्य की गुणवत्ता एक वर्ष बाद भी अच्छी पायी गयी जिससे यह स्वत: स्पष्ट है कि उक्त किसी भी कार्य पर अपव्यय/दुरुपयोग नहीं हुआ है। यह भी अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय सम विकास और राष्ट्रीय काम के बदले खाद्यान्न योजनान्तर्गत मूरतगंज गांव के निकट कोई ड्रेन न तो योजना में स्वीकृत है, न प्रस्तावित है और न ही कोई कार्य हुआ है।

3--जिला विकास अधिकारी द्वारा किये जा रहे निरीक्षण के दौरान ई0टी0वी0 के न्यूज चैनेल के संवाददाता तथा अन्य लोगों के साथ की गयी मारपीट के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक सीतापुर ने अवगत कराया है कि इस घटना के प्रकरण में थाना-थानगांव में वादी श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव,

---

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निवासी तरीनपुर, थाना कोतवाली सीतापुर की सूचना के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 61/06 धारा 147/352/307/504/506/332/44 भा0द0वि0 के अन्तर्गत श्री दिनेश प्रताप सिंह, श्री अजय प्रताप सिंह एवं एक दर्जन अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत कर चार व्यक्तियों को निरुद्ध कर जेल भेज दिया गया। दो अभियुक्तों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय से अपनी गिरफ्तारी पर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है। सभी आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।]

(इस समय 12 बजकर 47 मिनट पर अधिष्ठाता, डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी पीठासीन हुये।)

नियम 311 का नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अधिष्ठाता--

आज दिनांक 23 अगस्त, 2006 को नियम 311 की एक सूचना को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम 56 के अन्तर्गत कुल 31 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं। जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयीं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना श्री शिव तपस्या पासवान की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र चकिया में पी0सी0एफ0 द्वारा किसानों के धान खरीद का धन न चुकता किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना कुंवर भारतेन्द्र सिंह की जनपद बिजनौर स्थित सरकारी चीनी मिलों द्वारा किसानों के सरकार द्वारा घोषित मूल्य न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, तीसरी सूचना श्री सुखदेव राजभर, श्री जगदीश नारायण राय, श्री अनिल कुमर मौर्य की प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में, चौथी सूचना श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार, श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री अजय कपूर की प्रदेश के असहायित मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों को सरकार द्वारा अनुदान सूची में न लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, पांचवीं सूचना डा0 विनोद तिवारी की जनपद पीलीभीत स्थित शारदा नदी के कटान से गांवों को बचाने हेतु आवास योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में और छठीं सूचना श्री चन्द्रदेव राम यादव की जनपद आजमगढ़ स्थित मुबारकपुर विधान सभा क्षेत्र में अपराधियों द्वारा आतंक फैलाये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं हुयीं, अतः अस्वीकृत हुयी। इनके नाम हैं, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री हुकुम सिंह, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री नवाब सिंह नागर, मो0 इरशाद खान, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री लालजी वर्मा, श्री रंगनाथ मिश्र, श्री राजेश कुमार, श्री कालीचरण राजभर, श्री श्रीराम भारती, श्री अशोक सिंह चौहान, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री आर0 के0 सिंह पटेल, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री रामहेत भारती, श्रीमती विद्या चौधरी, श्रीमती कृष्णा पासवान, श्री मुंशी लाल गौतम, श्री सुन्दर सिंह, श्री देवकी नन्दन कोरी, श्री राम इकबाल सिंह, श्री राम कृपाल, श्री प्रागी लाल अहिरवार, श्री हरि प्रताप सिंह, श्री विद्या सागर गुप्ता, डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, श्री सतीश महाना, श्री लल्लू सिंह, श्री अमर सिंह यादव, श्री मुकुल उपाध्याय, श्री प्रमोद गौड़, डा0 सुशील चौधरी, श्री कौशल किशोर।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

पहले जिन सदस्यों की सूचनायें स्वीकृत हुयी हैं, वह बोलेंगे।

श्रीमती कृष्णा पासवान--

मान्यवर, कल भी मैंने नियम 56 में अपनी सूचना लगाई थी, तो कल कहा गया था कि आप आज दे दीजियेगा, आज सुन लिया जायेगा। आज भी मैंने नियम 56 में अपनी सूचना लगाई है, आज भी उसे नहीं लिया गया है।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है, बाद में सुन लेंगे।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

पाल साहब आपकी सूचना चौथे नम्बर पर है।

श्री जगदम्बिका पाल--

इसे पहले सुन लें।

श्री अधिष्ठाता--

जिस क्रम से चयनित हुई हैं उसी क्रम से सुना जायेगा।

श्री शिव तपस्या पासवान--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में धान की खरीद पी0सी0एफ0 द्वारा की गयी थी लेकिन पी0सी0एफ0 केन्द्रों पर आज तक किसानों के धान की चुकतायें नहीं की गयी है। आज किसानों ने धान की रूपाई भी कर ली है, वह आज सूखे की चपेट में भी आ गया है लेकिन फिर भी कई ऐसे पी0सी0एफ0 केन्द्र हैं, जहां पर किसानों के धान का पैसा चुकता नहीं किया गया है। मान्यवर, पी0सी0एफ0 केन्द्रों के नाम बता देता हूं। शहाबगंज पी0सी0एफ0 केन्द्र में 15 लाख रुपया किसानों का बकाया है, सैदपुर में 7 लाख रुपया, उतरौत में 11 लाख रुपया, चकिया में 4 लाख रुपया, शिकारगंज में 1 लाख रुपया और खरौझा पी0सी0एफ0 केन्द्र में 7 लाख रुपया, सिकन्दरपुर में 5 लाख रुपया किसानों का बकाया है। किसान आज भुखमरी के कगार पर खड़ा है। मैं इस सदन के सदस्य के रूप में इन किसानों की ओर से आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि जितने भी किसानों का धन बकाया है, उसका भुगतान कराने की कृपा करें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, परीक्षण करा लेंगे और अगर नहीं हुआ होगा तो भुगतान करायेंगे।

*कुँवर भारतेन्द्र सिंह--

मान्यवर, आपने इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर कार्यस्थगन के माध्यम से मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, 3 मार्च को यह शासनादेश सरकार के गन्ना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसानों के लिये किया था, मैं इसे पढ़कर सुना देता हूं "राज्य चीनी निगम एवं चीनी मिल संघ को पश्चिम उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य परामर्शित मूल्य के अतिरिक्त प्रोत्साहन स्वरूप इंसेंटिव दिये जाने के सम्बन्ध में।" मान्यवर, इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को अपने किसानों को 13 रुपये अतिरिक्त इंसेंटिव देने का अधिकार दिया गया था। हमारे क्षेत्र में 9 चीनी मिलें हैं प्राईवेट चीनी मिलों ने औसतन 142-145 रुपये प्रति क्विंटल का रेट दिया है, जबकि सरकारी मिलों ने 115-120 रुपये प्रति क्विंटल का रेट दिया है। इस शासनादेश के बाद रमाला चीनी मिल ने 13 रुपये का अतिरिक्त पैसा दे दिया है, मतलब बिजनौर जिले के आसपास और बिजनौर जिले में जो निजी चीनी मिलें हैं उन सबने भुगतान हायर रेट पर कर दिया है यहां तक कि सरकारी चीनी मिल रमाला ने भी कर दिया है। पिछली बार मान्यवर, आपने मुझे आश्वासन दिया था।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, गन्ना मंत्री स्वयं सदन में मौजूद हैं, इसलिये आपकी बात सुनकर वह स्वयं ही जवाब देंगे।

कुँवर भारतेन्द्र सिंह--

मान्यवर, पिछले सत्र में एक प्रश्न के जवाब में आपने आश्वासन दिया था कि यह जो शासनादेश है, यह गन्ना किसानों के हित में लाया गया है। अब जो शासनादेश का विषय है, उसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश लिख दिया गया है और नीचे पश्चिमी क्षेत्र लिख दिया गया है, जरा से शब्दों के हेरफेर में अधिकारी किसानों को घुमा रहे हैं। माननीय गन्ना मंत्री के क्षेत्र की जो चीनी मिल है, चांदपुर चीनी मिल, वहां के किसान 13 रुपये के लाभ से वंचित रह गये हैं। चांदपुर चीनी मिल लाभ में है, बिजनौर की चीनी मिल लाभ पर है और नजीबाबाद की जो तीन सरकारी मिलें हैं, उनमें नजीबाबाद की मिल भी लाभ में है। मान्यवर, यह लगभग 22 करोड़ रुपये के लाभ में है। मान्यवर, हमारी सारी चीनी मिलें लाभ में चल रही हैं, तब भी किसानों को इस लाभ से वंचित क्यों रखा जा रहा है ? और इस प्रश्न की गम्भीरता इस वजह से बन जाती है और दुखद भी हो जाती है कि स्वयं गन्ना राज्य मंत्री हमारे ही जिले के हैं और अपने ही चीनी गिल के, अपने क्षेत्र के किसानों को लाभ नहीं दिलवा पा रहे हैं। इस विषय पर पिछली बार एक प्रश्न के दौरान माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि निश्चित ही भुगतान कर दी जायेगी लेकिन मान्यवर, आज तक भुगतान नहीं हो पाया है। इस अविलम्बनीय और लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

गन्ना विकास राज्य मंत्री (स्वामी ओइमवेश)--

अभी माननीय सदस्य ने जो बातें रखी हैं इसके बारे में गम्भीरता से विचार किया जा रहा है और जो भी किसानों के लिये हो सकता है वह करेंगे।

कुँवर भारतेन्द्र सिंह--

मान्यवर, गम्भीर विषय है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी पिछले सत्र में आश्वासन दे चुके हैं। माननीय मंत्री जी के अपने क्षेत्र के किसानों के साथ अन्याय है, उनके क्षेत्र के मिल के किसानों के साथ अन्याय है। आसपास की सभी मिलों को 13 रुपये प्रति क्विंटल दे दिया है, रमाला चीनी

मिल ने भी दे दिया है तो फिर बिजनौर चीनी मिल को क्यों वंचित रख रहे हैं। सारी चीनी मिलें लाभ में हैं। पिछली बार कहा था कि निर्देशित कर देंगे, आश्वासन भी दिया गया है। दूसरा सीजन शुरू होने वाला है।

स्वामी ओइमवेश--

गम्भीरता से विचार हो रहा है, किसानों को वंचित नहीं रखा जायेगा। इस पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां--

अधिष्ठाता महोदय, जिस आश्वासन की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं वही आश्वासन लगभग गन्ना राज्य मंत्री जी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि विचार कर रहे हैं। आप यह मानकर चलिये कि विचार आपके पक्ष में जा सकता है।

श्री हुकुम सिंह--

जो चिन्ता है वह यह है कि अगस्त का महीना खत्म होने जा रहा है, अक्टूबर में दूसरा सीजन शुरू हो जायेगा। पिछले सत्र का पैसा आश्वासन के बाद भी नहीं मिला और अगला सीजन शुरू होने वाला है। आप समयबद्ध बता दें कि एक महीने, दो महीने का समय निर्धारित कर दें कि इस अवधि में पैसा मिल जायेगा।

श्री अधिष्ठाता--

गन्ना राज्यमंत्री जी, कुछ कहना चाहेंगे ?

(गन्ना राज्यमंत्री जी के कुछ कहने पर)

कुंवर भारतेन्द्र सिंह--

मान्यवर, गम्भीर मामला है इसलिये कृपापूर्वक अनुरोध है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने पिछली बार आश्वासन दिया था, वह बहुत गम्भीर रहते हैं, कैसे इस पर कार्यवाही नहीं हुई। इस पर कृपा पूर्वक विचार कर लें।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, हमारे साथी ने चाहा है कि मैं कुछ कहूं, मैंने पहले ही कहा कि माननीय मंत्री जी खुद मौजूद हैं उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि विचार कर रहे हैं। हमें अच्छी ही उम्मीद रखनी चाहिये। मैं भी आपकी तरफ से सिफारिश कर रहा हूं।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, इतना कर दें कि किसानों को बाद में दे दें, मा0 गन्ना राज्यमंत्री जी का हक पहले दे दें। वह जो कुछ भी कहे हैं, कर भी पायेंगे या नहीं ? अगर अधिकार होता तो आज ही कह देते। मैं उनको जानता हूं वह बहुत मजबूती से कह देते, वह प्रयास में रहते हैं लेकिन आपने अधिकार नहीं दिया है। सारे अधिकार समेट कर किरन पाल सिंह जी और आप लोग बैठ गये हैं। माननीय गन्ना राज्यमंत्री जी आश्वासन दे तो दें लेकिन आश्वासन का होगा क्या जब अधिकार ही नहीं है।

(श्री सुखदेव राजभर को पुकारे जाने पर)

श्री जगदम्बिका पाल--मान्यवर, सुन लीजिये।

*श्री राम इकवाल सिंह--

मान्यवर, आपने मेरी सूचना को निरस्त कर दिया है। बच्चों का एडमीशन नहीं हो रहा है। 30 हजार लड़के इंटरमीडिएट पास हुये हैं। इनमें से अधिकांशत: फर्स्ट डिवीजन पास हुये हैं।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने श्री राजभर जी को बुलाया है।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, आप निर्णय कर लें। आप इतनी गंभीर चीजों को निरस्त कर देते हैं। आखिर क्या सुनाया जाय आप बतायें ? कल लड़कों ने कलेक्टर के चेम्बर में ताला बंद कर दिया, जिला पंचायत को लाकअप कर दिया। 24 हजार लड़के जिले में इस कोने से उस कोने तक दौड़ रहे हैं, कहीं रोड रोक रहे हैं, कहीं ट्रेन रोक रहे हैं। पूरी अराजकता पैदा हो गयी है। यह बात मैंने पहले भी कही थी कि इतने लड़कों को पास कराया जा रहा है आखिर इनका दाखिला कहां होगा ?

श्री अधिष्ठाता--

आप आसन ग्रहण करिये ?

श्री राम इकवाल सिंह--

मान्यवर, आप सरकार से कुछ कहलाइये।

श्री अधिष्ठाता--

राम इकबाल जी आप विराजिये।

श्री राम इकबाल सिंह--

सरकार से इस पर कुछ कहलायेंगे।

श्री अधिष्ठाता--

नहीं, मैं सुखदेव राजभर को बुला चुका हूं। आपकी सूचना निरस्त हो चुकी है।

श्री सुखदेव राजभर--

अधिष्ठाता महोदय, मैं जिस समस्या को नियम-56 के अन्तर्गत लाया हूं आपने उसको स्वीकार किया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं। गरीब शिक्षकों के बारे में आपने मुझे सदन के अंदर नियम-56 में कहने का अवसर दिया इसके लिये आभारी हूं। मैं ऐसी संस्थाओं के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, यह बहुत पहले से तरीका बना कि दलित और पिछड़े इलाकों में कुछ ऐसे विद्यालय खोल दिये जायेंगे और वह अनुदानित भी किये जायेंगे। वहां के प्रबन्धक लोगों ने अपने पैसे से कच्चे और पक्के मकान बनाकर उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां दलित और पिछड़े लोगों की आबादी ज्यादा है वहां पर ऐसे विद्यालय बनाये। इसके बारे में शासन ने बहुत पहले निर्णय लिया था। खुले बीच में तमाम विद्यालय अनुदान सूची में भी आते रहे। इन विद्यालयों में मुख्यत: पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के बच्चे अध्ययन करते हैं। ऐसे विद्यालयों में बी0 टी0 सी0 और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पढ़े लिखे लोग 100-200-300 रुपये पर पढ़ाते हैं। यह विद्यालय चलते रहे और कुछ विद्यालय अनुदान सूची पर लिये गये और वह समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित हैं। इन विद्यालयों में 100-200 रुपये पर लोग 10-15 सालों से पढ़ा रहे हैं। यह अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलित हैं बीच में और भी सरकारें आयीं लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। 1993 में इनको अनुदान सूची में लिया गया था। आप वहां जाकर पता लगा लें कि फटी हुई धोती और कुर्ता पहन कर यह गरीब अध्यापक वहां पर पढ़ रहे हैं। उनको परिषद् द्वारा मान्यता भी प्राप्त हो गयी है। कुछ अध्यापक ऐसे हैं जो सेवा निवृत्ति की कगार पर आ गये हैं। इस मंहगाई में 200-300 रुपया कुछ नहीं होता है। मैं उनकी वेदना को व्यक्त कर रहा हूं। सरकार इस संबंध में जरूर कुछ विचार कर ले। जब आप विधान भवन के सामने जायेंगे वह अध्यापक जो सेवा निवृत्त के कगार पर हैं वह फटे कुर्ते पाजामें के साथ विधान भवन के सामने बैठे हैं। सरकार जब तमाम जनहित के काम कर रही है तो ऐसे विद्यालयों को भी आवर्तक अनुदान सूची में शामिल कर लिया जाय। मैं मानवीय आधार पर आपसे निवेदन कर रहा हूं । वह अध्यापक उसी तरह से पठन पाठन कर रहे हैं, उनके बच्चों की परीक्षाएं हो रही हैं। परिषद् द्वारा उनको छात्रवृत्तियां भी मिल रही हैं मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं मंत्री जी शासन के पास धन है। एक मानवीय आधार पर ऐसे विद्यालय जो गरीबों, पिछड़ों, दलितों की बस्तियों में चल रहे हैं जो अपने संसाधनों से गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं ऐसे विद्यालय 14-14, 15-15 साल से चल रहे हैं उनके लिए निवेदन कर रहा हूं कि ऐसे विद्यालयों को भी अनुदान सूची में ले लिया जाय जिससे उन विद्यालयों के अध्यापक जो फटे कपड़ों में पढ़ाने का काम करते हैं उनके आंसू पोंछने का काम हो सके। इसकी ग्राह्यता साबित है विधान सभा के सामने उदास चेहरे वाले फटे कपड़ों वाले अध्यापक बैठे हैं जो पठन पाठन में कुशल हैं उनके यहां के छात्र भी कक्षा-6, 7 में प्रवेश कर रहे हैं ऐसे विद्यालयों के अध्यापकों जिनकी जिन्दगी तबाह है इन विद्यालयों को आवर्तक सूची में शामिल करने पर सरकार विचार कर लें। मानवीय आधार पर मैं निवेदन कर रहा हूं इसलिए उन विद्यालयों को आवर्तक सूची में शामिल करने के लिए मैं कार्य स्थगन की सूचना लाया हूं। इसकी ग्राह्यता है मानवीय आधार पर ग्राह्यता है उन विद्यालयों के शिक्षकों के भरण-पोषण के लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। इसकी चर्चा भी करा लें। और कहीं न कहीं शासन का ध्यान आकृष्ट करा लें। अधिष्ठाता महोदय, आप भी विद्वान हैं आप इन शिक्षकों के दर्द को समझते हैं। ऐसे विद्यालयों को भी आवर्तक सूची में अनुदान सूची में लाने के लिए सरकार विचार करेगी इतना कहना है इसीलिए मैं बार-बार निवेदन कर रहा हूं।

बेसिक शिक्षा मंत्री (किरन पाल सिंह)--

अधिष्ठाता जी, जो राजभर जी काम रोको प्रस्ताव लाए हैं यह समाज कल्याण विभाग का स्कूल चलता है। सरकार इसके बारे में पूरी तरह से गम्भीर है, उनसे वार्ता भी कर रहे हैं। जो भी सीमित संसाधन हैं उनके अनुसार सरकार निर्णय करेगी।

(श्री जगदम्बिका पाल का नाम पुकारे जाने एवं उनके स्थान पर श्री प्रमोद कुमार के खड़े होने पर)

नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)--

अधिष्ठाता जी, क्या यह पाल साहब बोल रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता--

पाल साहब ने अपना नम्बर दिया है।

श्री जगदम्बिका पाल--

मतभेद आपके यहां ही है हमारे यहां हम लोग एक सिक्के के दो पहलू हैं।

श्री हुकुम सिंह--

यह कौन वाला पहलू है ?

श्री प्रमोद कुमार--

इस समय तीसरे यहां बैठे नहीं हैं। अधिष्ठाता महोदय एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की ओर सम्पूर्ण सदन का ध्यान विशेष रूप से बेसिक शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, बात भारत के संविधान से शुरू करना चाहता हूं। संविधान का अनुच्छेद 41 और 45 बहुत स्पष्ट है। मैं अनुच्छेद 45 पढ़ कर सुना देता हूं। इसमें लिखा है कि राज्य, इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबन्ध करने का प्रयास करेगा। मान्यवर, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है और भारत का संविधान कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर भी मान्यवर, यही कहता है कि शिक्षा पर सबका अधिकार है, शिक्षा सबकों मिलनी चाहिए। इसीलिये मान्यवर, जब राज्य के संसाधन पूरे नहीं पड़े तो एक इस आश्वासन पर, एक इस व्यवस्था पर समाज से जुड़े हुए लोग, समाजसेवी लोग शिक्षा के मैदान में उतने कि विद्यालयों की स्थापना की जाय और जब विद्यालय की स्थापना हो जाती थी तो उनके मानक पूरे होने पर उनको मान्यता परम्परा रही है और हमें गर्व है कि जब-जब कांग्रेस की सरकार रही है हमने इस परम्परा का पालन किया है। एक निश्चित अवधि 3 साल और 5 साल के भीतर उनको अनुदान सूची पर ले लिया जाता था। जब मान्यता मिल गई तो अनुदान सूची में लेने ओर मान्यता मिलने के बीच में तीन चार साल से ज्यादा का अन्तर नहीं होता था मान्यवर, और बहुत अन्तर हुआ तो चार साल का अन्तर होता था। मान्यवर, इसी आश्वासन पर यह विद्यालय खुलने लगे वहां जहां पर सरकार असफल हो गई, जहां पर सरकार के राजकीय विद्यालय नहीं खुल पाये वहां शिक्षा से जुड़े लोगों ने, समाजसेवियों ने इस तरह के विद्यालय खोले। मान्यवर पेड़ के नीचे शुरू होते हैं यह विद्यालय फिर छप्पर में आते हैं और फिर खपरैल में आते हैं जहां सरकार की रोशनी नहीं पहुंच पाई। मान्यवर, इनका बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर इस तरह के विद्यालय चलाने वालों का। बहुत से शिक्षक ऐसे थे जिन्होंने इस प्रत्याशी में विद्यालय खोले कि मानक पूरा होने पर उनको मान्यता मिल जायेगी और मान्यता मिलने के तीन चार साल में उनके विद्यालय को अनुदान सूची पर ले लिया जायेगा। शुरू-शुरू में तो वो एक साल फांकाकसी करके 100-200 रुपये प्राप्त करके बच्चों को शिक्षा का दान देते रहे। लेकिन मान्यवर, आज स्थिति यह है कि बीस-बीस वर्ष हो गये हैं। वो शिक्षक जो कल आये थे और आज रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच गये हैं। उनके बच्चे बड़े हो गये हैं। मान्यवर, यह गैर कांग्रेसवाद की देन है मान्यवर, कि आज लगातार जबसे 1989 के बाद से कांग्रेस की सरकार गई है। केवल दो मौके आये हैं एक बार मुलायम सिंह जी की सरकार थी तो उन्होंने 300 विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया गया था और उसके बाद 1996 में जब राष्ट्रपति शासन था तो उस समय मोती लाल बोरा जी ने 250 विद्यालय अनुदान सूची पर लिये थे। मैं जूनियर हाई स्कूल की बात कर रहा हूं। जब इनकी सरकार थी दो बार, तीन बार रही तो 250 लिये गये यानि मान्यवर देखें तो कुल मिलाकर 800

विद्यालय और मान्यवर, 1989 से राष्ट्रपति शासन जोड़ लिया जाय तो इतनी सरकार आई और गई कुल 500 विद्यालय अनुदान सूची में लिये गये। यह शर्मनाक स्थिति है। उन शिक्षकों का क्या कसूर है जिन्होंने बच्चों को शिक्षा का दान दिया शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना प्रारम्भ किया था यह सोचकर कि कुछ दिन बाद उनके विद्यालय को अनुदान सूची में ले लिया जायेगा। एक तरफ संसदीय कार्य मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, संसाधन बहुत हैं। इसका हम स्वागत करते हैं लेकिन हम यह कहना चाहते हैं अगर संसाधन बहुत हैं तो इन शिक्षकों को अध्यापकों को जिन्होंने शिक्षा का दान दिया है विद्यालय खोलकर उनके साथ अन्याय क्यों ? कोई सीमा तो होगी कि इतने समय में वे अनुदान सूची में ले लिये जायेंगे। आप समयावधि को 3-4 को बढ़ाकर 5-7 साल कर दीजिये लेकिन 20-20 साल तक विद्यालयों को अनुदान सूची में न लिया जाय तो यह तो अन्याय है। जिस देश की प्राथमिक शिक्षा जर्जर होगी उस देश की इमारत कभी मजबूत और सशक्त नहीं हो सकती। हम एक वर्ग की अनदेखी कर रहे हैं। अमीरों के बच्चे तो अच्छे स्कूलों में पढ़ लेते हैं क्योंकि उनको फीस देने में कोई दिक्कत नहीं होती है लेकिन गरीब का बच्चा कैसे पढ़े ? गरीब के बच्चे जाते हैं इन विद्यालयों में। गरीब का बेटा पढ़ाता है, गरीब की बेटी पढ़ाती है मान्यवर, उसके साथ भेदभाव क्यों ? सरकार को प्राथमिकता के आधार पर जो भारत के संविधान के 45 अनुच्छेद में स्पष्ट दिया है कि 10 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाय। मान्यवर, जूनियर हाई स्कूल के बच्चे 14 वर्ष के नीचे के होते हैं।

श्री लाल जी टण्डन--

मान्यवर, क्या चर्चा हो रही है ?

एक सदस्य--

यह ग्राह्यता पर बोलें। सीमित कर लें। यह निर्देश न मानें।

श्री प्रमोद कुमार--

मेरी नजर सिर्फ आप पर है। मैं समझता था अधिष्ठाता महोदय वहां बैठे हैं मुझे अभी-अभी .. महीन आवाज सुनाई दी जिससे लगा अधिष्ठाता यहां बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं जो गल्तियां आपने की हैं आपने अनुदान सूची में नहीं लिया तो कम से कम उस पाप को धोने का एक मौका तो मिल रहा है। इसको समय सीमा लगाकर अपने पाप पर पर्दा न डालें। आपने अगर यह कर दिया ता तो हमें आज यह न कहना पड़ता । मैं यह कहना चाहता हूं आपसे यह शिक्षा मित्रों का विषय है न्हें दिया क्या जा रहा है 24 सौ रुपया देते हैं। प्रति वर्ष उनको गिड़गिड़ाना पड़ता है हर वर्ष उनको पने अनुबन्ध को रिन्यू कराने के लिए न जाने कितनी यातनाओं और शोषण से गुजरना पड़ता है। -- हजारों लाखों, दो लाख शिक्षा मित्र हैं मान्यवर इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

श्री किरनपाल सिंह--

आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि दो विषय को काम रोको प्रस्ताव में एक साथ लिया गया हो। विषय में एक काम रोको प्रस्ताव है और दो विषय लिए जा रहे हैं।

श्री जगदम्बिका पाल--

असहायता प्राप्त विद्यालयों को अनुदानित करने में उल्लेख नहीं किया जाएगा शिक्षा मित्र का। विषय एक ही है।

श्री किरनपाल सिंह--

विषय द्वो हैं।

श्री जगदम्बिका पाल--

विषय एक ही है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

प्रदेश के असहायिक मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को सरकार द्वारा अनुदान सूची में न लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। विषय एक है।

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक हैं वह अलग वर्ग हो गया। शिक्षा मित्र का अलग कैडर हो गया।

श्री अधिष्ठाता--

इनकी सूचना का भाग है।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैं आभारी हूं ईमानदार और कर्मठ शिक्षा मंत्री हैं मैं उनका आदर करता हूं। यह विषय उनका नहीं है यह अध्यक्ष जी का विषय है और उन्होंने सब पढ़ने के बाद ही निर्णय लिया है। मैं तो मानवीय आधार पर प्रश्न रख रहा हूं इस प्रदेश के मुख्य मंत्री भी शिक्षक रहे हैं और सौभाग्य से यहां आ गए हैं। मान्यवर, अनुदान सूची में जूनियार हाई स्कूल के लोगों को न लिया जाना 1998 से लेकर आज तक करीब दस साल बीत गए हैं। अनुदान सूची में पिछले 20 वर्षों में करीब तीन बार साढ़े सात सौ विद्यालयों का लिया जाना जबकि लगभग पांच हजार विद्यालय और बढ़ गए हैं तो मान्यवर आज मैं अपने विषय पर बल देते हुए मानवीय दृष्टिकोण से अनुरोध करूंगा, माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो असहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल हैं और जिनकी अनुदान सूची 1998 के बाद जारी नहीं [illegible] इसमें आप कोई यत्न करें यह शिक्षक हैं, गरीब हैं, गरीब घरों के हैं, गरीब लोगों को पढ़ाते [illegible] अनुदान सूची में कुछ न कुछ विद्यालय जरूर लिए जाएं, इन पर विचार करें वरना 1998 से 8 वर्ष [illegible] के बाद भी अगर उनको नहीं लिया जाता है तो मान्यवर कहीं न कहीं एक समाज का वर्ग उपेक्षित रहता है। अगर शिक्षा उपेक्षित होगी तो समाज कभी सुसंस्कृत नहीं हो सकता है।

(इस समय 1 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए।)

(मा0 मंत्री जी को पुकारे जाने पर)

श्री जगदम्बिका पाल--

मेरा नोटिस में नाम है। ऐसा तो कभी नहीं [illegible] महत्वपूर्ण सूचना है।

श्री सतीश महाना--

एक सिक्के के दो पहलू थे।

श्री जगदम्बिका पाल--

महोदय, आप स्वयं इस बात से भिज्ञ हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी और सारा सदन इस बात से भिज्ञ है।अध्यक्ष महोदय मैं आभारी हूं आपने आज कार्य-स्थगन के नियम 56 में उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षकों से जुड़े और ज्वलन्त प्रश्न को आपकी अनुकम्पा से स्वीकार किया गया। उसकी ग्राह्यता पर बल देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। सबसे प्रभावी आज प्रदेश के, आपका जनपद हो चाहे पूर्वांचल हो चाहे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर असहायता मान्यता प्राप्त विद्यालय है जहां के शिक्षक जैसा माननीय ग्राह्यता पर बोलते हैं जैसा प्रमोद कुमार जी ने भी कहा, रिटायरमेंट के करीब आ गए हैं और उन अध्यापकों को वेतन वितरण अधिनियम, 1987 न लागू होने के कारण या उनको ग्रान्ट इन एड सूची में न निर्गत किए जाने के कारण, वह 100-200 रुपये पर पूरा जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मान्यवर, इण्टरमीडिएट के लिए तो शासन ने निर्णय ले लिया है कि जो भी भविष्य में मान्यता देंगे वह, वित्त-विहीन मान्यता होगी। इसी तरह से उच्च शिक्षा में भी हो गया है कि यदि उच्च शिक्षा के लिए कालेज खोलने के लिए शासन मान्यता देता है तो मान्यता देने समय ही यह प्राविधान कर देते हैं कि यह वित्त-विहीन मान्यता होगी। यानी अपने संसाधनों से विद्यालय चलायेंगे। इसी तरह माध्यम विद्यालयों को खोलने वाले भी अपने संसाधनों से उन्हें चलायेंगे, अपने संसाधनों से वेतन देंगे। लेकिन जूनियार हाईस्कूल जो हैं यह वित्त-विहीन नहीं होते हैं, जूनियर हाई स्कूल की अनुदान सूची निर्गत की जाती है। पिछली बार जब मुख्य मंत्री थे, तब 300 जूनियर हाईस्कूल विद्यालयों को अनुदानित किया था और हम लोगों ने उसके लिए साधुवाद किया था, धन्यवाद दिया था। मान्यवर, सबसे ज्यादा विद्यालय आपके क्षेत्र में है, मा0 लालजी टण्डन के क्षेत्र में कोई नहीं है, इसलिए उन्होंने प्रमोद जी को रोक दिया। उनका अनुदान सूची से कोई सरोकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

ग्राह्यता पर बोलें।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, चार बार किरन पाल जी ने आश्वासन दिया है। मान्यवर, इन विद्यालयों को अनुदान सूची में लाने का सरकार का दायित्व है, पिछले तीन वर्षों में एक भी विद्यालय अनुदानित नहीं हुआ। हम इस प्रदेश की समस्याओं को इसलिए कह रहे हैं, अगर सरकार इस पर विचार करेगी तो निश्चित तौर पर इसका उत्तर आयेगा और इसके लिए इससे ज्यादा अच्छी जगह और कोई नहीं है। जहां पर एक तरफ अनुदान सूची जारी नहीं हुई और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि 2 लाख शिक्षा-मित्र हो गए हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह सब आंकड़े नहीं दीजिए। आप अनुदान सूची की बात करिए।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, अनुदान सूची लागू नहीं हो रही है इसलिए आज जो शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, उनको उनकी सेवा का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनके परिवारों के सामने समस्याएं पैदा हो रही हैं। उसी तरह शिक्षा-मित्रों की भी है, आज भी उल्लेख किया है कि वह तीन दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। मा0 शिक्षा मंत्री ने कल कहा था कि कल उनके डेलीगेशन और प्रदेश के मुखिया से बात करेंगे। आप उन्हें 2400 रुपये दे रहे हैं, उस पर विचार करिए, हर साल उनकी पुनर्नियुक्ति होती है, जो शिक्षा मित्र लगातार कार्य कर रहे हैं, उनकी पुनर्नियुक्ति प्रधान के माध्यम से कराने की क्या आवश्यकता है ?

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त कीजिए, जवाब तो आने दीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल--

यह महत्वपूर्ण है इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी से भी चाहूंगा कि जो आश्वासन दिया गया था, उस पर बिचार करें।

श्री अध्यक्ष--

आपकी बात आ गई।

श्री जगदम्बिका पाल--

मुख्य मंत्री जी भी एक शिक्षक रहे हैं, जो मान्यता प्राप्त विद्यालय है।

श्री अध्यक्ष--

मैं सम्मान के साथ कहता हूं, आग्रह करता हू, अब आप बैठें जायें, आपकी पूरी बात आ गयी है, यही बात प्रमोद जी ने भी कही है। आप बैठ जाइये। आपने सारी बात कह दी।

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, जैसा कि अभी पाल साहब ने कहा कि मैंने शिक्षकों के बीच में जाकर आश्वासन दिया था। मैंने कोई आश्वासन नहीं दिया। मैं जाता जरूर था जब वह धरने पर होते थे। आप कह रहे है कि लाखों शिक्षक वहां पर धरने पर बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर कोई शिक्षक धरने पर नहीं है और जहां तक बेसिक शिक्षा का सवाल है, माननीय प्रमोद कुमार जी ने कहा कि 10 साल की सीमा थी। तो 10 साल की जिम्मेदारी तो आपकी भी थी आप 40 सालों में नहीं कर पाये। हम तो लक्ष्य के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। सरकार सबको शिक्षा देने के लिए संवेदनशील है और जो सीमित संसाधन हैं उसके आधार पर फैसले लिये जाते हैं और आगे भी लिए जायेंगे।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर कोई आक्षेप या विवाद नहीं होना चाहिए। मेरा कहना है कि जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उसमें कुछ तो रखिए। 2 साल, 3 साल, 4 साल। पहले जितने संसाधन होते थे उतने विद्यालयों को ग्रान्ट पर लिया जाता था तो क्या सरकार इन्हें अनुदान पर लेने पर कोई संख्या पर विचार करेगी ? यही मै कहना चाहता हूं।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, सीमित संसाधन है। सरकार को सभी वर्गों का ध्यान रखना है, शिक्षकों का भी ध्यान रखना है। उसी के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।

(इस बीच श्री मुंशीलाल गौतम, श्री प्रमोद कुमार तथा श्री जगदम्बिका पाल अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने लगे।)

श्री अध्यक्ष--

मुंशी लाल गौतम जी आपका नियम-51 में आ गया। आप बैठ जाईये।

श्री मुंशी लाल गौतम--

मान्यवर, आप मुझे सुन लें।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी का क्या दृष्टिकोण है ? क्योंकि माननीय मंत्री जी जो उत्तर दे रहे हैं उससे कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष--

मैं किसी से नहीं कह सकता कि आप उत्तर दें।

श्री प्रमोद कुमार--

तो आप पूछ लें कि क्या सरकार इस पर विचार करेगी ? मान्यवर, मैं ही अपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो विद्यालय 15-20 साल से अनुदान सूची में नहीं आये हैं और वह मान्यता प्राप्त हैं तो क्या सरकार विचार करेगी कि 200-250 विद्यालय अनुदान सूची पर ले लिए जायें ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

मान्यवर, मैं प्रमोद जी से कहना चाहता हूं कि हम उतनी ही बात कहते हैं जितना कर सकते हैं । जैसा कि मा0 मंत्री जी ने बताया है कि सीमित संसाधन है। अभी हर वर्ग का हमें ध्यान रखना है और आप देख रहे हैं कि हम हर क्षेत्र में वंचित समाज का ध्यान रखते हैं, उनके सम्बन्ध में निर्णय लेते हैं इसलिए अभी हम पूरी तौर से नहीं कह पायेंगे। जब तक हमारे पास सीमित संसाधन हैं तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं।

डॉ0 विनोद तिवारी--

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अति महत्वपूर्ण सूचना पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, जहां पूरा प्रदेश सूखे की चपेट में हैं, मेरा विधान सभा क्षेत्र एक तरफ तो सूखे की चपेट में है वहीं दूसरी तरफ शारदा नदी के कटान से धर्मपुरी अशोक नगर, सिद्धनगर, विनोबा नगर, भरतपुर, टिब्बा, राघवपुरी आजाद नगर में गन्ने की फसल, खरीफ की फसल बरबाद हो गयी है और जिला प्रशासन कोई राहत कार्य नहीं कर रहा है। मैंने अधिशासी अभियंता से बात की थी तो उन्होंने सुझाव दिया कि बीस पच्चीस लाख की आपदा योजना के लिए तुरन्त मंजूरी ले लें तो वहां पर बल्ली स्तर कार्य हो सकता है। तो यहां पर तीस-बीस लाख की

आपदा योजना भेज दें ताकि, यहां पर कार्य हो सके। मैं इतनी ही बात कहकर अपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर बल देता हूं और विधान सभा की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

(श्री मुंशी लाल गौतम के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

देखिये आपकी जो सूचना थी वह नियम-51 में ले ली गयी है। चन्द्रदेव जी आप अपनी बात दो मिनट में कहें।

*श्री चन्द्रदेव राम यादव--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मेरे क्षेत्र में जो अत्याचार हो रहा है उस पर सुनने के लिए समय दिया। मेरे विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर, आजमगढ़ में इस समय दहशत का माहौल हे। वहां पर आठ दिन के अन्दर दो हत्याएं हुई हैं। एक 1-8-2006 को शाम सात बजे ग्राम भोपतपुर, थाना जानागंज में श्री राम दुलारे, पूर्व प्रधान की हत्या हुई। पुलिस ने यह तस्लीम किया कि चालीस हजार रुपये में हत्या की गयी।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, यह तो लॉ एण्ड आर्डर पर जो चर्चा लगी है उसमें आ जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

मा0 सदस्य, क्या आपकी जान को खतरा है ?

श्री चन्द्रदेव राम यादव--

मान्यवर,, जब हमारे लोगों को है तो हमें भी खतरा है। मान्यवर, बहैलगंज बाजार में एक लड़के को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। लेकिन आज तक न वहां की पुलिस और न ही वहां का प्रशासन कुछ कर पाया है। मैं तो यह कहूंगा कि सरकार के लोग इतने सुस्त हैं और प्रशासन इतना खराब हो चुका है । वहां प्रशासन नाम की चीज नहीं है और वहां किसी की जान सुरक्षित नहीं है, लेकिन वहां पर जो मर गये उनकी विधवाओं को उनके बच्चों को मैं सरकार से मांग करता हूं कि पांच-पांच लाख रुपये विधवाओं को दिया जाय ताकि उनका भरण-पोषण हो सके और इस लोक महत्व के सवाल पर काम रोक करके चर्चा कराने की मांग करता हूं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, मैं सभी जिन पर आप बोले, नम्बर-1, 2, 3, 4, 5 सभी की ग्राह्यता पर बात हुई।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, एक मिनट समय लूंगा, यह सी0पी0एम0 के नेता हैं श्री राम कृपाल जी, आप इनकी बात को दो मिनट में सुन लें।

श्री राम कृपाल--

मान्यवर, फिरोजाबाद में कांच उद्योग एवं चूड़ी कारखाने में श्रम कानूनों की खुलकर धज्जियां उड़ायी जा रही हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुंशी लाल गौतम--

मान्यवर, एक मिनट मेरी बात भी सुन लें।

(माननीय सदस्य श्री मुंशीलाल गौतम और माननीय सदस्य श्री राम कृपाल जी, दोनों माननीय सदस्य एक साथ अपनी-अपनी बात कहने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री मुंशीलाल गौतम--

मान्यवर, मैंने नियम-56 में पांच विधायकों के हस्ताक्षर से एक सूचना दी है गांव काजिमपुर देवली, थाना कोतवाली देहता, जनपद बुलन्दशहर के श्री ऋषीपाल जाटव की नाबालिग पुत्री कुमारी गीता का अपहरण 02 जुलाई, 2006 को हुआ था, 03 जुलाई, 2006 को अपहरण की रिपोर्ट लिखी गयी, 16 जुलाई, 2006 को बुगरासी चौकी पर अज्ञात लड़की की लाश मिली। दो दिन पोस्टमार्टम हाऊस में रखी रही। किसी ने नहीं बताया, 19 जुलाई को पीड़ित पिता वहां पर पहुंचता है, लाश को पहचान लेता है पुलिस वाले कहते हैं वाहन लें आओ, लाश ले जाओ। जैसे ही वह वाहन ले करके आता है, लाश टायर में रख कर जला दी जाती है और कहा जाता है कि तुम्हारी लड़की नहीं थी आपकी लड़की आपको मिल जायेगी। इसे लेकर 20 जुलाई को जनता द्वारा कालाम जाम होता है और 28 तारीख को हजारों की संख्या में मेरे नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया और कहा गया कि 15 अगस्त तक इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं हुई तो 17 अगस्त से हम धरना प्रदर्शन करेंगे। 17 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक मेरे नेतृत्व में सैकड़ों जन प्रतिनिधि तथा हजारों की संख्या में महिलाओं व पुरुष लगातार धरने पर रहे, उप जिलाधिकारी माईक लगाने की परमीशन नहीं दी, इसे लेकर उसी दिन से आज तक वहां पर भूख हड़ताल व धरना जारी है, पीड़ित परिवार आपसे मिला था, अधिकारियों से मिला था कोई हमारी सुन नहीं रहा है यहां भी आप हमारी बात सुन नहीं रहे हैं और जिले पर कोई न्याय मिल नहीं रहा है अनुसूचित जाति की बेटी का सवाल है अपहरण हत्या का सवाल है अगर आपके यहां न उठायें तो कहां उठायें, कहां जायें इनकी बात, इनका कोई नेता बसपा का कहता नहीं है। मैं मांग करता हूं कि दस लाख रुपये पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता उसकी इज्जत और मान-सम्मान की खातिर प्रदान किये जाये तथा दोषियों के खिलाफ सी0बी0सी0आई0डी0 जांच करा कर कठोर कार्यवाही की जाय। आपने मेरी सूचना स्वीकार नहीं की है इसलिए मेरे धैर्य और सब्र का बांध टूट रहा है, इसलिए मैं सदन की बेल में धरने पर बैठ रहा हूं।

(श्री मुंशीलाल गौतम सदन की बेल में आकर बैठ गये)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य, जब मैंने पहले ही आप से कह दिया है कि कानून व्यवस्था पर जब चर्चा होगी तो उसमें आप अपनी बात कह लीजिएगा।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खाँ)--

मान्यवर, यह काजिमपुर देवरी थाना कोतवाली देहात का मामला है। इस सम्बन्ध में सिर्फ यही आश्वासन देना चाहता हूं कि इसे अलग से दिखवा लेंगे, कहीं से कोई कमी होगी तो इसको खासतौर से दिखवा लेंगे। मान्यवर मैं सिर्फ आश्वासन ही तो दे सकता हूं। (माननीय सदस्य श्री मुंशीलाल गौतम आश्वासन मिलने के बाद पुन: अपने स्थान पर जाकर बैठ गये)

*श्री राम कृपाल--

मान्यवर, फिरोजाबाद में कांचे उद्योग एवं चूड़ी कारखाने में श्रम कानूनों की खुलकर धज्जियां उड़ायी जा रही हैं तथा मजदूरों की मजदूरी का दमन किया जा रहा है। पुलिस एवं प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश न्यूनतम वेतन बोर्ड सलाहकार समिति द्वारा पारित 3500 रुपये न्यूनतम वेतन की मालिकों द्वारा घोर उपेक्षा की जा रही है इससे लाखों श्रमिकों की रोजी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। श्रमिकों के नाम रजिस्टर में अंकित नहीं किये जाते हैं, बोनस व राष्ट्रीय त्योहारो का वेतन नहीं दिया जाता है तथा कर्मचारी नीति का पालन नहीं किया जाता है यहां तक कि स्वंच्छ पीने के पानी एवं शौचालय की व्यवस्था नहीं है। मजदूरों की यूनियन कांच उद्योग मजदूर संघ फिरोजाबाद द्वारा उपरोक्त अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने पर यूनियन के नेताओं का बर्बरतापूर्वक दमन किया जा रहा है एवं पुलिस प्रशासन नंगा नाच करते हुए मजदूर नेताओं पर फर्जी मुकदमों में फंसाकर अत्याचार की सीमा को तोड़ दिया गया है। अभी दिनांक 26-07-06 को सुबह लगभग 7.00 बजे यूनियन की अध्यक्ष एवं पूर्व सभापति श्रीमती रज्जो देवी यादव जिला पंचायत सदस्य दिलीप यादव तथा यूनियन के कार्यकारिणी के सदस्य मुकेश यादव इनके घर भारी दल बल के साथ घेराबन्दी कर उनको मारा पीटा, अभद्र गालियां देते हुए जेल में ले जाकर बन्द कर दिया गया तथा कई संगीन धाराओं में व सेविन क्रिमिनल अमेण्डमेंट में बन्द कर दिया। अफसोस है कि बगैर महिला पुलिस के यूनियन की अध्यक्ष श्रीमती रज्जो देवी को मारपीट कर बन्द कर दिया इसके साथ ही यूनियन के समस्त 17 कार्यकारिणी सदस्यों पर 29-07-06 को फर्जी मुकदमों में फंसा दिया गया है। थाना टूण्डला की पुलिस द्वारा लगातार मजदूरों के घर जाकर धमकाया जा रहा है, लाखों मजदूरों के साथ मालिकों एवं पुलिस द्वारा किया जा रहा अत्याचार के विरुद्ध तत्काल समस्त कार्यवाही को रोककर सदन में चर्चा करायी जाय जिससे मजदूरों के साथ हो रहा अत्याचार बन्द हो और उन्हें न्याय मिल सके।

श्री अध्यक्ष--

राम कृपाल जी यह आप क्या पढ़े डाल रहे हैं ?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, यह पढ़ नहीं रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

नहीं कुछ नहीं पढ़ा जायेगा और अब लिखा भी कुछ नहीं जायेगा। सारी सूचनायें सुनी गयी और यह सब सूचनायें अस्वीकार कर दी गयी।

(श्री रामहेत भारती अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे)

श्री अध्यक्ष--

ऐसा है माननीय सदस्य, जो सूचना आपने कल दी थी उसका विषय कानून व्यवस्था से सम्बन्धित था, इसलिए जब अभी कानून व्यवस्था पर भाषण होगा, माननीय टण्डन जी बोलेंगे तो उसमें आप भी बोल लीजियेगा। अब इस समय आप बैठें। अब कुछ नहीं सुना जायेगा। अब मैं मद संख्या-08 को ले रहा हूं। अब नियम-51 निरस्त हो गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 विनोद तिवारी--

मान्यवर, एक मिनट मेरी बात सुन लें। मान्यवर, सिंचाई मंत्री जी जवाब देने के लिए खड़े हुए थे।

श्री अध्यक्ष--

तिवारी जी आप सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं मैंने इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया है उस पर जवाब आपको जायेगा।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006

कृषि मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

श्री प्रागी लाल अहिरवार--

मान्यवर, जब मेरी महत्वपूर्ण सूचना पर नहीं सुना जायेगा तो मेरा विधान सभा में आना बेकार है। कल भी मैंने अपनी सूचना दी थी।

श्री अध्यक्ष--

अभी मैंने नियम 301 में आपकी सूचना को स्वीकार किया है।

श्री प्रगी लाल अहिरवार--

यह गंभीर मामला है मान्यवर, अगर हम गंभीर मामला सदन में नहीं रख सकेंगे तो फिर विधायक बनकर यहां बैठने का क्या मतलब है ?

नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)--

मान्यवर, जब चर्चा होगी कानून व्यवस्था पर तो इन्हें भी बोलने का अवसर दे दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है। कानून व्यवस्था पर जब आप बोल लेंगे तो बोल लीजियेगा।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

मान्यवर, यह विधेयक आया है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से सम्बन्धित है इसके उद्देश्य एवं कारणों में यह वर्णित है कि 'वर्ष 2000 में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि भविष्य में किसी भी अनानुदानित अशासकीय महाविद्यालय के शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन संदाय के लिए तथा अनुदानित शासकीय महाविद्यालयों में नये विषय खोलने पर आवश्यक शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन के लिए राज्य सरकार द्वारा किसी भी रूप में कोई भी वित्तीय सहायता

नहीं दी जायेगी। सेवा में निरन्तरता की अनिश्चितता के कारण बी0एड0 पाठ्यक्रम की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ रहा था। अत: बी0एड0 पाठ्यक्रम की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए यह विनिश्चय किया गया कि राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार 23 नवम्बर, 1991 से प्रारम्भ होने वाली और 31 अगस्त, 2003 को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर किसी अनुदान प्राप्त महाविद्यालय में बी0 एड0 पाठ्यक्रम में पढ़ाने के लिए ऐसे किसी पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त अध्यापकों को महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र द्वारा मौलिक नियुक्ति दी जा सकने की व्यवस्था करने के लिए वर्ष 1980 के उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय।'

इसलिये मान्यवर यह विधेयक लाया गया है। मान्यवर, जब वर्ष 1991-92 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों के रेगुलराइजेशन का निर्णय लिया गया था। उसमें काफी संख्या में शिक्षक रेगुलरईज्ड हुए थे। उसमें जो कुछ छूट गये थे, फिर जब 1997-2000 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुन: सत्ता में आयी और उसमें मुझे उच्च शिक्षा विभाग का मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो जो तदर्थ शिक्षक रेगुलराईज्ड नहीं हो पाये थे उनके रेगुलराईजेशन का निर्णय लिया गया। वहीं पर मान्यवर यह भी निर्णय लिया गया कि कहीं भी अब तदर्थ नियुक्तियां नहीं की जायेंगी यह ध्यान देने योग्य बात है।

मान्यवर, जो शिक्षकों की कमी थी उस समय सरकार ने एक शासनादेश द्वारा निश्चित मानदेय पर अध्यापकों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में एक आदेश पारित किया। वह शासनादेश संख्या है 467/70-2-98-3 (9) 93 टी0सी0, दिनांक 7-4-98 के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न अशासकीय महाविद्यालयों में रिक्त प्रवक्ता पदों पर लगभग 460 मानदेय डिग्री शिक्षकों की नियुक्तियां की गयी थी। मान्यवर, यह जो नियुक्तियां की गयी इसमें यूजीसी के नार्म्स थे उनका अनुपालन किया गया। इसमें बताना चाहूंगा कि यह सभी नियुक्तियां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित समस्त मानकों पीएचडी या नेट को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की की गयी थी। दूसरे ऐसी नियुक्तियों में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नियमों का पूर्णत: पालन किया गया था। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का अनुमोदन उच्च शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद, उ0 प्र0 द्वारा किया गया था। इन शिक्षकों के मानदेय का भुगतान वेतन संदाय खाते से किया जा रहा था। यहां पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं सरकार का कि जब तदर्थ नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध था तो यह सरकार कुछ पीरिएड के अन्दर जो मान्यवर, तदर्थ नियुक्तियां हो गयी थीं तो क्या यह तदर्थ नियुक्तियां प्रदेश के महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में नहीं होंगी तो यह एक नवम्बर, 1991 से प्रारम्भ होकर 31 अगस्त, 2003 तक समाप्त होने के बीच में यह कहां से तदर्थ नियुक्तियां हो गयी। तो मेरा प्रश्न यह है कि अगर यह अनियमित नियुक्तियां हैं तो अनियमित नियुक्तियों को सरकार क्यों नियमित करना चाहती है। तो जो निश्चित मानदेय के ऊपर, जो सारी प्रक्रिया पूरी करते हैं जिनको वेतन संदाय से वेतन भी मिल रहा था। उनको भी रेगुलराइज करने के लिए प्राविधान किया जाना चाहिए था। क्योंकि जितने निश्चित मानदेय पर नियुक्ति थे, 100 रुपया प्रति लेक्चर उनको मानदेय मिलता था या अधिकतम 5000 रुपये की व्यवस्था थी। इसमें जो कारण दिया गया कि बीएड पाठ्यक्रम की गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी मान्यवर, यह हास्यास्पद है।

केवल बी0एड0 महाविद्यालय में इस पीरिएड में जो नियुक्त हैं उनकी तो सरकार को चिन्ता है अन्य महाविद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा के पठन-पाठन की सरकार को नहीं चिन्ता है। मेरी जानकारी है कि 1000 शिक्षक निश्चित मानदेय पर वहां पर पढ़ा रहे हैं। और सारी औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। मान्यवर, यह विधेयक अपूर्ण हैं। मेरा कहना है उनके रेगुलराइजेशन का भी प्राविधान किया जाय। मैं आपके माध्यम से सरकार से मे जानना चाहता हूं कि इस पीरिएड में 23 नवम्बर, 1991 से 31 अगस्त 2003 की अवधि यहां अवधि क्यों की गयी आज तक की अवधि क्यों नहीं की गयी। तो कितने महाविद्यालय इससे आच्छादित हो रहे हैं और कितने शिक्षक इससे आच्छादित हो रहे हैं। जहां तक मुझको जानकारी है कि एक विशेष महाविद्यालय के लोगों को इसका लाभ दिलाने के लिए यह विधेयक लाया गया है। अगर आपको करना है तो जितने महाविद्यालय हैं, इस सरकार के पीरिएड में 200 से ज्यादा बी0एड0 कालेज खुले हैं। मैंने भी इसे यहां उठाया था तो बाद में सरकार ने उस पर कड़ाई की। बिना मानको को पूरा किये हुए बी0एड0 कालेज खोल दिये गये मेरठ विश्वविद्यालय का मैंने कहा वहां पर कई बी0एड0 कालेज की मान्यता समाप्त कर दी गयी। मानक पूरे नहीं वहां पर शिक्षकों की क्या हालत है एक हजार रुपया दो हजार रुपया मासिक दिया जाता है। मान्यवर, पी0एच0डी0 ट्रेन्ड हैं, नेट क्वालीफाइड हैं, फोर फर्स्ट क्लास हैं तो जो हमारे शिक्षक हैं उनको एक निश्चित मानदेय मिले, एक रेगुलर पेमेन्ट मिले, सैलरी मिले। बी0एड0 कालेज ही नहीं सभी कालेजों में एक गुणवत्ता स्थापित हो। इसके संबंध में विचार करना चाहिए तो मान्यवर, जो विधेयक लाया गया है, क्योंकि अपूर्ण विधेयक है इसलिए मैंने संशोधन का प्रस्ताव रखा है कि इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाय और फिर टोटलिटी में विचार करके यह विधेयक यहां पर लाया जाय।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

मान्यवर, यह विधेयक जो कल प्रस्तुत किया गया था और आज विचार और पारण के लिए है इस पर मेरा प्रस्ताव है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। इसके पक्ष में मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, 2006, इसमें जो कट आफ डेट 22-11-91 की उसको केवल बी0एड0 के लिए बढ़ाकर 30 अगस्त, 03 किया जा रहा है। मुझे केवल इतना कहना है कि यह कट आफ डेट यदि बढ़ाई जा रही है तो केवल बी0एड0 के तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण के लिये नहीं, प्रदेश में अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में कार्यरत अन्य तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण के लिये भी होनी चाहिये। एक तो इसमें मेरी यह आपत्ति है। दूसरी बात यह है, मैं इसे दिखाना चाहता हूं, जिसका जिक्र गौर साहब ने भी किया। श्री आब्दी साहब, विशेष सचिव, न्याय की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, जिसने तदर्थ शिक्षकों के समस्त प्रस्तावों का पुनरीक्षण किया था, पुनरीक्षण करने के बाद उसने अपनी संस्तुति दी कि इन-इन तदर्थ शिक्षकों को, क्योंकि इनके पद भी हैं, और इनकी योग्यता भी है, तो इनको नियमित किया जा सकता है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार के कार्यकाल में यह सूची कट आफ डेट के बाद 18 नाम हैं, जिनको पद उपलब्ध नहीं थे, पद की उपलब्धता 30-6-92, 30-6-97, 29-6-98, 1-11-96, 19-1-96, 9-6-93, 20-6-92, 11-3-92, 23-7-94, 22-11-91 के पश्चात् 16-2-93, 29-6-98 और बिना पद, 4-9-1993 को तदर्थ शिक्षकों को नियमित कर दिया गया। मेरा यह कहना है कि जब इस प्रकार अनियमित तरीके से शिक्षक नियमित किये जा सकते हैं तब फिर कट आफ डेट हम बढ़ा रहे हैं तो केवल बी0 एड0 की क्यो बढ़ा रहे हैं ? हम सभी विषयों

पर कट आफ डेट बढ़ायें, एक तो मेरा विषय यह था। दूसरा मेरा कहना यह है जैसा माननीय गौर साहब ने जिक्र किया है, मानदेय शिक्षकों के संबंध में। मानदेय शिक्षकों के संबंध में, मैं सरकार के सामने लाना चाहता हूं कि सत्ताधारी दल के चुनाव घोषणा-पत्र में मानदेय शिक्षकों के विनियमितीकरण की चर्चा है और उसमें यह कहा गया है कि निश्चित मानदेय डिग्री शिक्षक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापकों की बड़ी संख्या में कमी है, इसके बावजूद निश्चित मानदेय डिग्री शिक्षकों को विस्थापित किया गया है तथा जो कार्यरत हैं, उनका मानदेय खतरनाक सीमा तक अपर्याप्त है, समाजवादी पार्टी सत्ता में आने पर निश्चित मानदेय डिग्री शिक्षकों को विनियमित करेगी तथा विस्थापितों को समायोजित करेगी। मेरा यही कहना है कि जब हमारे सत्ताधारी दल की नीति में भी है, तब हम इस कट आफ डेट को, जो हमने बढ़ाकर 30 अगस्त, 03 तक लाये हैं, 22-11-91 के बाद बढ़ाकर, इसको समस्त तदर्थ शिक्षकों और समस्त मानदेय शिक्षकों, लेकिन केवल अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों के परिप्रेक्ष्य में लागू कर दें, मैं इस प्रवर समिति के प्रस्ताव के माध्यम से यह बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी जवाब देगें ?

(श्री हुकुम सिंह जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आज आप न बोलें तो क्या फर्क पड़ता है, दूसरे वाले पर आप बोलियेगा।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैं सिर्फ एक बात कह दूं। जो यह अध्यादेश आया है, थोड़ा सा आप उसकी पहली पंक्ति पढ़ लें। कितनी गंभीरता के साथ में यह सारे काम हो रहे हैं, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। किसी महाविद्यालय से सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में नियुक्ति, तो महाविद्यालय से भी सम्बद्ध होता है क्या कोई ? सम्बद्ध तो विश्वविद्यालय से होता है।

श्री अध्यक्ष--

महाविद्यालयों में नियुक्ति .....

श्री हुकुम सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अध्यादेश को पढ़ लें।

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास तो अधिनियम/विधेयक है।

श्री हुकुम सिंह--

इसलिये तो मैं कह रहा हूं कि आप अध्यादेश पढ़ लें, वह जरूरी है। इस अध्यादेश को रिप्लेस करने के लिये यह बिल आ रहा है और अध्यादेश में किसी महाविद्यालय से संबंद्ध लिखा है, यह महामहिम राज्यपाल से भी साइन होकर आया होगा। अधिकारियों की बहुत बड़ी पलटन ने भी इसे देखा होगा और यह विधान सभा में भी आया और जब इतनी गंभीरता से हर बात को लिया जा

रहा है कि विश्वविद्यालय की जगह महाविद्यालय लिखा जा रहा है, महाविद्यालय की जगह प्राइमरी स्कूल लिख देंगे। जो आप कहें, बैठ जायेंगे हम तो। लेकिन हमारा यह दायित्व है, आपका ध्यान आकृष्ट करने का।

डा0 अशोक बाजपेयी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत छोटा सा संशोधन इस विधेयक में करने का औचित्य है। मान्यवर, आप जानते हैं कि शिक्षा में अच्छी गुणवत्ता के लिये योग्य शिक्षकों की नियुक्ति नितान्त आवश्यक होती है । आप जानते हैं कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों की कमी निरन्तर अनुभव की जाती रही है। शिक्षकों की गुणवत्ता मानक के अनुरूप हो, अच्छे शिक्षक प्रशिक्षित हो करके आये, हमारी सरकार का यह प्रयास है। शिक्षकों की कमी को देखते हुए हमारी सरकार चाहती है कि बी0एड0 महाविद्यालयों के जो वित्त पोषित अनुदानित महाविद्यालय थे, उनमें जहां पर निश्चित समय तिथि के अन्तर्गत जो महाविद्यालय आते थे, जहां पर बी0एड0 की कक्षाएं चलाई जाती थीं, वहां पर बी0एड0 की कक्षाओं में योग्य अध्यापक रहें। यह देखा जाता था कि जो अनुदानित विद्यालय थे जहां पर इनको स्ववित्त पोषित कोर्स के रूप में बी0एड0 की कक्षाएं चलाने की अनुमति थी, वहां पर अच्छे शिक्षकों का अभाव रहता था, शिक्षक थोड़े दिन काम करते थे चले जाते थे। शिक्षकों की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए, अच्छे शिक्षक आयें ताकि हम प्रशिक्षण के माध्यम से अच्छे शिक्षक तैयार कर सकें, जो माध्यमिक शिक्षा की कमी को पूरा कर सकें और इसलिए मान्यवर, जो समय-सीमा यह निर्धारित की गई है आप देखें मान्यवर, 23 नवम्बर, 1991 से पूर्व के अध्यापकों का विनियमन पूर्व सरकारों द्वारा किया जा चुका था, उसके बाद 31 अगस्त, 2003 की डेट रखी गयी है। उसके पीछे उद्देश्य यह है कि 31 अगस्त, 2003 से और आज जब हम विधेयक के रूप में इसे लाये हैं कम से कम तीन वर्ष की सेवा अवधि जरूर हो। मौलिक नियुक्ति के लिए तीन वर्ष का अनुभव जरूर हो। इन चीजों को दृष्टिगत रखते हुए कट ऑफ डेट बनायी गयी है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमने उन कार्यकालों का किया है, जो हमारा कार्यकाल नहीं है, उस समय जो विद्यालय स्थापित हुए थे और वहां पर बी0एड0 की कक्षाएं चल रही थीं, उन विद्यालयों को हमने लिया है। अगर इसमें कहीं पर भी राजनीतिक भावना होती तो इसे हम 31 अगस्त, 2003 से कैसे करते। विशुद्ध रूप से जो शिक्षा में गुणवत्ता बनाये रखने के लिए जरूरी है, जो शिक्षकों का अभाव है, उसकी पूर्ति हम कर सकें, इसमें बहुत सीमित 23 महाविद्यालय इस श्रेणी में आये हैं और 146 अध्यापक इससे लाभान्वित होंगे, उनकी सेवाओं को मौलिक नियुक्तियां दी जाएंगी। इसमें कहीं भी यू0जी0सी0 के मानकों, कहीं भी राज्य सरकार के मानकों के साथ कोई समझोता नहीं किया गया है। जो इन मानकों को पूरा करेगा, इस अर्हता को पूरा करेगा, केवल उनकी सेवाओं का विनियमन इससे होगा, केवल उनको ही यह मौलिक नियुक्ति दी जाएगी। जो भी यू0जी0सी0 के मानक हैं, जो राज्य सरकार के मानक हैं, उन्हीं मानकों का इसमें पूरी तरह से अनुपालन किया जाएगा, किसी तरह के भेदभाव का मान्यवर, इसमें कहीं पर भी उद्देश्य नहीं है, पूरी पारदर्शी व्यवस्था के तहत इसमें इनकी नियुक्तियां की जाएंगी। और जो हमारी बी0एड0 की कक्षाओं के लिए जो मानक निर्धारित हैं, उन सारे मानकों का निर्धारण इसमें किया गया है। इसको क्रियान्वित करने का सरकार का उद्देश्य है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, यह एक छोटा सा संशोधन है। इसके लिए तो आपको बधाई देना चाहिए कि सरकार ने कम से कम इन अध्यापकों को नियुक्ति देने का काम किया है और सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

अध्यक्ष जी, अभी मैंने जब अपना संशोधन प्रस्ताव रखा था, उसके जवाब में जो कुछ कहा गया है, उस पर मैं दो-तीन प्रश्नों के उत्तर जानना चाह रहा था। कितने महाविद्यालयों को इससे लाभ मिलेगा क्योंकि आपने महाविद्यालयों की संख्या नहीं बतायी है ?

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा)--

23 हैं ।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

हमारे प्रदेश के अन्दर 200 से ज्यादा बी0एड0 कालेज और महाविद्यालय है, उनकी गुणवत्ता को सरकार कैसे ठीक करेगी ? और दूसरा मान्यवर, जब उस पीरियड में तदर्थ नियुक्तियों पर रोक लगी थी तो उस समय तदर्थ नियुक्तियां क्यों की गई ?

डा0 अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, जो आपने तदर्थ नियुक्तियों की बात कही है तो मान्यवर, यह तदर्थ नियुक्तियां नहीं हैं। यह मान्यवर, जो विद्यालय थे स्ववित्त पोषित अनुदानित महाविद्यालयों, जहां पर बी0एड0 की कक्षाएं संचालित थीं, वहां पर अध्यापकों की नियुक्ति हुई है। कोई तदर्थ नियुक्ति नहीं की गई है और न ही तदर्थ नियुक्तियों का विनियमन किया जा रहा है और मान्यवर, जहां तक संख्या की बात है जो जो कट आफ डेट निर्धारित की गई है, उसमें उन मानकों के अनुरूप 23 महाविद्यालय आते हैं और 146 अध्यापकों की मौलिक नियुक्तियां होंगी क्योंकि हमने जो यू0जी0सी0 के मानक हैं और उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा के मानक हैं उनको आधार बनाकर यह किया है।

श्री अध्यक्ष--

आप संशोधन प्रस्ताव वापस लेंगे ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, जो आपने कहा है उसी के आधार पर एक जानकारी करना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

काफी समय हो गया, आधे घण्टे का समय निर्धारित था।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, अगले वाले संकल्प में कुछ नहीं है इसलिए जानकारी आ जाने दीजिए।

श्री हुकुम सिंह--

आपने उद्देश्य में तदर्थ शब्द लिखा है, तदर्थ शब्द का इस्तेमाल किया है वहीं से तदर्थ शब्द निकला है, हमने अपनी तरफ से नहीं जोड़ा है। आपने अभी कहा कि अतिरिक्त विषय खोलना

चाह रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी, उनकी खुद की जिम्मेदारी होगी। जो इस बीच में उन लोगों ने अध्यापक लगाये उनके विनियमितीकरण की बात आप कर रहे हैं कि कमेटी बनेगी और चयन करेगी उसके बाद नियुक्ति हो जायेगी और नियुक्ति भी मैनेजमेण्ट करेगा। ये सारी बातें इसमें रखी हैं। दूसरी बात यह है कि एक जिज्ञासा आपने प्रकट की, इसके बारे में बता दें कि इस प्रकार के जो विषय खोले गये हैं केवल बी0एड0 के ही नहीं खोले गये हैं, वोकेशनल कोर्सेस हैं, किसी ने अतिरिक्त विषय के रूप में माइक्रो बायलोजी का विषय ले लिया, किसी ने बायो-टेक्नोलोजी का विषय ले लिया, किसी ने होम साइंस विषय अतिरिक्त विषय के रूप में ले लिया। वहां भी इसी प्रकार की नियुक्तियां हैं। चूंकि बी0एड0 का ले आये, सभी के बारे में संशोधन आ जाना चाहिए ताकि सभी को रिलीफ मिल जाए।

श्री अध्यक्ष--

मा0 मंत्री जी ने जवाब दे दिया। अब वह जवाब नहीं देना चाहते हैं तो जबरदस्ती नहीं दिलाया जा सकता।

श्री हुकुम सिंह--

आप जवाब न दिलवाइये लेकिन यह न तो पूछा गया था और न ही जवाब दिया गया। यह अभी मैंने पूछा है।

श्री धर्मपाल सिंह--

इसी के साथ मेरी बात भी आ जाये।

श्री अध्यक्ष--

धर्मपाल सिंह जी, आप बैठिये।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

गौर साहब, माननीय हुकुम सिंहजी और डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। इसको पास कीजिए, आपके सुझाव को मैं अच्छा मानता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन 3 माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जाएगा।

(2) यह 25 जुलाई, 2006 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1980 में नई धारा 31-घ का बढ़ाया जाना

2--उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है धारा 31-ग के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :--

"31--घ (1) प्राचार्य से भिन्न किसी अध्यापक का, जो,--

(क) राज्य सरकार, सम्बन्धित विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार 23 नवम्बर, 1995 से प्रारम्भ होने वाली और 31 अगस्त, 2003 को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर किसी सहायता अनुदान प्राप्त महाविद्यालय में बी0एड0 पाठ्यक्रम में पढ़ाने के लिए ऐसे किसी पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था जो प्रबन्धतंत्र द्वारा सम्बन्धित विश्वविद्यालय की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् उक्त मानकों के आधार पर भरा गया था,

(ख) अपनी नियुक्ति के दिनांक से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारम्भ होने के दिनांक तक महाविद्यालय में निरन्तर सेवारत रहा हो,

(ग) नियमित नियुक्ति के लिए ऐसी अर्हतायें रखता हो जो नियमित नियुक्ति के लिए चयन के दिनांक को प्रवृत्त सुसंगत परिनियमों के उपबन्धों के अधीन उस पद के लिए अपेक्षित थी,

(घ) उपधारा (2) के अधीन गठित चयन समिति द्वारा नियमित नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया गया हो,

महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र द्वारा मौलिक नियुक्ति दी जा सकती है, यदि सम्बन्धित विभाग में उसी संवर्ग और श्रेणी की कोई मौलिक रिक्ति खण्ड (ग) में निर्दिष्ट दिनांक को उपलब्ध हो।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :--

(क) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग का एक सदस्य जो अध्यक्ष होगा,

(ख) विशेष सचिव के पद से अनिम्न श्रेणी का एक अधिकारी जो सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा,

(ग) निदेशक।

(3) उपधारा (2) के अधीन चयन समिति प्रत्येक ऐसे तदर्थ अध्यापक के मामलों पर विचार करेगी और उपधारा (1) के उपबन्धों की दृष्टि से उसकी पात्रता और उसके अभिलेख के आधार पर उसके कार्य और आचरण के सम्बन्ध में समाधान हो जाने पर उपधारा (1) के अधीन नियुक्ति के लिए महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र को उसके नाम की संस्तुति करेगी।

(4) जहां उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अध्यादेश के प्रारम्भ के पूर्व धारा 13 के अधीन आयोग द्वारा संस्तुत कोई व्यक्ति इस कारण नियुक्ति नहीं पाता है कि उस रिक्ति में जिसके लिये उसकी संस्तुति की गयी थी, उपधारा (1) के अधीन अन्य व्यक्ति की नियुक्ति कर दी गयी हो, वहां राज्य सरकार किसी महाविद्यालय में किसी उपयुक्त रिक्ति में उसकी नियुक्ति के लिए उपयुक्त आदेश देगी और धारा 13 की उपधारा (5) और (6) और धारा 14 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट तदर्थ आधार पर नियुक्त कोई अध्यापक जो इस धारा के अधीन मौलिक नियुक्ति नहीं पाता है, ऐसे दिनांक से जो प्रबन्धतंत्र द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, ऐसे पद पर नहीं रह जायेगा।

निरसन और अपवाद

3--(1) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2006 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2006

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड -2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कृषि मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)--

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 को पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अध्यादेश, 2006 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक, 2006

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अध्यादेश, 2006 का अननुमोदन करता है।

मान्यवर, एक तो जहाँ इसके पीछे आशय है पुस्तकालयों को स्थापित करने का, वह स्वागतयोग्य है। लेकिन जिस तरीके से लाया गया है थोड़ा सा उसके बारे में कहना चाहूँगा। उद्देश्य और कारण में देखें उसमें लिखा है कि राज्य सरकार राज्य के पुस्तकालय सेवाओं के विनियमन और सुदृढ़ीकरण एवं व्यवस्था करने के लिए विगत 10 वर्षों से विधि बनाये जाने पर विचार कर रही थी। ऐसी कार्यवाही के लिये भारत सरकार या अन्य स्रोतों से अनुरोध किया जाता रहा है किन्तु अतिरिक्त वित्तीय भार निहित होने के कारण इसे बनाया नहीं जा सका। "अतिरिक्त वित्तीय भार इसमें आना था, तो स्वाभाविक है कि अतिरिक्त वित्तीय भार जरूर आया है। जिस विधेयक पर कोई वित्तीय भार आता है तो वहां पर वित्तीय ज्ञापन, फाइनेंशियल ज्ञापन आना चाहिये। में जानना चाहता हूं कि क्या इसके साथ में आया है ? नहीं आया है। मान्यवर, नियमों के अनुसार और परिपाटी के अनुसार आज आपको इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होनी चाहिये। कम से कम इतनी मर्यादाओं का पालन जरूर कर लें कि जहां पर वित्तीय भार आया हो वहां पर वित्तीय भार के बारे में ज्ञापन आना चाहिये। इसमें खुद ही लिखा है कि वित्तीय भार निहित है लेकिन मान्यवर, वित्तीय ज्ञापन नहीं आया। दूसरी बात आप अध्यादेश ले आये, इसको रिप्लेस करने वाला विधेयक आप लाये हैं यहां पर। जब अध्यादेश आ गया था और सप्लीमेंटरी बजट भी आप ले आये तो इसमें कहीं प्राविधान भी होना चाहिये था। जब पूर्व में अध्यादेश आ चुका और कल आपने सप्लीमेंटरी प्रस्तुत कर दिया तो क्या उसमें कोई प्राविधान किया गया है, जो खर्चे इसमें आने वाले हैं उनको शामिल किया गया है ? कुछ पदों का सृजन किया गया है, उनका वेतन भी होगा, पुस्तकालय की स्थापना भी होगी। निश्चित रूप से उस पर भी व्यय होगा। सरकार कितनी गम्भीर है आप देखें। एक ओर इस बात के लिये बल दिया गया है कि अध्यादेश तुरन्त आना चाहिये नहीं तो विलम्ब हो

जाता। जब इसकी इतनी प्राथमिकता थी कि अध्यादेश लाना पड़ा तो निश्चित रूप से प्राविधान होना चाहिये वित्तीय ज्ञापन का। मान्यवर, एक बिन्दु की ओर और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि अभी तक जो पुस्तकालय हैं उनकी स्थिति क्या है। नये पुस्तकालयों की स्थापना के सम्बन्ध में आपने तीन परिषदें बना दी हैं। एक परिषद उच्च शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में होगी। उसकी एक कार्यकारिणी बना दी है जो सचिव की अध्यक्षता में होगी उसके बाद एक संगठन जिला स्तर पर बना दिया है जो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होगा। सवाल इस बात का है सुदृढ़ीकरण की व्यवस्था का क्या आपने कहीं पर उल्लेख किया है ? किस प्रकार से वह करेंगे ? सन्दर्भ वाले पुस्तकालय आप बना रहे हैं, इलाहाबाद में और लखनऊ में बनाने का प्रस्ताव है। सन्दर्भ वाले जो पुस्तकालय हैं, आपके सचिवालय में दो हैं, विधान सभा का भी है। दोनों की हालत क्या होती जा रही है धन के अभाव में। हम इनमें अच्छी तरह से मैगजीन को भी नहीं मंगा पा रहे हैं। पुरानी पुस्तकें भी नहीं हैं तो चिंता का कारण यह होना चाहिये कि इसका ह्रास क्यों हो रहा है ? इसके ऊपर कोई चिन्ता नहीं प्रकट की गयी है। हमारी चिंता इस बात की होनी चाहिये, आप इसको भी देख लें कि जिलाधिकारी को आप जिलों में हर चीज का अध्यक्ष बनाते जा रहे हैं, कहीं जन प्रतिनिधि का नाम निशान नहीं है। वहां सांसद भी हैं, विधायक भी हैं उनके सुझाव आ जायं, उनको भी पढ़ने, लिखने का थोड़ा शौक होगा, हो सकता है कि वह जिले के बारे में अच्छे सुझाव दे सकें। अन्तिम बात मैं यह भी कह रहा हूँ कि इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं और आपने एक योजना बनायी है। एक जनपद, उसका अपना खाली एक भौगोलिक आकार नहीं होता है, उसका कुछ ऐतिहासिक महत्व होता है, वहां की सभ्यता और वहां की संस्कृति का महत्व होता है । उसको कुछ लोगों ने बहुत जल्दी-जल्दी डिस्टर्ब किया है, उनका आकार बदलते रहे। लेकिन जो कुछ भी हुआ, ब्रिटिश काल में वहां एक गजेटियर होता था वह जिलों में उपलब्ध नहीं है। उस गजेटियर में वहां की भौगोलिक स्थिति के साथ-साथ वहां की संस्कृति के बारे में, वहां की सभ्यता के बारे में और इतिहास के बारे में सब कुछ उसमें होता था। क्या यह सम्भव है कि जब हम पुस्तकालय स्थापित करें तो इस बात पर बल दें कि उन लोगों को इस बात पर गर्व हो कि उस जिले का गठन कैसे हुआ ? किन-किन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, दो-दो स्वतंत्रता संग्राम हुए उसमें किन लोगों ने गिरफ्तारी दी है उनके चित्र वहां लगे वहां अभिनन्दन हो। ऐसी जानकारी जिलों में एकत्र करके लगवाएं तो अच्छा लगे। खाली कोर्स की किताबों को वहां इकट्ठा करके लगा देंगे उनको भी कोई ले जायेगा तो सारे के सारे पैसे का अपव्यय होगा। मेरी बातों पर विचार कर लें। इतना बड़ा काम होने जा रहा है इसका स्वरूप ऐसा बनकर आए जिससे वहां के रहने वालों के लिए गर्व की बात हो कि पुस्तकालय में मेरे जिले का क्या इतिहास है, क्या संस्कृति रही है, कौन-कौन महापुरुष रहे हैं कितने लोगों ने आजादी की लड़ाई मे हिस्सा लिया इसका प्राविधान भी होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी भी बोलेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण विषय है। मुझे भी पाँच मिनट का अवसर दें।

श्री अध्यक्ष--

हुकुम सिंह जी तो सारी बातें कह चुके हैं। इसके लिए कार्य-मंत्रणा समिति में आधे घण्टा का समय निर्धारित हुआ है। अभी मंत्री जी भी बोलेंगे।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मैं पांच मिनट लूँगा। मान्यवर, दो बातें विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। जो एक्जिस्टिंग पुस्तकालय हैं जिलों में यह सही है कि यह बहुत अच्छा कदम है और निश्चित रूप से स्वागत ...य है लेकिन जो एक्जिस्टिंग पुस्तकालय हैं उसका भी विचार करते हुए इसमें समावेश हो जाय तो ज्यादा अच्छा होता जैसा कि हुकुम सिंह जी ने कहा मैं उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ लेकिन मैं कुछ दूसरी बातें कहना चाहता हूँ। आज की स्थिति यह है कि जिलों में जो पुस्तकालय हैं उनका टेलीफोन कहीं इस्तेमाल हो रहा है और उनके चपरासी किसी अधिकारी के यहाँ घर पर काम कर रहे हैं। छः-छः महीने पुस्तकालय खुलते नहीं है। मैं यह चीज इसलिए कहना चाहता हूँ कि हर चीज सरकार के अधीन डी0एम0 के अधीन नहीं होनी चाहिए डी0एम0 को उसका मुखिया बना दिया जाय। लेकिन कुछ स्वयं सेवी संगठन, स्वयं सेवी संस्थाएं ऐसी होती हैं यह हर जनपद में होती है जो इसे संचालित कर सकती है। मेरा अनुभव है मैं दो साल से पुस्तकालय चला रहा हूँ । नौ हजार किताबें हैं स्व0 विष्णु कान्त शास्त्री ने उसका उद्घाटन किया था उस पर एक लाख बीस हजार सलाना खर्च होता है और 50 हजार सलाना उस पुस्तकालय की आमदनी है। मेरा कहना है कि इस तरह के पुस्तकालयों को सहायता प्रदान करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जनपदों में बहुत से पुस्तकालय ऐसे हों गए हैं जहाँ पर केवल अखबार आते थे वह अखबार भी बन्द हो गए हैं इसलिए सरकार इस बात का ध्यान रखे कि जो स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा पुस्तकालय चलाए जा रहे हैं, पुराना इतिहास यह कहता है कि आर्थिक अभाव में वह बन्द हो रहे हैं उनको 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत, 20 प्रतिशत आर्थिक सहायता देनी चाहिए। यह व्यवस्था होनी चाहिए अगर कोई पुस्तकालय के लिए एक लाख की धनराशि खर्च करता है तो उसका 25 प्रतिशत सरकार अनुदान के रूप में देगी। हर चीज सरकारी अधिकारियों के सहारे नहीं चल सकती है इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष या उसका नामिनी एक व्यक्ति बनाया जा सकता है वह सदस्य के रूप में कार्य करे। मेरा कहना यह भी है कि जिस क्षेत्र में पुस्तकालय हो उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि भी इसमें सदस्य अवश्य हों ताकि वह भी देखरेख कर सके, सुझाव दे सकें अपनी बात कह सकें वह विधायक निधि से अगर सहयोग देना चाहे तो दे सके वह वैसे भी सहयोग दे सकता है। बहुत से लोगों की इस क्षेत्र में रुचि है वह इसमें आर्थिक सहायता दे सकते हैं। जो सार्वजनिक पुस्तकालय पिछले पाँच वर्षों से चल रहे हैं उसमें नया पब्लिकेशन नहीं मंगाया जा रहा है उसकी स्थिति को देखते हुए निश्चित रूप से धनराशि का प्राविधान होना चाहिए व जन प्रतिनिधि का इसमें समावेश होना चाहिए इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

कृषि मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के मित्रों को बधाई देनी चाहिए थी पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने पुस्तकालयों को प्राथमिकता देने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। पहली बार राज्य में इतना महत्वपूर्ण अधिनियम बनाकर सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आज आप देखिये जिन माननीय सदस्यों को पुस्तकालयों के बारे में इतनी चिन्ता हो रही है इनकी भी सरकार रही है और इन्होंने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। पुस्तकालयों की स्थिति राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर बहुत चिन्तनीय है। पुस्तकालय में पुस्तकों का निरन्तर अभाव रहा है और समय-समय पर यह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कठिनाई आती रही है। पहली बार इस बारे में चिन्ता व्यक्त की गई है कि कैसे उनका कुशल संचालन हो, कैसे उसके कार्यों का निष्पादन हो। पूरी व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण करके शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के पुस्तकालय विस्थापित हो सके, उनका सही तरह से संचालन हो सके इसके प्रयास किये गये हैं। हम तो सोचते थे कि यह इस बात के लिये सरकार को बधाई देंगे कि पहली बार इतने महत्वपूण कार्य को प्राथमिकता दी गई है। यह विकेन्द्रीय व्यवस्था है इसमें माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय कमेटी होगी विभिन्न विभागों के लोग होंगे ताकि अच्छे ढंग से राज्य स्तरीय मार्ग निर्देशन देने का काम कर सके। जिला स्तर पर जिलास्तरीय समिति का गठन किया गया है और बहुत सारे लोगों को इस समिति का सदस्य बनाया गया है। यह विकेन्द्रीय व्यवस्था है जिससे कि हम अच्छे ढंग से इन पुस्तकालयों का संचालन कर सकें। आप जानते हैं कि जब तक जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कोई समिति नहीं होगी तब तक वो प्राथमिकता नहीं बन पाती जो हम चाहते हैं। जिलाधिकारी को इसका अध्यक्ष बनाने के बाद उसकी जवाबदेही जिलाधिकारी की होगी, जिला प्रशासन की जवाबदेही होगी तो फिर इन पुस्तकालयों का संचालन अच्छी तरह से हो सकेगा और निश्चित रूप से हमारे इन पुस्तकालयों की स्थिति में व्यापक सुधार होगा। मैं तो कहता हूँ कि यह इतना बड़ा कदम इस ओर सरकार द्वारा उठाया गया है। पुस्तकालयों की उपादेयता धीरे-धीरे कम होती जा रही थी, और पुस्तकालयों की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही थी। ऐसी स्थिति में इस तरह का यह निर्णय लेना बहुत ही साहसिक और प्रशंसापूर्ण कदम है। आज हम शिक्षा के प्रति चिन्तित हैं कि सबको शिक्षा मिले। शिक्षा का मूल आधार पुस्तकें हैं। ऐसी सरकार जो सबको शिक्षा के प्रति चिन्तित हैं उससे इस तरह की अपेक्षा की जा सकती थी कि वह इस तरह का अधिनियम लाती। पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया था, कभी इसकी चिन्ता नहीं की। हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य जो आज इतनी जिज्ञासा व्यक्त कर रहे थे उनको भी बहुत समय मिला था इस प्रदेश के संचालन का उन्होंने कभी इन पुस्तकालयों की दयनीय स्थिति के बारे में कोई चिन्ता व्यक्त नहीं की, उनके सुधार के लिये कोई योजना नहीं बनाई। आज हमारी सरकार ने इस तरह का अधिनियम प्रस्तुत करने का यह बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मैं चाहता हूँ कि सब लोग सहयोग के साथ इसको पारित कराने की कृपा करें।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, जहाँ तक मंत्री जी कह रहे हैं कि सरकार को बधाई देनी चाहिए थी। यह सही है कि यह बधाई के योग्य हैं और इनको बधाई भी दी है सबने। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इसको लागू करने के लिये भारत सरकार ने निर्देशित किया था। जहाँ तक इसको लागू करने की बात है उत्तर प्रदेश का तो अन्तिम नम्बर है इसको लागू करने में इस देश में। इन्होंने खुद अपने उद्घोषणा में कहा है कि अन्य राज्यों ने लागू कर दिया तब हम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अध्यादेश, 2006 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

डॉ0 अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन 3 माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन 3 माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-20 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक, 2006

सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, सुदृढ़ीकरण, रख-रखाव और विकास की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

चूँकि उत्तर प्रदेश में नि:शुल्क एवं प्रभावी ग्रामीण और नगरीय पुस्तकालयों की स्थापना, सुदृढ़ीकरण, रख-रखाव और विकास तथा अन्य सम्बद्ध सेवाओं की व्यवस्था करना समीचीन है ;

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 2006 कहा जायेगा।

(2) यह 11 अगस्त, 2006 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएं

2--इस अधिनियम में,--

(क) 'पुस्तक' के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं :--

(एक) प्रत्येक खण्ड, खण्ड का कोई अंश या भाग और किसी भाषा में पैम्फलेट, समाचार पत्र, पत्रिकायें, धारावाहिक प्रकाशन और पाण्डुलिपियाँ;

(दो) कागज के ताव पर मुद्रित स्वरलिपि पत्र, संगीत, मैप, चार्ट या रेखांकन जो पृथक् रूप से मुद्रित या शिला-मुद्रित हो;

(तीन) दृश्य-श्रव्य, दृश्य एवं श्रव्य सामग्री यथा टेप, कैसेट, फिल्म, फिल्म स्ट्रिप, माइक्रो कार्ड, माइक्रो फिल्म, कम्प्यूटर, फ्लॉपी, कम्पैक्ट डिस्क, फोटो-ग्राफ आदि;

(ख) 'अध्यक्ष' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन गठित राज्य पुस्तकालय परिषद के अध्यक्ष से है;

(ग) 'परिषद' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन गठित राज्य पुस्तकालय परिषद से है;

(घ) 'निदेशक' का तात्पर्य धारा 6 में निर्दिष्ट सार्वजनिक पुस्तकालयों के निदेशक से है;

(ङ) 'जिला' का तात्पर्य राज्य के किसी राजस्व जिला से है;

(च) 'विशेष कार्याधिकारी (पुस्तकालय)' का तात्पर्य पुस्तकालय विज्ञान में व्यावसायिक अर्हता रखने वाले किसी ऐसे अधिकारी से है जो पुस्तकालयों के कार्यकलापों की देख-रेख के लिये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त उप निदेशक से निम्न पंक्ति का न हो;

(छ) 'सार्वजनिक पुस्तकालय' का तात्पर्य राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या राज्य सरकार से सहायता प्राप्त कर रहे अन्य संगठन द्वारा स्थापित, अनुरक्षित और प्रबन्धित एवं जनता के लिये खुला घोषित किसी पुस्तकालय से है और उसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य पुस्तकालय भी होगा :

(ज) 'सहायता प्राप्त पुस्तकालय' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा इस रूप में घोषित किसी पुस्तकालय से है;

(झ) 'वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष के प्रथम अप्रैल को प्रारम्भ होने वाले बारह माह की अवधि से है।

अध्याय-दो

परामर्शदात्री समितियाँ

राज्य पुस्तकालय परिषद का गठन एवं उसके कृत्य

3--(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ एक परिषद का गठन करेगी जिसे राज्य पुस्तकालय परिषद कहा जायेगा।

(2) राज्य पुस्तकालय परिषद में निम्नलिखित होंगे :--

1--मंत्री, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार अध्यक्ष

2--प्रमुख सचिव या सचिव, जैसी स्थिति हो, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार; उपाध्यक्ष

3--प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार या उसका नाम निर्देशिती जो विशेष सचिव से निम्न पंक्ति का न हो; सदस्य

4--प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार या उसका नाम निर्देशिती जो विशेष सचिव से निम्न पंक्ति का न हो, सदस्य

5--प्रमुख सचिव, योजना विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार या उसका नाम निर्देशिती जो विशेष सचिव से निम्न पंक्ति का न हो; सदस्य

6--विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, जो सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट होगा; सदस्य

7--निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश; सदस्य

8--पुस्तकालयाध्यक्ष, केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश; सदस्य

9--उत्तर प्रदेश पुस्तकालय संघ द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति; सदस्य

10--राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक पुस्तकालय अधिकारी; सदस्य

11--अध्यक्ष, राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति; सदस्य

12--विशेष कार्याधिकारी (पुस्तकालय कोष्ठक) माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार। सदस्य/सचिव

(3) परिषद इस अधिनियम के प्रशासन में उत्पन्न होने वाले सभी मामलों पर राज्य सरकार को परामर्श देगी। यह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगी जैसा विहित किये जायँ।

(4) क्रम-संख्या 9 से 11 तक में विनिर्दिष्ट सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

(5) परिषद का मुख्यालय लखनऊ में होगा।

राज्य स्थायी समिति का गठन और उसके कृत्य

4--(1) एक राज्य स्थायी समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :--

1--प्रमुख सचिव या सचिव, जैसी स्थिति हो, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार; अध्यक्ष

2--प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार या उसका नाम निर्देशिती जो विशेष सचिव से निम्न पंक्ति का न हो; सदस्य

3--प्रमुख सचिव, योजना विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार या उसका नाम निर्देशिती जो विशेष सचिव से निम्न पंक्ति का न हो; सदस्य

4--विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, जो सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट होगा; सदस्य

5--निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश; सदस्य

6--विशेष कार्याधिकारी (पुस्तकालय कोष्ठक), माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार। सदस्य/सचिव

(2) राज्य स्थायी समिति राज्य पुस्तकालय परिषद द्वारा दिये गये निर्णयों और दिये गये सुझावों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी। यह राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास से सम्बन्धित योजनाओं और परियोजनाओं का नियोजन, अनुश्रवण और निष्पादन करेगी। यह शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, संस्कृति विभाग, राज्य पुस्तकालय परिषद या सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग से सम्बद्ध किसी अन्य वाह्य अभिकरण द्वारा सौंपे गये पुस्तकालय सम्बन्धी कार्य की देखभाल करेगी।

(3) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य स्थायी समिति के निम्नलिखित कृत्य भी होंगे :--

(क) सार्वजनिक पुस्तकालय नीति और प्रणाली का निरूपण और संवर्धन करना;

(ख) सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के सम्बन्ध में बजट और अन्य वित्तीय प्रस्ताव को प्रक्रिया में लाना, योजना बनाना और तैयार करना;

(ग) सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तकालय प्रणाली के विकास का अनुश्रवण और मूल्यांकन करना;

(घ) पुस्तकों और अन्य सामग्री का केन्द्रीय स्तर पर अधिग्रहण, उपापन और वितरण का नियोजन, पर्यवेक्षण, नियंत्रण और समन्वयन करना:

(ङ) स्वयंसेवी सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तकालय संघों को मान्यता प्रदान करना ;

(च) राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालयों के क्रियाकलापों का समन्वयन और पर्यवेक्षण करना ;

(छ) पुस्तकालय परिषद और स्थायी समिति से सम्बन्धित मामलों को प्रक्रिया में लाना ;

(ज) अन्य विभागों द्वारा दी जाने वाली पुस्तकालय सम्बन्धी सेवाओं में सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करने के लिये उपाय अपनाना ;

(झ) शिक्षा विभाग के अधीन अन्य पुस्तकालय सेवाओं से सम्बन्धित मामलों को प्रक्रिया में लाना ;

(ञ) राज्य के भीतर और बाहर व्यावसायिक निकायों और संघों से सम्पर्क स्थापित करना ;

(ट) राज्य सरकार के अन्य विभागों के अधीन पुस्तकालयों से सम्बन्धित मामलों पर परामर्श देना ;

(ठ) सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली में पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए "अनवरत शिक्षा कार्यक्रम" तथा पुनश्चर्या आदि आयोजित करना ;

(ड) ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर उसे समनुदेशित किये जायं।

जिला पुस्तकालय समिति का गठन एवं उसके कृत्य

5--(1) राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला पुस्तकालय समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :--

1--जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
2--मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3--प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
4--सचिव, जिला साक्षरता समिति	सदस्य
5--जिला युवा कल्याण अधिकारी	सदस्य
6--पेंशन भोगी संघ द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति	सदस्य
7--जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
8--जिला सूचना अधिकारी या सहायक निदेशक, सूचना	सदस्य
9--अध्यक्ष, जिला पंचायत का नाम निर्देशिती	सदस्य
10--अध्यक्ष, नगर पंचायत या उसका नाम निर्देशिती	सदस्य
11--जिले के किसी महाविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।	सदस्य
12--राजकीय इन्टर कालेज का प्राचार्य, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।	सदस्य
13--महिला मंगल दल का एक प्रतिनिधि	सदस्य
14--जिला पुस्तकालय संघ का एक प्रतिनिधि	सदस्य
15--समन्वयक, नेहरू युवा केन्द्र	सदस्य
16--पुस्तकालयाध्यक्ष, जिला राजकीय पुस्तकालय, यदि कोई हो।	सदस्य/सचिव

(2) जहां किसी जिले में जिला राजकीय पुस्तकालय का कोई पुस्तकालयाध्यक्ष न हो, वहां क्रम-संख्या 12 पर निर्दिष्ट सदस्य सदस्य-सचिव होगा।

(3) जिला पुस्तकालय समिति जिले में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली के विकास के लिए योजनाएं तैयार करेगी और उसके प्रगति का अनुश्रवण करेगी। यह ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करेगी जिन्हें विहित किया जाय।

अध्याय-तीन

सार्वजनिक पुस्तकालयों का निदेशक

सार्वजनिक पुस्तकालयों का निदेशक

6--निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालयों का निदेशक होगा और वह इस अधिनियम के उपबन्धों के उचित प्रशासन और प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी होगा।

निदेशक के कृत्य

7--राज्य सरकार के नियन्त्रण के अधीन रहते हुए निदेशक :--

(क) राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली और सेवाओं के विकास के लिए राज्य सरकार को वार्षिक बजट, वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करेगा और राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा ;

(ख) समस्त सार्वजनिक पुस्तकालयों, जिनके अन्तर्गत सरकारी सहायता प्राप्त सार्वजनिक पुस्तकालय भी हैं, के कार्य पर विवरणात्मक और संख्यिकीय रिपोर्ट एवं आंकड़े एकत्र करेगा ;

(ग) पुस्तकालय का और विभिन्न सार्वजनिक पुस्तकालयों की सूचना सेवाओं का न्यूनतम मानक निर्धारित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालय ऐसा मानक बनाए रखें ;

(घ) विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय कर्मियों के उनके सेवा में रहते हुए, प्रशिक्षण को सुनिश्चित, आयोजित और सहयोग प्रदान करेगा ;

(ङ) राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों का समुचित निरीक्षण सुनिश्चित करेगा ;

(च) समस्त सार्वजनिक पुस्तकालयों के कार्य का पर्यवेक्षण और समन्वय करेगा ;

(छ) जिला स्तर पर पुस्तकालय समितियों के समुचित कार्य संचालन को सुनिश्चित करेगा ;

(ज) सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं के विकास के सम्बन्ध में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और प्रस्तुत करेगा ;

(झ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निष्पादन करेगा जो उसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रदत्त या समनुदेशित किये जायें।

अध्याय-चार

सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की संरचना और विभिन्न राजकीय केन्द्रों और पुस्तकालयों के कृत्य

राज्य स्तरीय पुस्तकालय

8--राज्य में दो राज्य स्तर के पुस्तकालय होंगे जिसमें एक राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, इलाहाबाद होगा और दूसरा राज्य सन्दर्भ पुस्तकालय, लखनऊ होगा।

राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय के कृत्य

9--राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय के निम्नलिखित कृत्य होंगे :--

(क) सामान्य जनता के लिए उपयोगी समस्त वाचन सामग्रियां प्राप्त करना एवं व्यवस्था करना ;

(ख) सामान्य जनता को स्ववाचन की सुविधा प्रदान करना ;

(ग) राज्य में अन्य सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए किसी अनुपूरक के रूप में कार्य करना ;

(घ) व्यापक स्तर पर जनता के मध्य वाचन की आदतें संवर्धित करने हेतु पुस्तक प्रदर्शनियों, व्याख्यानों, संगोष्ठियों और अन्य क्रियाकलापों का आयोजन करना ;

(ङ) राज्य और केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विकास योजनाओं/कल्याण कार्यक्रमों से सम्बन्धित सूचना का प्रसार करने हेतु किसी अभिकरण के रूप में कार्य करना ;

(च) यथा विहित रीति से सामान्य जनता को पुस्तक उधार देने की सेवाएं प्रदान करना ;

(छ) अन्तर्पुस्तकालय ऋण सेवा सहित, राज्य में, सार्वजनिक पुस्तकालयों के मध्य पुस्तकालय सहयोग की योजना बनाना और उसमें समन्वय स्थापित करना ;

(ज) विकलांगों को वाचन सुविधाएं और विशेष सेवाएं प्रदान करना ;

(झ) राज्य की सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली में शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करना ;

(ञ) राज्य में विभिन्न प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए सहायक प्रणाली के रूप में नव साक्षरों के लिए उपर्युक्त साहित्य प्राप्त एवं उपलब्ध कराना ;

(ट) राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालयों में कम्प्यूटरीकरण को प्रोत्साहित करना और सार्वजनिक पुस्तकालयों में कार्यरत वृत्तिकों की प्रसुविधा के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ;

(ठ) ऐसा अन्य कार्य करना जो उसे राज्य पुस्तकालय परिषद या निदेशक राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली विकास और सेवाएं द्वारा सौंपे जायं।

राज्य सन्दर्भ पुस्तकालय के कृत्य

10--राज्य सन्दर्भ पुस्तकालय के निम्नलिखित कृत्य होंगे :--

(क) राज्य में प्रकाशित समस्त उपयोगी सामग्रियों को प्राप्त करना ;

(ख) राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों की कम्प्यूटरीकृत संयुक्त सूचियां संकलित करना ;

(ग) विद्वानों और अनुसंधानकर्ताओं की प्रसुविधाओं के लिए विशेष रूप से 'मानविकी' और 'सामाजिक विज्ञान' के क्षेत्र में विभिन्न विषयों पर व्यापक सन्दर्भ सूचियां संकलित करना एवं प्रकाशित करना ;

(घ) सन्दर्भ और अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए सामान्य जनता को वाचन सुविधाएं उपलब्ध कराना ;

(ङ) राज्य में विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध हस्तलिखित दुर्लभ पाण्डुलिपियां अर्जित करना और ऐसी दुर्लभ पाण्डुलिपियों की संख्या, सूचियों का संकलन करना और प्रकाशन करना ;

(च) रासायनिक उपचार या/और माइक्रो फिल्मिंग की सहायता से दुर्लभ पाण्डुलिपियों का परिरक्षण करना ;

(छ) राज्य में विभिन्न पुस्तकालयों में उपलब्ध पाण्डुलिपियों की संयुक्त सूची संकलित करना ;

(ज) सामान्य हित के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विभिन्न अभिलेखीकरण क्रियाकलापों और समाचार पत्रों की कतरनों के संग्रह को कार्यान्वित करना ;

(झ) स्थायी महत्व रखने वाली सामग्री की पहचान करने के पश्चात् ऐसी सामग्री को निष्प्रयोज्य घोषित करने के लिए सार्वजनिक पुस्तकालयों के पुराने और अनुपयोगी संग्रह का परीक्षण और मूल्यांकन करना ;

(ञ) अन्य सार्वजनिक पुस्तकालयों में पाठकों की प्रसुविधा के लिए पुस्तकालय संचालन के विभिन्न पहलुओं पर अन्तर्पुस्तकालय प्रदाय सहित पुस्तकालय सहयोग को प्रोत्साहित करना ;

(ट) उपयोगकर्ताओं के लाभ के लिए विभिन्न विद्यमान कम्प्यूटरीकृत पुस्तकालय नेटवर्क यथा "डी इ एल एन इ टी" इत्यादि में भाग लेना ;

(ठ) राज्य पुस्तकालय परिषद या निदेशक द्वारा राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली और सेवाओं के विकास के लिए सौंपा गया कोई कार्य कार्यान्वित करना।

जिला पुस्तकालय

11--प्रत्येक जिले में एक राजकीय जिला पुस्तकालय होगा। जिला पुस्तकालय जिले के लिए प्रदाय ओर सन्दर्भ पुस्तकालय के रूप में कार्य करने के अतिरिक्त जिला पुस्तकालय प्रणाली के लिए शीर्ष पुस्तकालय के रूप में कार्य करेगा। जिला पुस्तकालय,--

(क) जनता के उपयोग के लिए उपयोगी और मानक साहित्य और अन्य वाचन सामग्री, श्रव्य-दृश्य उपस्कर का संग्रह करेगा ;

(ख) क्षेत्रीय/स्थानीय हित की सामग्री का संग्रह करेगा ;

(ग) सन्दर्भ, सूचना और प्रदाय सेवाओं को उपलब्ध करायेगा और वाचन आदतों को बढ़ावा देने और उसमें विस्तार करने में सहायता करेगा ;

(घ) शाखा/तहसील/खण्ड/ग्राम पुस्तकालय और अन्य अभिकरणों द्वारा संचालित पुस्तकालय के संग्रह की अनुपूर्ति करेगा ;

(ङ) जिले में अन्तर्पुस्तकालय सहयोग को प्रोत्साहित करेगा और उसका पर्यवेक्षण करेगा ;

(च) चल पुस्तकालय सेवाओं की व्यवस्था करेगा ओर जहाँ कहीं आवश्यक हो पुस्तक परिदान केन्द्र स्थापित करेगा ;

(छ) जिले के अन्य राजकीय शाखा/तहसील/खण्ड/ग्राम पुस्तकालयों और चल पुस्तकालय सेवाओं के क्रियाकलापों में समन्वय स्थापित करेगा और उसका पर्यवेक्षण करेगा ;

(ज) जिले में सावधिक रूप से अन्य राजकीय पुस्तकालयों और अन्य सहायता प्राप्त पुस्तकालयों का निरीक्षण करेगा ;

(झ) जिला पुस्तकालय प्रणाली के निमित्त विकास योजनाओं की तैयारी के कार्य में जिला पुस्तकालय समिति को सहायता उपलब्ध करायेगा ;

(ञ) ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करेगा जो उसे जिला पुस्तकालय समिति द्वारा सौंपे जायं।

अध्याय–पाँच

वित्त

वित्त

12--पुस्तकालय विकास योजना राज्य के केन्द्रीयित और अकेन्द्रीयित वार्षिक और पंचवर्षीय योजनागत और आयोजनागत बजट का समग्र भाग होगा। राज्य सरकार, यदि वह आवश्यक समझे, सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की सहायता और उसके विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन बढ़ाने के अर्थोपाय का भी पता कर सकती है।

अध्याय–छः

मान्यता

सार्वजनिक पुस्तकालयों और सार्वजनिक पुस्तकालय संघों की मान्यता

13--(1) राज्य सरकार सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित किसी पुस्तकालय, या किसी सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में जनता के उपयोग के लिए खोले गये किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी पुस्तकालय को उसके लिए सहायता अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता के संदाय के प्रयोजनार्थ मान्यता प्रदान कर सकती है।

(2) राज्य सरकार, नियमों के अनुसार उसके लिए सहायता अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता के संदाय के प्रयोजनार्थ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत राज्य में किसी सार्वजनिक पुस्तकालय संघ को मान्यता प्रदान कर सकती है।

अध्याय--सात

रिपोर्ट और निरीक्षण

रिपोर्ट और निरीक्षण

14--(1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो किसी सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रबन्धन का प्रभारी हो और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो सार्वजनिक पुस्तकालय संघ का प्रभारी हो, ऐसी रिपोर्ट और विवरणियां प्रस्तुत करेगा और ऐसी सूचना उपलब्ध करायेगा जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे।

(2) निदेशक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को स्वयं का समाधान करने के लिए कि इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों का अनुपालन किया जा रहा है, सार्वजनिक पुस्तकालयों और सार्वजनिक पुस्तकालय संघों या उससे सम्बद्ध किसी संस्था या वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली पुस्तकालय सेवा और पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करने वाली किसी संस्था के निरीक्षण करने की शक्तियां होंगी।

(3) प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर निदेशक, उस वर्ष में, ऐसी सूचना और विवरणों, जैसा कि निर्दिष्ट किया जाय, के साथ सार्वजनिक पुस्तकालयों और सार्वजनिक पुस्तकालय संघों की कार्यप्रणाली और उनके प्रशासन तथा उनके द्वारा [illegible] अवधि पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

अध्याय--आठ

प्रकीर्ण

परिषद के सदस्य लोक सेवक होंगे

15--इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी किसी नियमावली और विनियमावली के उपबन्धों के अनुसरण में कार्य करने के दौरान या करने के लिए तात्पर्यित परिषद के समस्त सदस्यों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

सद् भावनापूर्वक की गयी कार्यवाही का संरक्षण

16--इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली और विनियमावली के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गयी या किये जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए परिषद या उसके किसी सदस्य या सेवक के विरुद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी।

विधिमान्य उपधारित किये गये परिषद के कार्य और कार्यवाहियां

17--परिषद या उसकी किसी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल निम्नलिखित कारण से अविधिमान्य नहीं होगी :--

(क) उसमें कोई रिक्त या उसके गठन मे कोई त्रुटि, या

(ख) उसकी प्रक्रिया में कोई अनियमितता।

नियम बनाने की शक्ति

18--(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समस्त या किसी मामले का उपबन्ध करने के लिए ऐसे नियम बनाये जा सकते हैं, अर्थात् :--

(क) सार्वजनिक पुस्तकालय संघों या पुस्तकालय अधिकारियों से प्रतिनिधि निर्वाचित करने की रीति ;

(ख) अध्यक्ष द्वारा निष्पादित की जाने वाली शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य ;

(ग) ऐसी अन्य शक्तियां और कृत्य, जिनका प्रयोग और निष्पादन परिषद द्वारा किया जा सके ;

(घ) परिषद और उसकी समितियों के सदस्यों को संदेय भत्ते और दरें जिन पर उन्हें भुगतान किया जायगा ;

(ङ) निदेशक या पुस्तकालय कोष्ठक द्वारा प्रयोग और निष्पादित की जाने वाली अन्य शक्तियां, कृत्य और कर्त्तव्य ;

(च) जिला पुस्तकालय समितियों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कृत्य ;

(छ) सार्वजनिक पुस्तकालयों और सार्वजनिक पुस्तकालय संघों की मान्यता ;

(ज) वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित की जाने वाली सूचना और विवरण ;

(झ) कोई अन्य मामला, जो विहित किया जाना हो या विहित किया जा सकता है।

विनियम बनाने की शक्ति

19--(1) परिषद्, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्य का निर्वहन करने के लिए इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों से संगत विनियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समस्त या किसी मामले के लिए ऐसे विनियम का उपबन्ध कर सकती है, अर्थात् :--

(क) समय, दिनांक और स्थान, जिस पर परिषद बैठक करेगी और अपनी बैठक में अपने कार्य करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया के नियम, जिनका परिषद पालन करेगी।

(ख) अन्य समितियां, जिनका गठन परिषद कर सकती है, उनमें सदस्यों की संख्या और कृत्य, जिनका निष्पादन ऐसी समितियों द्वारा किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2006

20--(1) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अध्यादेश, 2006 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-20 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा0 अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक, 2006 पारित किया जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक, 2006 को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रदेश में बढ़ते आतंकवाद और बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री लाल जी टण्डन, श्री प्रमोद कुमार, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य तथा डा0 सुशील चौधरी आदि द्वारा दी गई सूचनाओं पर नियम-52 के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष--

प्रदेश में बढ़ते आतंकवाद और बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में अब चर्चा होनी है। इसमें माननीय नेता विरोधी दल के लिए एक घंटे का समय निर्धारित किया गया था। आवश्यकता के अनुरूप फिर देखा जाएगा। इसमें माननीय नेता विरोधी दल के लिए और माननीय नेता सदन के लिए कोई समय सीमा नहीं है लेकिन माननीय नेताओं से आग्रह करूँगा कि अपने सीमित समय में बात कह दें। सात-सात मिनट में अपनी बात कह दें। माननीय सदस्यों को तीन से चार मिनट में अपनी बात कहनी है।

*नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)--

मान्यवर, इस समय उत्तर प्रदेश आतंक के साए में है जहां हम बैठे हैं इसके ऊपर भी चुनौती है। आपने जो सुरक्षा व्यवस्था की है यह इसका प्रमाण है। मुख्य मंत्री जी का बयान आया है कि इनके ऊपर भी आतंकवाद का खतरा है। जहां यह स्थिति पैदा हो रही है सरकारी आंकड़ों के अनुसार 34 जिले ऐसे हैं, मेरी निगाह में यह संख्या कम है और भी है। क्योंकि लखनऊ से सबके तार जुड़े हैं। लखनऊ भी शामिल है यह जिले हैं--मेरठ, रामपुर, मऊ, बलरामपुर, कानपुर,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सहारनपुर, बुलन्दशहर, गौतमबुद्धनगर, मुरादाबाद, लखनऊ, फैजाबाद, गाजियाबाद, वाराणसी, बागपत, बिजनौर, अम्बेदकरनगर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, खीरी, श्रावस्ती, हाथरस, गोण्डा, बरेली, मथुरा, गोरखपुर, महाराजगंज, आजमगढ़, ज्योतिबाफूले नगर, बाराबंकी, फिरोजाबाद, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बस्ती यह लगभग आधा प्रदेश आतंकवाद की चपेट में है तो इस प्रदेश की जनता का भविष्य क्या होने वाला है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश आज इसके लिए साफ्ट स्टेट माना जाता है। यहां पर आई0एस0आई0 आतंकवाद का जाल बिछा रहा है। इसमें सरकार का रवैया नरम है मैं यहां कोड करना चाहता हूँ आपकी अनुमति से,-- आई0बी0 के पूर्व संयुक्त निदेशक एम0के0 धर ने अपने पुस्तक 'फुल क्राइम ऑफ इविल, आई0एस0आई0 सी0आई0ए0 अलकायदा' के आई0एस0आई0 के इशारे पर वाक प्रायोजित हिंसा और खासतौर पर उत्तर प्रदेश आई0एस0आई0 की गतिविधियों का अड्डा बनता जा रहा है, यह विस्तृत रूप से किताब में वर्णित किया गया है। इस किताब में इसके चेप्टर मिशन वेस्ट आपरेशन में 93 पेज में लिखा है आई0एस0आई0 ने उत्तर भारत के करीब एक दर्जन विधायक व सूबे के एक मुख्य मंत्री के बीच अपनी पैठ बना रखी है। इन सम्बन्धों के मद्दे नजर उस मुख्य मंत्री पर नजर रखी जा रही है यह मेरे अपने शब्द नहीं हैं। जो यह पुस्तक में लिखा गया है उससे उद्धरण लिया गया है। मान्यवर, हालत यह है आज के समाचार पत्र.....

मान्यवर, एक पत्र लखनऊ के चारबाग स्टेशन के अधीक्षक को मिला है जो सिमी से सम्बन्धित हैं। इस बार 15 अगस्त, जो हमारी आजादी का दिवस है, हमें लगा कि शायद हम फिर अंग्रेजों के जमाने में पहुँच गए हैं जब लोग झंडा फहराने में भयभीत होते थे और जेल जाते थे। जेल जाने की स्थिति अब नहीं है लेकिन जो भय और आतंक फैलाया गया, यह कायरता की निशानी है, यदि ऐसा है तो एक बार मिटा देना चाहिए, कहीं न कहीं उस पर जबर्दस्त हमला होना चाहिए और उस पर सब की एक राय होनी चाहिए। लेकिन उनकी वोटों के लालच में इस तरह से बचाव करने की कोई कोशिश करता है, किसी संगठन को, तो यह देश के लिए बहुत अनिष्टकारी काम होगा। मान्यवर, यह देखें, माननीय मुख्यमंत्री जी की फोटो है, "सिमी के साथ सपा", मुख्य पृष्ठ पर है। "आतंक के साये में प्रदेश, सिमी की भूमिका पर सियासी दांव-पेंच", होड़ लगी है, प्रमोद कुमार जी और मुख्य मंत्री जी में, कौन इनको ज्यादा हमदर्दी दिखा सकता है, सिमी के प्रति, क्योंकि इनके अध्यक्ष जो है, वह सिमी के वकील हैं। इनकी गवर्नमेन्ट ने प्रतिबन्ध लगाया है लेकिन इनके अध्यक्ष उसकी वकालत कर रहे हैं, मान्यवर, कहीं पर भारत माता की जय बोलने पर आपत्ति की जा रही है, कहीं पर बन्दे मातरम् के बारे में आपत्ति की जा रही है, कहीं पर मुस्लिम प्रदेश बनाने की बात की जा रही है। अब हो क्या रहा है, क्या हम इस प्रदेश में रहने के लायक रह गये हैं या नहीं ?

(कई सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शांत रहें।

(किसी सदस्य के यह कहने पर कि अखबार का संज्ञान नहीं लिया जाता है।)

श्री लालजी टण्डन--

उस अखबार पर आपको दावा करना चाहिए, मेरे से कहने के बजाय जो अखबार में छपा है, उस पर दावा करना चाहिए कि यह गलत छपा है। रिफरेंस के रूप में किसी पुस्तक या अखबार का रिफरेंस ले सकते हैं जहाँ भी इस तरह का गम्भीर विषय हो, इतना तो आपको ज्ञान होगा, प्रमोद जी बता देंगे।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, प्रमोद कुमार जी मेरे नेता है, मैं समझता हूँ.....

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

पाल साहब, आप बैठ जायें, फिर अपनी बात कह लीजिएगा।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्य अपनी जगह खड़े होकर बोलने लगे-व्यवधान)

राम इकबाल जी, समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष को बोलने दीजिए। नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं। (व्यवधान जारी)

(व्यवधान के मध्य)

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

पाल साहब, आप बैठ जाइये। आपको अवसर मिलेगा तोअपनी बात कह लीजिएगा।

(भाजपा के सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जायें। यह अच्छी बात नहीं है। नेता विरोधी दल बोल रहे हैं। यह सदन की परम्परा है कि जब नेता विरोधी दल बोलते हैं तो उन्हें बोलने में व्यवधान नहीं उत्पन्न करना चाहिए। पाल साहब, आप बैठ जाइये। व्यवधान न पैदा करें।

श्री मुंशी लाल गौतम-- [× × ×]

श्री अध्यक्ष--

कुछ लिखा नहीं जाएगा। पाल साहब आप बैठ जाइये। आपकोअपनी बात कहने का मौका मिलेगा। समय न बरबाद करें। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ किआप बैठ जायें। माननीय पाल साहब आप बैठ जायें। कृपया शांत हो जायें। यह अच्छी बात नहीं है। आपको शोभा नहीं देता।

श्री राम इकबाल सिंह-- [× × ×]

श्री अध्यक्ष--

कुछ लिखा नहीं जाएगा। पाल साहब, आप बैठ जायें।

(सभी सदस्य अपने स्थान पर बैठ गये। लेकिन माननीय श्री जगदम्बिका पाल पुनः खड़े हो गये।)

श्री अध्यक्ष--

पाल साहब, आप फिर खड़े हो गये। यह अच्छी बात नहीं है। आप बैठ जाइये।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने से व्यवधान)

नोट :--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री लाल जी टण्डन--

मान्यवर, यह भी प्रोसीडिंग्स पर आना चाहिए कि जिस समय इस प्रदेश की ज्वलन्त समस्या पर विचार हो रहा था उस समय काँग्रेस के नेता उसमें विघ्न डालने की कोशिश कर रहे थे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठ जायें। जिस समय आपको बोलने का अवसर दिया जायेगा उस समय आप अपनी बात कह दीजियेगा।

कुंवर भारतेन्द्र सिंह--

मान्यवर, एक सदस्य पूरे सदन का समय हाई जैक कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय पाल साहब, आप बैठ जायें। यह आपको शोभा नहीं देता है।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

कुछ तो आप कठोर हो जायें। इतने गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है और हम सब यह विश्वास करते हैं कि आपके निर्देशों का सदन पालन करेगा। लेकिन इस तरह से बार-बार व्यवधान होगा तो इससे सदन की महत्ता को और विषय की महत्ता को हम कम कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि आप आवश्यकता पड़े तो अधिक से अधिक कठोर हो जायें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शांत रहें। माननीय नेता विरोधी दल आप अपना भाषण करें।

श्री लालजी टण्डन--

मान्यवर, अगर आतंकवाद पर इस सदन में चर्चा नहीं हो सकती है तो कौन सा विषय है यहाँ पर चर्चा करने के लिए। इस प्रदेश की कानून व्यवस्था पर नियंत्रण करने के लिए पूरे सदन का दायित्व है। यह नेता सदन का ही नहीं बल्कि हम सबका है। आज प्रदेश खतरे में है। नैपाल बार्डर में रास्ता बना हुआ है आतंकवादियों के लिए, माओवादियों से खतरा है उधर बिहार से नक्सलवादियों का आतंक है और यह सब खुफिया एजेन्सी आई0एस0आई0 के द्वारा प्रायोजित आतंक है। हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। आज हालत यह हो रही है कि हम निरीह होकर देख रहे हैं। हम एटोमिक शक्ति बन गये हैं लेकिन यहाँ का जो पावर हाउस है, जो एटोमिक एनर्जी से चलता है, नरौरा में, वहाँ मिलेट्री लगा दी गयी है क्योंकि खतरा है, आतंकवादियों का खतरा है। इस बार खतरे से निपटना होगा। जो लोग इसे हल्के से लेते हैं वह आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय कर रहे हैं, उनके जीवन को असुरक्षित बना रहे हैं। मान्यवर, अखबार की बात सत्य न माने कि मुख्य मंत्री जी ने ऐसा कहा होगा लेकिन राज्यपाल ने सिमी के प्रकरण के ऊपर मुख्य मंत्री को पत्र लिखा, क्या था पत्र में ? क्यों लिखा ? उन्होंने सिमी के बारे में ही क्यों लिखा ? क्योंकि सारे प्रदेश में यह चर्चा मीडिया के माध्यम से आ गई कि मुख्य मंत्री जी ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में सिमी की कोई

गतिविधि ऐसी नहीं है जो सिमी के आतंकवादी आज जेल में हैं उनके मुकदमें हटाये जा रहे हैं, उन्हें छोड़ा जा रहा है। सिमी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ और मान्यवर, मैं बहुत ज्यादा कटु बात नहीं कहना चाहता हूँ लेकिन सिमी का जिन्होंने घोषणा-पत्र पढ़ा है उसका एक ही बिन्दु में कहना चाहता हूँ कि उनका उद्देश्य है इस देश को इस्लामिक राज्य बनाना, भूल जाना चाहिए उन लोगों को, हम जैसे लोग जब तक जीवित हैं तब तक यह देश सैकर्टिक स्टेट नहीं बन सकता है, न यह राज्य हिन्दू राज्य हो सकता है न यह मुस्लिम राज्य हो सकता है। आप लोग शब्दों के अर्थ नहीं समझते हैं राष्ट्र और राज्य दोनों में अन्तर है, राज्य अलग है, राष्ट्र अलग है। राष्ट्र जो है जनसंख्या के आधार पर होता है, संस्कृति के आधार पर होता है, परम्परा के आधार पर होता है और राज्य जो है कुछ लोग जो होते हैं सत्ता जिनके हाथ में होती है उनके द्वारा चलता है। तो आज अगर ये इस देश की परम्परा में कोई धर्म राज्य की कल्पना करके चलें और फिर सैक्युलरिज्म का जामा पहने हम उसे देख रहे हैं निरीह होकर, जो कुछ हो रहा है उसको बरदास्त करते चले जा रहे हैं । कुछ लोगों के सामने मजबूरी हो सकती है ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेरे सामने कोई मजबूरी नहीं है कि मैं न कहूँ, जो सत्य है वह सत्य है, इसके ऊपर सबको सोचना होगा और मैं कह सकता हूँ कि अगर आज डाक्टर लोहिया जीवित होते तो शायद इसके ऊपर क्या वो करते वो मैं कल्पना कर सकता हूँ क्योंकि मैं उनके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ , लेकिन अगर लोहिया के नाम पर चलने वाली सरकार इस तरह से कहती है तो क्या इसका अर्थ हुआ ? सारे देश की खुफिया एजेंसी कह रही है कि सिमी नाम का जो संगठन है उसके लोग सब आतंकवादियों को सामान मुहैया करा रहे हैं, उसकी व्यवस्था करा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि सिमी जो है वह उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर रहा है। जो पकड़े जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में वह काहे के लिए पकड़े जा रहे हैं। अभी भी जो बम्बई ब्लास्ट में जिन लोगों को पकड़ा गया है उनमें से सिमी का नाम क्यों आ रहा है, हमने तो नही पकड़ा, हम तो नहीं ला रहे हैं भारत सरकार ला रही है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहां की दोमुँही राजनीति जो है वह कितना बड़ा नुकसान कर रही है इस देश का किसी में आज हिम्मत नहीं है। मुझे याद है कि लियाकत अली प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के और उन्होंने एक बयान दे दिया कि हिन्दुस्तान में उस समय लाहौरी नमक आता था यहां पर पार्टीसन के तुरन्त बाद की बात है, उस समय टाटा नमक नहीं बना रहे थे, तो उन्होंने बयान दे दिया कि हिन्दुस्तान तो हमारा नमक खा रहा है। सरदार पटेल ने मुम्बई में सभा के अन्दर कह दिया कि कल अगर हम चीनी भेजना बन्द कर दें, कल हम कोयला भेजना बन्द कर दें, पाकिस्तान में बिजली भेजना बन्द कर दें, कल उनकी सारी हालत खराब हो जायेगी, तबाह हो जायेंगे, इसलिए बात सम्भल कर बोलना चाहिए, तुरन्त उनका खण्डन आ गया। आज काश इस देश में कोई सरदार पटेल फिर होता जिसमें इतना दम होता कि इस बात को कड़ाई के साथ कह सकता।

अल्पसंख्यक, हज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (हाजी याकूब कुरैशी)--

मान्यवर, दोनों संगठनों सिमी और आर0एस0एस0 पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय।

(माननीय सदस्य की इस बात का विपक्ष के लोग विरोध करने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष--

कुरैशी साहब, आप बैठिये।

श्री लाल जी टण्डन--

मान्यवर, इस प्रदेश में मुस्लिम उन्माद को बढ़ाने के लिए यही सब जिम्मेवार हैं जो बोल रहे हैं :

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठिये।

श्री लालजी टण्डन--

मान्यवर, इससे इस बहस की गम्भीरता को कम नहीं करना चाहिए उसे गम्भीरता के साथ लें। मैं बड़ी गम्भीरता से सारे तथ्य रख रहा हूँ कोई ऐसे वैसे भाषण नहीं कर रहा हूँ जिसमें कुछ हो न। मैं सारी घटनायें आपके सामने रख रहा हूँ।

अभी एक खबर आयी कि बहुत से हमारे जो संवेदनशील प्रतिष्ठान हैं जिसमें सैनिक उपकरण बनते हैं और बिजली बनती है इन सबके ऊपर आतंकवादियों की निगाहें हैं कि इनको उड़ा दिया जाय। कानपुर में 11 आई0एस0आई0 के एजेन्ट घुस गये थे। खुफिया एजेन्सी को उसकी सूचना थी उनको पकड़ने के लिए काम होना चाहिए था वह पकड़े गये या नहीं यह कहीं नहीं आया है। उनका कानपुर में जाने का मकसद क्या था इसलिए कि वहां कानपुर में आयुध फैक्ट्री है। हमारे अगर यह सब प्रतिष्ठान उनकी निगाहों में होंगे तो कैसे सब चलेंगे। अब तो मान्यवर नये से नये तरीके उनके पास आ गये हैं। अभी तक आर0डी0एक्स0 या दूसरे विस्फोटक पदार्थों का वह इस्तेमाल करते थे लेकिन अब तो लिक्विड विस्फोटक उनके पास आ गये हैं। बोतल में पीने के पानी की जगह विस्फोटक लाये जा रहे हैं। अब इसमें अगर हम सजग नहीं रहे कोई नीति हमने कठोरता के साथ नहीं बनायी तो फिर इस प्रदेश का क्या होगा ? आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। मान्यवर, आप भी देश भक्त हैं। मैं देशभक्ति के बारे में किसी के बारे में कोई चुनौती नहीं दे सकता हूँ केवल कुछ लोग हैं जिनके बारे में इस किताब में लिखा है। आई0एस0आई0 के माध्यम से एक दर्जन विधायक व सूबे के मुख्य मंत्री के बीच अपनी पैठ बना ली है। वह एक दर्जन विधायक कहाँ हैं, कौन हैं ? तो मान्यवर, अपनी गिरेगान में झांक कर देखना चाहिए। यह कोई मामूली बात नहीं है। और कुछ अगर गलत है तो मैं समझता हूँ कि कानूनी कार्यवाही करनी जिसने यह पुस्तक लिखी है। देश के बड़े अधिकारी रहे हैं। आई0बी0 के डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं। अगर अंग्रेजी पढ़े हैं तो मैं अभी यहां पर वह पढ़ सकता हूँ लेकिन वह पढ़े लिखे नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप अपना भाषण जारी रखिये। किताब के प्रदर्शन से कोई बात न कहें।

हाजी याकूब कुरैशी--

मान्यवर, इसमें [× × ×] के लोगों का हाथ है।

नोट :-- [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये। आप बात सुनिये फिर जवाब दीजिये। यह किताब से क्या मतलब, आप बहस में अपनी बात कहिये।

श्री लाल जी टण्डन--

यह महत्वपूर्ण किताब है।

श्री अध्यक्ष--

आप अपनी निजी जानकारी से बताइये। किताब में किसी ने कुछ लिख दिया वह अलग बात है।

(व्यवधान)

श्री लाल जी टण्डन--

'इन सेन्ट्रल नार्दन इण्डिया पाकिस्तान हेड अचीव्ड स्पेक्टेकुलर सक्सेस इन पेनीट्रेटिंग ओवर ए डजन लेजिस्लेचर्स एण्ड ए प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर हू हेड कम अण्डर द स्केनर फार मेन्टेनिंग क्वेश्चनेबल क्लेन्डेस्टिन लिंक्स'

श्री अध्यक्ष--

आप अपनी जानकारी से बताइये किताबों में क्या लिखा है उससे क्या मतलब ?

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

माननीय अध्यक्ष जी, भारत में न केवल लोकतंत्र है बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था भी है और लिखने की पूरी आजादी है, विचारों को व्यक्त करने की आजादी है। जहाँ एक विचार यह है [× × ×] आपने कहा किताब में लिखा गया है।

(श्री सतीश महाना द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह किताब मुझे तो दीजिए, उद्धरण देने के पहले मुझे भी देना चाहिए था।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

कहाँ के मुख्य मंत्री के लिए आपने कहा है मुख्य मंत्री को।

श्री लाल जी टण्डन--

मैं मुख्य मंत्री जी के बारे में ऐसी हल्की बात नहीं कह सकता । मैं तो उस पुस्तक का बता रहा हूँ कि आतंकवादी कहां तक पहुँच गये हैं।

(श्री आलमबदी द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, यह बात सदन में बिलकुल साफ होनी चाहिए क्योंकि आमतौर पर यह समझ में आया कि आपने जो मिसाल दी है [× × ×] यह बात स्पष्ट होनी चाहिए। पूरे सदन में यही एहसास पैदा हुआ, इस बात को इस तरह से रखा गया कि माननीय सदस्य यही समझे कि [× × ×] बात साफ होना चाहिए यह रिफरेंस क्योंकि बात उत्तर प्रदेश में हो रही है यहाँ के कानून व्यवस्था की हो रही है। यहाँ पर यहाँ की बात आना चाहिए।

नोट :-- [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री लालजी टण्डन--

मान्यवर, मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ।

मैं स्पष्ट कर दूँ कि मेरा मकसद कतई अपने मुख्य मंत्री या यहां के विधायकों पर नहीं है। उस पुस्तक में लिखा है कि मध्य उत्तर के एक राज्य में वह कौन सा राज्य है ? मैं उसका आकार बता रहा हूँ कि कहाँ तक फैल गये हैं, कहाँ तक आई0एस0आई0.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल, जल्दी समाप्त करें।

वह कह रहे हैं कि मेरा यह आशय नहीं है न मैं उत्तर प्रदेश पर कह रहा हूँ न मुख्य मंत्री पर कह रहा हूँ। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)--

मान्यवर, इसको इस बारे में स्पष्ट करा दिया जाय। चर्चा प्रदेश में बढ़ते हुए आतंकवाद, आदरणीय टण्डन जी, इस समय जो चर्चा हो रही है प्रदेश में बढ़ते आतंकवाद और गिरती कानून व्यवस्था पर चर्चा हो रही है। आपने एक उद्धरण कोड किया। चूँकि प्रदेश की चर्चा, राष्ट्रीय स्तर की चर्चा नहीं है यह। आपने [× × ×] प्रदेश के आतंकवाद पर बात कर रहे हैं, और फिर आप [× × ×] और फिर उत्तर भारत भी कह रहे हैं। इसका अर्थ या तो सीधा-सीधा आरोप लगाइये या डिनाई करिये क्योंकि गलत आरोप लगाकर गलत संदेश देकर इस तरह की भ्रामक स्थिति पैदा करना बहुत उचित नहीं है। मैं बहुत छोटा हूँ आपसे लेकिन चूँकि सबके दिमाग में एक ही बात गयी है, मैं चाहूँगा कि उसको स्पष्ट कर दें।

श्री अध्यक्ष--

वह कह रहे हैं कि मैंने नहीं कहा है, किताब में लिखा है।

श्री लालजी टण्डन--

मान्यवर, मैंने कह दिया उस पुस्तक में जो लिखा है यह आतंकवाद का मैं आकार बता रहा हूँ कहाँ तक फैल गया है। हमारे सुरक्षा संस्थानों तक फैल गया है, हमारे विद्युत स्टेशन तक पहुँच रहा है, यह रेलवे सेवायें अस्त-व्यस्त करने में लगा हुआ है।

श्री लालजी टण्डन--

आज विधान सभा के लिये खतरा है, मुख्य मंत्री जी के लिये धमकी आई है। मैं तो हूँ ही इनकी हिटलिस्ट में।

श्री अध्यक्ष--

माननीय टण्डन जी, जल्दी खत्म करिये, टाइम बहुत हो गया।

नोट :--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय टण्डन जो ने जिस पुस्तक का उद्धरण दिया और श्रीमन् पद संख्या-13 में जो चर्चा चल रही है, प्रदेश में बढ़ते आतंकवाद के सम्बन्ध में। मेरा उसमें एक अनुरोध है, आप मेरी प्रार्थना सुन लें। जितनी बातें उन्होंने कही है, उसमें आप स्वयं देख लें उन वाक्यों को, जो भ्रम उत्पन्न करते हैं किसी भी स्थिति के बारे में। हालाँकि मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह उत्तर प्रदेश के बारे में और माननीय मुख्य मंत्री जी के बारे में ऐसी बात सोच भी नहीं सकते। लेकिन जो वाक्य भ्रम उत्पन्न करते हैं, आप स्वयं देख लीजियेगा और उनको आप स्पंज कर दीजिये, यह मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, देख लेंगे और उसे निकाल देंगे।

श्री लालजी टण्डन--

अगर आप निकलवा सकते हैं तो उस पुस्तक से भी निकलवा दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा कोई इन्टेंशन नहीं है, किसी के ऊपर आरोप लगाने का। मेरा रिमार्क यह कहना था कि आतंकवाद आज सारे देश की समस्या है और उत्तर प्रदेश देश से अलग नहीं है। यह देश का सबसे बड़ा राज्य है और चारों तरफ से घिरता जा रहा है। एक तरफ माओवाद से घिर रहा है, एक तरफ नक्सलवाद से घिर रहा है, कहीं पर आतंकवाद से घिर रहा है और आई0एस0आई0 से घिर रहा है तो आखिर हम कहाँ रहेंगे ? मैं तो आतंकवाद का अंकार बता रहा हूँ। सारे देश में कहाँ से कहाँ तक यह फैल गया है और सबसे पहले मैंने शुरुआत यहीं की कि भारत के [× × ×] ने इस बार हम सबका सिर झुका दिया। अगर था भी कोई भय, तो उसका पूरा प्रबन्ध होना चाहिये। एक हफ्ते पहले से ही इस तरह का आदेश हो गया।

श्री अध्यक्ष--

आपको [× × ×] से क्या मतलब, आप प्रदेश के बारे में बोलिये।

श्री लालजी टण्डन--

मैं वही बता रहा हूँ। मैं यही बताना चाहता हूँ कि आतंकवाद जो है, उसको दबाने के बजाय उसका प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रदेश के बारे में बोलिये। दिल्ली में क्या हुआ, उसको क्यों बता रहे हैं ?

श्री लालजी टण्डन--

मान्यवर, 15 अगस्त हमारी आजादी का दिन है।

श्री अध्यक्ष--

वह पार्लियामेन्ट में लोग बोलेंगे। यहाँ क्या है, यह आप बोलिये।

नोट :--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री लाल जी टण्डन--

मान्यवर, मैं इसी के सन्दर्भ में बता रहा हूँ। मैं अपनी बात जल्दी खत्म कर रहा हूँ। अभी तक जितने लोग पकड़े गये हैं, कहीं न कहीं उनके तार उत्तर प्रदेश से जुड़े हुये पाये गये हैं। चाहे वह महाराष्ट्र में पकड़े गये हो, चाहे वह गुजरात में पकड़े गये हों, चाहे वह कहीं पकड़े गये हो, लेकिन उनका सम्बन्ध उत्तर प्रदेश से जरूर मिला है और सब घटनाओं के साथ कहीं न कहीं सिमी नाम का संगठन जरूर जुड़ा हुआ पाया गया है। अगर आप सिमी को यहाँ पर क्लीनचिट दे देते हैं तो फिर आतंकवादियों को बहुत बड़ा सहारा मिल जायेगा कि हमारे भी हमदर्द यहाँ बहुत बड़ी संख्या में फैले हुये हैं और तब आतंकवाद बहुत तेजी के साथ फैलेगा। इसलिये मैं माननीय नेता सदन से आग्रह करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर कठोर से कठोर नीति बनाई जाय और अगर सबकी सहमति बना कर कार्य योजना बनाई जा सके तो वह बनाई जाय। लेकिन आतंकवाद को कुचलना होगा। एक दृढ़ इच्छा-शक्ति पैदा करनी होगी। इसको जो आप हल्केपन से ले रहे हैं, वह अपनी संतानों के लिये गड्ढे खोद कर जा रहे हैं, कल के बाद किसी को गड्ढे खोदने नहीं पड़ेंगे। मुझसे ऐसी बात न कहलाइये। जो आज हो रहा है, इसकी कहाँ तक आवाज जायेगी, कहाँ तक इसका आगाज जायेगा।

(व्यवधान के मध्य)

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

मान्यवर, हमारी भी नोटिस है।

श्री अध्यक्ष--

आपकी नोटिस है, अगर समय रहेगा तो आप भी बोल लीजिएगा, पहले मौर्या जी, बोल लें।

श्री लाल जी टण्डन--

मान्यवर, नोटिस के दो पार्ट हैं, कुछ लोगों की नोटिस कानून-व्यवस्था के बारे में हैऔर कुछ लोगों की आतंकवाद पर है। मेरा अनुरोध है कि आतंकवाद पर बोलने के बाद आप कानून-व्यवस्था पर बुलवाएं।

श्री अध्यक्ष--

आप तो बोल चुके हैं।

श्री लालजी टण्डन--

मेरी नोटिस आतंकवाद के बारे में ही थी।

श्री मोहम्मद आजम खाँ --

मान्यवर, चर्चा का समय एक घंटे था।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

अध्यक्ष जी, कानून-व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए हमें आपने अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, प्राय: जब-जब सत्र आहूत होता है तो सत्रकाल में हम लोग इस सदन में गिरती हुई कानून-व्यवस्था पर चर्चा करते हैं और सभी लोग इस पर चिन्ता

व्यक्त करते हैं। नेता सदन भी बार-बार कहते हैं कि कानून और व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त है लेकिन मान्यवर, आज जो पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, वह इस बात को सोचने के लिए हमें मजबूर करती है, नेता सदन को सोचने को मजबूर करती है और सभी सदस्यों को यह सोचने के लिए मजबूर करती है कि आज उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था, पूरी तरीके से चरमरा गई है और मान्यवर, मैं अभी कल की घटना बताता हूँ, अभी कल ही आपके बस्ती में हमारे एक माननीय मंत्री के भाई ने शर्राफा गौरव की पिटाई कर दी। अभी अगस्त के महीने में 6 तारीख को जनपद सीतापुर के कोटला पुलिस चौकी इंचार्ज रवीन्द्र सिंह ने किसी घटना के सम्बन्ध में चौधरी पासी और उसकी पत्नी गीता देवी को बुलाया और दोनों को अलग-अलग कमरे में बन्द कर दिया। रात के एक-दो बजे गीता देवी की चीख उसके पति को सुनाई दी, चौधरी पासी गिड़गिड़ाता रहा कि मुझे मेरी पत्नी से मिलवाइये, उसे कोई प्रताड़ित कर रहा है और इस नाते वह रो रही है। बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भी उसको उसकी पत्नी से नहीं मिलने दिया गया और जब सबेरा हुआ तो उसकी पत्नी की लाश मिली। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके बावजूद भी बिना पोस्ट-मार्टम के उसकी डेडबॉडी को भी दफना दिया गया। वैसे तो उसे पुलिस गायब करना चाहती थी लेकिन जब गाँव वालों ने धरना-प्रदर्शन के माध्यम से लाश की माँग की तो पुलिस वालों ने जबर्दस्ती उसके पति से अँगूठा लगवा करके लाश को दफनवा दिया। लोग बार-बार अनुरोध करते रहे लेकिन एफ0आई0आर0 नहीं लिखी गई। इसी 04 अगस्त को इलाहाबाद के हिन्दू छात्रावास में पवन राव पर सामूहिक रूप से हमला किया गया, वह मैथ में पी0एच0डी0 कर रहा है। उसका दोष केवल इतना था कि उसने छात्रावास के कमरे में महात्मा बुद्ध और अम्बेदकर की मूर्ति रख दी थी। कुछ बिगड़ी मानसिकता के लोगों ने उसको गाली देते हुए कहा कि तुमने अपने कमरे में इसे क्यों रखा ? उसने कहा कि हमारे आराध्य हैं इसलिए हम रखेंगे। इस पर वहां दिवाकर सिंह, ध्रुवराज सिंह, अंकुर मिश्र व यतीन्द, गोलू, संजय सिंह आदि ने उसे बुरी तरह से मारापीटा। इस घटना की एफ0आई0आर0 मु0अ0सं0-244/06 भारतीय दण्ड विधान की धारा 147, 148, 149, 307, 305 व एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के तहत लिखा गया लेकिन एक भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जहां हम सभी लोग इस घटनाओं पर चिन्ता व्यक्त कर रहे थे कि 8 अगस्त को शम्भूराम, ग्राम-गढ़चम्पा, थाना-मानिकपुर, चित्रकूट को बुरी तरह से मारापीटा गया और गुर्दा खराब कर दिया गया। मान्यवर, 8 अगस्त को ही जमींदार चमार, पूर्व प्रधान, ग्राम लोधौरा, थाना-मानिकपुर की चमड़ी निकाल ली और दोनों आंखें निकाल ली। 11 अगस्त, 2006 को मुन्नी लाल मिश्र व उसके बेटे हरिश्चन्द्र की गोली मार कर हत्या कर दी गयी एवं डीजल डालकर लाश को जला दिया गया। 6 अगस्त, 2006 को ग्राम करहरतारा, थाना-कंछवा, मिर्जापुर में बिन्द समाज पर हमला हुआ और श्रीमती राम दुलारी पत्नी दु:खी की मौत हो गयी। मा0 मुख्य मंत्री जी के आश्वासन के बाद 82-83 की कार्यवाही हो चुकी है। मुख्य मंत्री जी के आदेश को इस प्रेदश के अधिकारी नहीं मानेंगे तो कानून-व्यवस्था कैसे होगी। इसी क्रम में निवेदन करना चाहता हूं 4 अगस्त, 2006 को छात्र अंकित वर्मा की हत्या मऊ में कर दी गयी लेकिन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है। इसी क्रम में आपसे कह देना चाहता हूं कि जनपद-प्रतापगढ़ में पयागपुर-औरिस्ता-थाना कंधई, पट्टी प्रातपगढ़ में मोनू उर्फ बजरंगी नामक गुण्डे के आतंक से एक हफ्ते तक लड़कियों का स्कूल बंद रहा क्योंकि वह लड़कियों से छेड़खानी करता था। मान्यवर, क्या ये

घटनायें कम हैं, इनसे यह पता चल रहा है कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था की क्या स्थिति है ? इसी लखनऊ के पुरनियां में महालक्ष्मी स्वीट हाउस के पास 13 वर्षीय बेटी को अगवा किया गया और बैग छीनकर स्कूल के पास फेंक दिया। उसके पिता ने पुरनियां पुलिस चौकी पर सूचना दी परन्तु एफ0आई0आर0 नहीं लिखी गयी उल्टे पुलिस ने उसके पिता से जबरदस्ती समझौता करा दिया। मजबूर पिता ने डर के मारे अपनी दो बेटियों को गाँव भेज दिया, इसलिए भेज दिया कि अगर लखनऊ में रहेगीं तो गुण्डे इसे पुन: उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभियुक्त सौरभ उर्फ श्यामू पर कार्यवाही नहीं की गयी। मान्यवर, इसी 9 अगस्त को .....

श्री अध्यक्ष--

अब समाप्त करिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, मैं केवल अगस्त महीने का ही जिक्र कर रहा हूं जनपद उन्नाव में श्री कमलेश पासी, श्री पूरन कुमार व सुरेश रैदास की हत्या होती है वह ब0स0पा0 या स0पा0 के कार्यकर्ता थे मैं इस पर नहीं जाता परन्तु 3-3 लोगों की हत्या होती है और अपराधी भयमुक्त घूम रहे हैं। हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष--

समय समाप्त हो गया, अब आप लिखकर दे दीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य --

मान्यवर, दो मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। इसी अगस्त माह में पेट्रोल पम्प मालिक अगस्त अग्रवाल की हत्या लखनऊ में कर दी गयी। 17-08-06 को प्रतापगढ़ जनपद के मान्धाता ब्लाक के ब्लाक प्रमुख श्री संजय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गयी। 21 जुलाई, 2006 को साजिया-नि0 ग्राम पटना उर्फ नयावास, थाना-चिलकाना, सहारनपुर को पीट पीटकर उसके गर्भस्थ शिशु को पेट चीड़कर निकाल लिया गया और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गयी और लाश को सड़क के किनारे फेंक दिया। स्थानीय पुलिस इसको दुर्घटना दिखाने में व्यस्त है और बिना पोस्ट-मार्टम कराये लाश को दफन करवा दिया, इसमें भी अभियुक्तों के खिलाफ कार्यवाई नहीं हुई ।

श्री अध्यक्ष--

मौर्या जी, 7 मिनट से ज्यादा 10 मिनट हो गये हैं, अब आप बैठ जाइये।

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

यह लिखकर दे दीजिये घटना का वर्णन है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मैं खत्म कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मौर्या जी आप घटना का वर्णन कर रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

हमारी बात खत्म हो गयी है। अभी 19 अगस्त को चीफ जस्टिस हाईकोर्ट की कार के ऊपर पथराव किया गया यह यहां की कानून व्यवस्था है। फिरोजाबाद के एस0पी0 पर और सी0ओ0 पर एक स0पा0 विधायक हमला करता है, यह आपकी कानून व्यवस्था है। लखमीपुर में वन अधिकारियों के साथ स0पा0 विधायक ने दुर्व्यवहार किया, यह आपकी कानून व्यवस्था है। महराजगंज में आर0टी0ओ0 को स0पा0 विधायक पीटता है, यह आपकी कानून व्यवस्था है। इसके साथ-साथ गौरीगंज (सुल्तानपुर) में एक डाक्टर को और एक वार्ड ब्वाय एक विधायक पीटता है, यह आपकी कानून व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष--

आपकी बात आ गयी आप बैठ जायं। माननीय राम गोविन्द जी आप क्या कहना चाहते हैं ? मौर्य जी आप बैठ जायं। ठोस बात कहनी चाहिये। घटनायें तो आप लिखकर दे देते हैं। रोज चर्चा होती है, कल भी चर्चा हुयी। आपकी बात खत्म हो गयी। 10 मिनट से ज्यादा हो गये हैं, सात मिनट का समय था।

*श्री राम गोविन्द चौधरी--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हमको ऐसा आभास हुआ सबेरे जो आपने अपनी पीठ से निर्देश दिया संभवत: 301, 56, 51 में जितने इस तरह के थे उसको आपने चर्चा के लिये स्वीकार कर लिया। आज तक परम्परा रही है कि जब भी कोई चर्चा स्वीकार की जाती है तो पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। इसमें यह नहीं रहता है कि नोटिस किसने दी है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय राम गोविन्द जी जो आप कह रहे हैं, आप अपनी बात कहने के लिये खड़े तो हों। आप खड़े होंगे तो मैं आपको अवसर दूंगा। मौर्य जी बैठें, तो आप बोल लीजिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, अंतिम बात मैं कह देना चाहता हूं कि इस धर्म निरपेक्ष प्रदेश में यदि कोई हिन्दू राष्ट्र की मांग करता है तो मुस्लिम राष्ट्र की मांग होगी। मैं कहना चाहता हूं कि आतंकवाद चाहे आर0एस0एस0 का हो या सिमी का हो या चाहे अन्य किसी का हो गलत है (शोर)

श्री राम गोविन्द चौधरी--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि जो विपक्ष की तरफ से गंभीर मुद्दे आये हैं उस पर चर्चा में भाग लेने की आपने मुझे अनुमति प्रदान की है। आयी बात श्रीमन्, नेता विरोधी दल की, बहुजन समाज पार्टी की, नेता कांग्रेस भी अपनी बात कहेंगे। इस प्रदेश में सरकार के खिलाफ कहने के लिये विपक्ष के पास कुछ नहीं है सिवाय कानून व्यवस्था के। कानून व्यवस्था के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज तक जितने दुर्दान्त डकैत चाहे वह चंबल की घाटी के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हों या यमुना के बीहड़ के हों, जितने डकैतों का सफाया इस सरकार ने किया है उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया है। इनके हाथ कांपते थे, इनके पैर कांपते थे चंबल के बीहड़ों में अपनी पुलिस को भेजने में, इनके सर दर्द करने लगते थे चंबल के बीहड़ों में पुलिस भेजने में। किसी जमाने में किसी की भी सरकार रही हो चाहे वह कांग्रेस पार्टी की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, बहुजन समाज पार्टी की हो किसी की भी सरकार के जमाने में आज तक एक मुठभेड़ चम्बल के बीहड़ों में नहीं हो पायी यह पहली सरकार है जिसने बीहड़ में प्रवेश करके वहां के बड़े से बड़े डकैतों को मारकर कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ किया। बनारस से लेकर बलिया तक सहारनपुर तक कम से कम पचासों गैंगवारों में बदमाशों को मारकर उनका सफाया किया किसी भी सरकार के जमाने में गुण्डों पर नकेल कसने का इतना बड़ा काम नहीं किया गया। चाहे लखनऊ के भूमाफिया हों, चाहे डकैत हों, चाहे आतंकवादी हों इस सरकार के समय में जितनी मुठभेड़ करके उनको मारा गया, उनको जेलों में भेजा गया उतनी आज तक किसीं भी सरकार के समय सफलता प्राप्त नहीं हुई। यह कहना कि एफ0आई0आर0 नहीं लिख रहे, पुलिस ने मारा जब से मानव समाज है तब से घटनाएं घटती रही हैं वह किसी के रोके नहीं रुकी लेकिन जो बड़ी कानून व्यवस्था की बात थी चाहे डकैतों का मामला हो, बैंक लूटने का मामला हो, राहजनी का मामला हो इन सब मामलों में सरकार ने जितनी सफलताएं प्राप्त की हैं उतनी न कोई सरकार कर पायी है न आगे कोई कर पायेगा यह मैं कहना चाहता हूं।

श्री प्रमोद कुमार--

अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण और ज्वलंत समस्या पर मुझे बोलने का अवसर दिया। टण्डन जी चले गए मौर्य जी बैठे हैं कुछ बातें चौधरी साहब ने कहीं उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार की चाहे वह कांग्रेस की सरकार रही हो उसकी हिम्मत नहीं पड़ी चम्बल के डाकुओं से मुठभेड़ करने की। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि छविराम और महवीरा को किस सरकार के समय मारा गया था। इसलिए वह भाजपा या बसपा का नाम ले सकते हैं लेकिन कांग्रेस का नाम नहीं ले सकते । अगर कांगेस का नाम लेंगें तो फिर मुझे कानून व्यवस्था के बारे में कहना पड़ेगा कि परसों ही अखबारों में छपा कि ददुआ ने तीन लोगों की आंखें निकाली उनकी चमड़ी उतार ली यह किस सरकार के समय की बात है फिर हमें इस पर चर्चा करनी पड़ेगी कि एक एस0पी0 फिरोजाबाद में पिटता है तो कानून व्यवस्था की गारण्टी आप भी नहीं ले सकते हैं कहीं न कहीं आपको भी विचार करना पड़ेगा। मुख्य न्यायाधीश के कारवां पर हमला होता है हालांकि बाद में सख्त कदम उठाए गए लेकिन क्या यह चिन्ता का विषय नहीं है। कहीं न कहीं सुधार की जरूरत है। इसमें मिल बैठकर विचार करने की जरूरत है सुधार की गुंजाइश है। यह जरूर है कि ईमानदार और कर्मठ अधिकारी लगे हुए हैं राजनैतिक इच्छा शक्ति है लेकिन कुछ जिलों में राजनैतिक इच्छा शक्ति के नाम पर एक अराजकता और गुण्डागर्दी है मेरा जिला इसका उदाहरण है। मैं कहना चाहता हूं कि कुछ जिलों में अराजकता और गुण्डागर्दी है। मैं जब मुख्य मंत्री जी से प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में बात करता हूं तो वह इससे सहमत होते हैं लेकिन बाहर दूसरी बात कहेंगे। कुछ जिलों में कानून का राज नहीं चलता बल्कि कुछ लोगों का राज चलता है। चाहे किसी की हिम्मत पड़े या न पड़े लेकिन मैं कह सकता हूं कि ऐसा मेरे जिले में हो रहा है। जब तक इसको रोका नहीं जाएगा तब तक स्थिति सुधरेगी नहीं। आदरणीय टण्डन जी आ गए मैं उनसे दो बातें कहना चाहता

हूं। 15 अगस्त को इतना बड़ा आतंकवादी खतरा केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार के सहयोग से टल गया इसके लिए केन्द्र और प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के समय में क्या हुआ था इनके नेता भांग पीकर पड़े रहे और पूरा का पूरा कारगिल दूसरों के हवाले कर दिया देश के टुकड़े हो जाते उनको पता नहीं चलता लेकिन इस 15 अगस्त को कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई उसके लिए मैं केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूं टण्डन जी कानून व्यवस्था पर बात कर रहे थे और एक किताब दिखा रहे थे लेकिन उसके बाद भरभराकर गिर गए आप किताब की बात मत करिए। एक किताब दिल्ली में लिखी गई और उसके बाद मांफी भी मांगी गई। उनकी हालत खराब हो गई। कहां हैं आप ?

(सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैं किताब की बात कर रहा था जो दिल्ली में लिखी गई जब उनसे पूछा गया तो बारह तरह के बहाने बनाये जा रहे हैं। मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता लेकिन मैं आपसे विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि काश आज यह कानून व्यवस्था पर बोलते तो हम समझते कि आपने कानून व्यवस्था की बात की है। लेकिन आपने बात क्या की आतंकवाद की। आतंकवाद की अम्मा अगर कोई है तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भूल गये वह दिन जिस दिन कन्धार ले जाकर आपने तीन खूंखार आतंकवादियों को अफगानिस्तान पहुंचाया था उसके बाद आप आतंकवाद की बात करने की जुर्रत करते हैं। आप बात करते हैं जब आपकी सरकार थी लाल किले पर हमला हुआ था। उस समय सरकार किसकी थी ? आतंकवाद के सामने आपने घुटने टेके थे। भूल गये वह दिन जब पूरे का पूरा कारगिल आपने हवाले कर दिया था आतंकवादियों के। आप भूल गये वह दिन जिस दिन भारत के पार्लियामेंट पर हमला हुआ था। आतंकवाद की बात आप मत करिये। आतंकवाद की बात के लिये आपने बलिदान नहीं दिया है। बल्कि आतंकवाद जिन्होंने पैदा किया है उसके सामने आपने घुटने टेके हैं। अगर सर किसी ने झुकाया है तो आपके दल के नेताओं ने झुकाया है। किसी और दल के नेताओं ने नहीं झुकाया है। मैं यह बात दृढ़तापूर्वक कहना चाहता हूं मान्यवर और बात इसकी चलती है बात होती है मान्यवर, एक संगठन की बात करते हैं मुझे तो ऐसा लगता है मान्यवर, आरोप लगाना चाहता हूं। सीधा सा मेरा आरोप है कि आज इन्हें चुनाव में कोई मुद्दा ढूढ़ें नहीं मिल रहा है तो किसी संगठन की बात आप कर लो किसी संगठन की बात ये कर लें। अगर बैन करने की बात है तो अच्छी चीज है चिल्लाइयेगा नहीं। बैन तो आर0एस0एस0 भी हुई। राष्ट्रीय स्वयं सेवक भी किसी गतिविधि के कारण बैन हुई थी। (कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान) यह ऐतिहासिक सत्य है ; और यह भी ऐतिहासिक सत्य है कि [x x x] और किसी ने नहीं की है। मत करिये बात आप उन सबकी ! मैं इतना कहना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी और बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि न कोई कौम न कोई दल और न कोई संगठन दागी होता है। दागी लोग होते हैं, अपराधी लोग होते हैं। अगर कोई अपराधी है तो जाति और धर्म के नाम पर उसको मांफी नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन अगर अपराधी है तो किसी जाति और धर्म के आधार पर उसका पक्ष नहीं लिया जाना चाहिए। इनके कहने पर मत आइये। ये जो बातें कह रहे हैं मुद्दों से ध्यान हटाने के लिये कह रहे हैं। इनकी हालत वैसी है जैसे मरघट पर बैठा कोई महा मान्यवर, आप जानते हैं श्मशान पर जो आग

नोट :--[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

लगाते हैं वो इन्तजार करते हैं कि कोई लाश आये। भारतीय जनता पार्टी इन्तजार करती रहती है कि कहीं कोई आतंकवाद की घटना हो तो शायद इनके मुर्दा पड़े शरीर में थोड़ी सांस आ जा इसलिये यह साम्प्रदायिकता का रंग भरने की कोशिश करते हैं। मान्यवर, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने अभी एक पुस्तक का उद्धरण दिया और मांफी भी मांग ली उसके लिये। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को तो आपने अलग कर लिया आपने कहा कि उत्तर मध्य का मुख्य मंत्री है। उत्तर मध्य में तो वसुन्धरा राजे जी हैं, मध्य प्रदेश चौहान साहब हैं और बिहार में आप ही के दल के समर्थित हैं। इन तीनों में कौन आई0एस0आई 0 का एजेन्ट है जरा इसको भी बता दीजिये। मेरा इशारा हो सकता है। आप थोड़ा करीब पहुंच रहे हैं। गुजरात तक जा रहे हो। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हरियाणा और पंजाब की जहां तक बात है वहां के मुख्य मंत्रियों की देशभक्ति पर हमें नाज है। लेकिन गुजरात में जो मुख्य मंत्री हैं उसने इस देश के संविधान को भी तोड़ा था और एक दूसरे देश के नाम पर इस देश की सर्वोच्च संस्था को भी तोड़ने का प्रयास किया था। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक पिसी हुई बिसात है जिसने आतंकवाद को जन्म दिया। आतंकवाद के सामने घुटने टेके। मैं कहना चाहता हूं कि साम्प्रदायिकता के नाम पर आपने मंदिर का खेल बहुत खेल लिया। अब खेलने का नाम मत लेना वरना जनता बहुत मारेगी। आप सूरत नहीं दिखा पाओगे इसलिये इन सब बातों को छोड़कर खत्म करो इन सब बातों को। मैं बात इतनी कह कर समाप्त करूंगा मान्यवर दो मिनट का समय और दे दें। मेरी समस्या क्या है मान्यवर, अभी एक आरोप लगा दिया इन्होंने कि इनके अध्यक्ष सिमी संगठन के लिये वकील रहे हैं। वकील तो आप भी रहे हो हुकुम सिंह जी, वकील हम भी रहे हैं। मान्यवर, मैं [x x x] की तरफ से कहना चाहता हूं कि वे आतंकवादियों के कभी वकील नहीं रहे हैं। अगर वो वकील रहे हैं तो इस संवैधानिक प्रश्न पर क्योंकि इन्होंने अध्यक्ष का नाम लिया।

श्री मोहम्मद आज़म खां--

वकील का नाम कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, प्रदेश अध्यक्ष की बात की थी। प्रदेश अध्यक्ष कह दीजियेगा। तब भी हमारा काम चल जायेगा। मैं कहना चाहता हूं उनके बारे में बात न करें। वह वफादार देशभक्त खानदान के हैं। जहां जाकिर हुसैन, खुर्शीद आलम जी परम्परा बनाते हैं तो कम से कम उसे अपने गोडसे से मिलाने की कृपा मत करिए। एक शर्मनाक स्थिति, देश के प्रधान मंत्री का पद बहुत बड़ा होता है। जहां से 15 अगस्त को कांपते हुए झंडा फहराने वाले लोगों की बात कही गई, हमारे प्रधान मंत्री देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं। हमें उन पर गर्व है उन्हें न भांग का शौक है, न भूलते हैं और न मौन का शौक है। यह तीनों शौक नहीं हैं कुछ मुद्दों पर प्रदेश में राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। एक से एक ईमानदार अधिकारी आए हैं। हम कहना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले साम्प्रदायिकता के लिए सर उठाए तो इनके साम्प्रदायिक सर को कुचल देना हम अपना काम समझ लेंगे।

नोट :--[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

एक घंटे की चर्चा है। एक घंटा हो गया है और मुख्य मंत्री जी को जवाब देना है। इसी एक घंटे में मुख्य मंत्री जी को भी जवाब देना था बाते सबकी आ गई है।

श्री जगदम्बिका पाल--

और माननीय सदस्यों को भी बोलना है।

श्री अध्यक्ष--

नोटिस में पचास आदमी हैं। एक घंटे की चर्चा में 50 कैसे आएंगे ? अभी मुख्य मंत्री जी को भी बोलना है। भा0ज0पा0 की तरफ से एक, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, एक-एक सदस्य बोल लें। आप लोग तय कर लें। जो मा0 सदस्यों में बोलना चाहते हैं वह बोल लें नोटिस में 50 लोगों का नाम है।

मा0 सदस्य--

और लोगों को बोलने दिया।

श्री अध्यक्ष--

उनका नाम था।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

मुझे ऐसा लग रहा है इतने महत्वपूर्ण विषय पर दो घंटे भी पर्याप्त नहीं है। आपने एक व्यवस्था दे दी। मेरे लिए शायद उस व्यवस्था में बंधना संभव न हो। शेष सदस्य बोलेंगे तो उनको तीन मिनट देंगे यह आपने व्यवस्था दी। तो तीन मिनट में मुझे अपनी बात कहना संभव दिखाई नहीं देता। पीठ से आश्वासन मिले तो संक्षेप में अपनी बात कह दूं। इतने गम्भीर मुद्दे पर बहुत सी बातें कहना शेष रह गया है।

श्री अध्यक्ष--

आप विद्यवान सदस्य हैं अच्छे वकील हैं कोर्ट में संक्षेप में अपनी बड़ी-बड़ी बातें कह देते हैं।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

मैंने कहा संक्षेप में कहूंगा।

आतंकवाद एवं कानून व्यवस्था पर जारी चर्चा पर समय बढ़ाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

एक घंटा हो गया है। संसदीय कार्य मंत्री जी समय बढ़ाने का प्रस्ताव कर दें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मेरे ख्याल से मुख्य मंत्री जी को मौका दे दिया जाए।

श्री अध्यक्ष--

मा0 सदस्यों को एक-दो मिनट सुन लिया जाए।

श्री मोहम्मद आज़म खां--

आधा घंटे का समय बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है।

प्रदेश में बढ़ते आतंकवाद और बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री लाल जी टण्डन, श्री प्रमोद कुमार, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य तथा डा0 सुशील चौधरी आदि द्वारा दी गयी सूचनाओं पर नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा (क्रमागत)

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

मुझे आपने समय दिया मैं प्रयास करूंगा कम से कम समय में अपनी बात कहूं अभी मैंने नेता कांग्रेस को सुना, कह रहे थे भा0ज0पा0 पार्टी किसी चीज की जननी है। बहुत शालीन शब्दों में खराब बात कही जा सकती है उनका भाषण, इसका एक उदाहरण है, इससे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आतंकवाद की जननी कौन है, थोड़ा इसे देखते चलें। वर्ष 1947-48 में देश का विभाजन हुआ, कश्मीर का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। हमारी फौजें उस हिस्से को वापस लेने की कोशिश कर रही थीं। तत्कालीन प्रधान मंत्री ने रोक दिया, आज वह हिस्सा पाकिस्तान आकृपाइड कश्मीर है जहां आतंकवादी, आतंकवाद का प्रशिक्षण लेकर आतंकवाद फैलाते हैं इस तरह [x x x] तत्कालीन प्रधान मंत्री ने आतंकवाद को जन्म दिया। 1965 में इस देश के बहादुर सैनिकों ने लाहौर तक कब्जा कर लिया था लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री [x x x] ताशकंद चले गये, समझौता करने। आज लाहौर की जमीन से आतंकवाद को पोषित किया जा रहा है। कौन जिम्मेदार है, आतंकवादी प्रशिक्षण केन्द्र बनाने के लिए ? कांग्रेस जिम्मेदार है। वर्ष 1971 में पूर्वी पाकिस्तान का सफाया हो गया था, 90 हजार पाकिस्तान सैनिक पकड़े गये थे, उन्हें छोड़ दिया गया। आज तक कारगिल में वह हमारे विरुद्ध लड़ते हैं । इसके कारण इस देश में आतंकवाद बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे देश तथा कथित प्रेमियों को सुन लेने की आदत तो है लेकिन इस आरोप का पुरजोर खण्डन में इस सदन में कर रहा हूं। 1950 में आई0एस0आई0 ने भारत में अपनी गतिविधियों का केन्द्र बनाना शुरू किया। इसका उल्लेख इस पुस्तक में है। यह पुस्तक इन्टेलीजेंस ब्यूरो के संयुक्त निदेशक ने लिखी है, जिनके पास अनेक ऐसी सूचनाएं उपलब्ध हैं जिन्हें प्रकाशित करना भी उचित नहीं है। उनके व्यक्तिगत मस्तिष्क में जो जानकारियां थी, वह जानकारियां इस पुस्तक में बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट की गयी हैं। पुस्तक में जो बातें कही गयी हैं, वह सत्य है या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन पुस्तक में यह बातें कही गयी हैं। यह फलक्रम आफ इविल 2006 के संस्करण के पृष्ठ 106 पर मिल जायेगा कि आतंकवादियों के इरादे क्या हैं, जिसके लिए हमें सचेत रहने की आवश्यकता है।

श्री प्रमोद कुमार--

अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जहां तक मेरी जानकारी है यदि किसी पुस्तक का उद्धरण दिया जाए या किसी भी लेख से उद्धरण दिया जाए तो उसकी एक प्रतिलिपि आपको

नोट :--[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मिलनी चाहिए और वह प्रतिलिपि आपको सत्यापित रूप में आपको उपलब्ध करायी जानी चाहिए। अगर इस पुस्तक की एक प्रति आपके पास है, माननीय वरिष्ठ सदस्य जो विधान सभा के अध्यक्ष पद की गरिमा को . . . . .

श्री अध्यक्ष--

15 मिनट का केवल समय है।

श्री प्रमोद कुमार--

मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि जिस पुस्तक का अंश आपके पास नहीं है, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि उसको यहां पर पठित नहीं किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष--

यह किताब जो है, प्रकाशित है तो प्रकाशित पुस्तक का उद्धरण कहीं भी दिया जा सकता है।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

दूसरी बात यह पुस्तक मेरी नहीं है। यह पुस्तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के पुस्तकालय की है।

श्री अध्यक्ष--

आपका 5 मिनट का समय था, जो महत्वपूर्ण बात हो, कह लीजिए।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

इसमें दो-तीन पैराग्राफ है। अंग्रेजी में लिखी हुई यह पुस्तक है, इस सदन के जितने सदस्य हैं, सब अंग्रेजी जानते व समझते हैं, अगर कहेंगे तो मैं हिन्दी अनुवाद कर दूंगा लेकिन समय बचाने के लिए अंग्रेजी में पढ़ देता हूं।

"अटैक्स आन हिन्दू टैम्पल्स इन गुजरात, जम्मू, उत्तर प्रदेश एण्ड वाइलेन्ट इनसीडेन्ट्स इन वेस्ट बंगाल, तामिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान एण्ड इन देहली एक्सेक्ट्रा आर सिम्टोमैटिक आफ द इस्लामिस्ट वार अगेन्स्ट द दार-अल-काफिर एण्ड जहिलिया हिन्दू सोसाइटी। दिस न्यू वार इज एम्ड एट रिकाइडलिंग द रिलीजस फाल्ट लाइन देट हैड रिजल्टेड इन द डिवीजन ऑफ द कन्ट्री एण्ड इट नाउ एम्स एट क्रियेटिंग रिपल्स एण्ड वेव्स आफ ए सेकेन्ड टू नेशन मूवमेंट, देट इज फार्मेशन आफ एन अदर मुस्लिम इण्डिया आउट आफ द इक्जिस्टिंग इण्डिया. इट में वी रिकाल देट अटैक्स आन स्वामी नारायन टेंपल इन गुजरात एण्ड दि मेकशिफ्ट रामजन्म भूमि ऐट अयोध्या वर माउंटेड बाइ जेहादीस फ्राम पाकिस्तान इन कालोवरेशन विथ आई एस आई माड्यूल्स इस्टबलिस्ड इनसाइड इण्डिया." मान्यवर, इस सदन के अंदर एक प्रश्न उठा था जब 5 जुलाई, 2005 को अयोध्या में आतंकवादियों का हमला हुआ था। मैंने प्रश्न उठाया था कि केंद्र के गृहमंत्री अयोध्या जा सकते हैं, प्रदेश के राज्यपाल वहां जा सकते हैं, लेकिन मुख्य मंत्री जी आप क्यों नहीं गये ? माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि मैं आतंकवादियों को महत्व नहीं देता। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात को गम्भीरतापूर्वक लिया होता तो काशी में संकटमोचन

मंदिर और रेलवे स्टेशन पर आतंकवादी घटनाएं न होती। अपने आपको कुछ विशेष प्रकार के सांचे में ढालकर आतंकवाद की अनदेखी करने की प्रवृत्ति इस सरकार की हो गयी है। 16 मई, 2006 के इस विधान सभा के अधिवेशन में संसदीय कार्य मंत्री जी उत्तर दे रहे थे जिसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने हस्ताक्षर किये थे, जिसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के 34 जिले आतंकवाद की दृष्टि से संवेदनशील हो गये हैं। प्रश्न इतना था कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में आतंकवाद से निपटने के लिए कोई कार्ययोजना बनाई है या नहीं ? उत्तर था कि उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर एक एस0टी0एफ0 का गठन किया गया है। मैंने पूछा था कि वहां जो मदरसे बने हुए हैं जिन पर आतंकवाद का संदेह उत्पन्न हो रहा है उनके बारे में कोई जांच कर रहे हैं ? उत्तर था कि जांच पिछली सरकार ने कराई थी और उसमें कुछ नहीं मिला था। मान्यवर, पिछली सरकार 29 अगस्त, 2003 को समाप्त हो गयी थी। तब से लेकर 16 मई, 2006 तक इन मदरसों की गतिविधियों के बारे में कोई भी जांच न करना हमारे मन के अंदर संदेह उत्पन्न करता है। यह सरकार जिस प्रकार सिमी को प्रोत्साहन दे रही है उससे यह सरकार प्रदेश में बढ़ते हुए आतंकवाद को प्रोत्साहन दे रही है। मेरा आरोप है कि सिमी को समर्थन देकर यह सरकार उत्तर प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन दे रही है।

श्री अध्यक्ष--

आपका 5 मिनट का समय था, वह समाप्त हो गया है।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

मान्यवर, यह इतना गम्भीर विषय है। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की इंटेलीजेंस एजेंसी आई0एस0आई0 ने योजना बनायी है और उसी के तहत इन मदरसों का आतंकवाद के लिए प्रयोग कर रही है। यह बात इंटेलीजेंस के संयुक्त निदेशक ने कही है। मान्यवर, मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं कि किस प्रकार से इस प्रदेश में जेहादी मानसिकता उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है।

(इस पर सत्ता पक्ष के कई सदस्य खड़े हो गये और अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में शोर-शराबा उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं।

माननीय त्रिपाठी जी, एक घंटे की चर्चा थी और वह एक घंटा खत्म हो गया था। मैंने फिर 45 मिनट बढ़ा दिया। इसमें आधा घंटा मुख्य मंत्री जी को बोलना है। पांच-पांच मिनट का समय मैंने दिया था, आपके पांच मिनट हो गये हैं। एक आध मिनट में जो और आपको कहना है वह कह दें उसके बाद दो मिनट में बी0एस0पी0 और कांग्रेस पार्टी के सदस्य बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपया शांत रहें।

श्री वसीम अहमद--

मान्यवर, इनके जमाने में कोई आतंकवादी नहीं मिला। यह लोग हमारी आजादी को मारना चाहते हैं, मुसलमानों को मारना चाहते हैं। यह [x x x] बोल रहे हैं।

नोट :--[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

कृपया शांत रहें।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

बहराइच में किसके ऊपर मुकदमा चल रहा है जिसको वापस लेने की कार्यवाही हो रही है। सिमी के पदाधिकारी के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चल रहा है उसको वापस लेने की कार्यवाही हो रही है। कानपुर में सिमी के लोगों की गिरफ्तारी हुई उनका मुकदमा वापस लेने की कार्यवाही की जा रही है। मान्यवर, मुझे पूरी तरह से अपनी बात नहीं कहने दी जा रही है इसलिए समय न मिलने के कारण सदन का बहिर्गमन करते हैं।

(तदुपरान्त नेता विरोधी दल ने अपने दल भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)--

माननीय अध्यक्ष जी, गम्भीर मामले में जिरह बहस है-आतंकवाद और कानून व्यवस्था। माननीय नेता विरोधी दल के बोलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के किसी सदस्य के कहने पर पूरी पार्टी का बहिर्गमन कर जाना इस बात का सबूत देता है कि खुद पार्टी में अंदरूनी कलह किस हद तक है और नेता विरोधी दल को किस तरह से अपमानित किया जा सकता है। मान्यवर, चूंकि मेरा नाम लिया गया था एक प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जिस तरह से गाली-गलौज कर रहे हैं तो उससे सुरक्षा के लिए कुछ लोगों को भेजें। जो इस तरह का आचरण यह कर रहे हैं उससे सदन की गरिमा गिरी है इसे सदन संज्ञान में लें।

श्री मोहम्मद आजम खां--

जिन लोगों ने सदन में सवाल रखा और जिन्हें बहस करनी चाहिए थी आतंकवाद और कानून व्यवस्था पर, वह उत्तर सुनने की हैसीयत में नहीं थे। उनके अन्दर हिम्मत नहीं थी कि वह उत्तर सुन सकें। कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रमोद कुमार जी ने कुछ कहा और भारतीय जनता पार्टी बर्दास्त नहीं कर पायी। मेरा जिक्र आया एक प्रश्न के उत्तर के सन्दर्भ में मैंने यह कहा था कि पिछली सरकारों में जांच हुई कि नहीं। मान्यवर, [x x x] मुख्य मंत्री थे और कोई ऐसी जगह नहीं थी खासतौर से वह इलाके जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र रहे हों वहां जाकर वह जानबूझकर अपने भाषणों में यह बात जरूर कहते थे कि मदरसे आई0एस0आई0 के अड्डे हैं। मान्यवर, क्योंकि एक सोची समझी रणनीति के तहत ऐसे जुमले इस्तेमाल किये जाते हैं। आज भी जिस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ है और जिस तरह एक अमुक वर्ग को एक अमुक जाति के लोगों को अपमानित करने वाली भाषा इस्तेमाल की गई है, उसके लिए नेता सदन ने हमेशा यह कहा है कि जब तक मुसलमानों को मुसलमानों से कोई कानून हाथ में लेगा सबसे पहले हम चाहेंगे कि इन्साफ का फन्दा उसके गले में जाना चाहिए। मान्यवर, मैंने इसी सदन में कहा है कि काश मुरादाबाद में आज बहुत बड़े-बड़े आन्दोलन कर रहे हैं हमारे पूर्व प्रधान मंत्री लेकिन वही थे मुख्य मंत्री मैं वहीं बैठता था और वह यहां बैठते थे 1980 में जब मुरादाबाद का ईदगाह का काण्ड हुआ था और नमाजियों पर गोली चलाई गयी थी, नमाजी मारे गये थे, 500 बच्चे बापों के पैरों से कुचल कर मर गये थे, आज यह नैतिकता की बात करते हैं। मान्यवर, जब भी 47 के बाद कोई हादसा हुआ पूरे हिन्दुस्तान में

नोट :--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कश्मीर में विरोध हुआ, मुरादाबाद हो, अलीगढ़ हो कहीं का दंगा हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक चरित्र हो, कोई मामला हो उसका रद्देअमल कश्मीर में हुआ, लेकिन जब भी कश्मीर में कुछ हुआ पूरे हिन्दुस्तान में कहीं पर भी उसका कभी कोई रद्देअमल नहीं हुआ। किसी मुसलमान ने कश्मीर के बाहर कश्मीर के किसी मामले पर न तो एक दिन के लिए बाजार बन्द किया, न तो अपने बाजू पर काली पट्टी बांधी और न ही कोई मुसलमान पूरे हिन्दुस्तान का कश्मीर के अलावा कोई मुसलमान जेल गया, क्या वहज थी ? सिर्फ यह वजह थी कि कश्मीर भारत के साथ नहीं रहना चाहता था, लिहाजा जो कश्मीर भारत के साथ नहीं रहना चाहता था भारत का मुसलमान उस कश्मीरी के साथ नहीं रहना चाहता था। लिहाजा आज एक धर्म को निशाना बनाकर उसको मुजरिम करार देकर आखिर क्या संदेश देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी ? बार-बार मदरसों का नाम लेकर उन मदरसों का नाम जिनका क्या इतिहास है, आजादी की लड़ाई में 35 हजार से 50 हजार तक मुश्तनद उलेमा डिग्री होल्डर फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिये गये, उनका कोई जिक्र नहीं है और उन मदरसों को जिनका कोई आतंकवाद का इतिहास नहीं है मान्यवर, जैसे मैंने कहा कि [x x x]जी घूम-घूम कर कहा करते थे कि मदरसे आई0एस0आई0 के अड्डे हैं। हम दावे के साथ कहते हैं कि खुद [x x x] के जमाने में अगर एक मदरसा आई0एस0आई0 के अड्डे के तौर पर पकड़ा गया हो तो पूरी कौम को मुजरिम करार दिया जा सकता है। जहां एक मिसाल भी ऐसी न हो और मान्यवर, मैंने तो इसी सदन में कहा था कि अगर कोई मुसलमान आई0एस0आई0 का अड्डा चलायेगा तो मदरसे में क्यों चलायेगा उसे चलाने के लिए बहुत से ऐसे नाम हैं जिन नामों का सहारा लेकर वह आई0एस0आई0 के अड्डे चला सकता है। जो आई0एस0आई का अड्डा चलायेगा। मान्यवर, उसके पास इतनी बुद्धि जरूर होगी लिहाजा जिस तरह से बात को रखा गया वह तथ्यों से बिल्कुल परे थी और आज भी मान्यवर, सरकार इस बात के लिए बिल्कुल कटिबद्ध है। मान्यवर, कि चाहे कोई पाठशाला हो, चाहे कोई स्कूल हो, चाहे कोई मदरसा हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति हो अगर किसी आतंकवादी गतिविधि में लिप्त है तो उसको सजा मिलनी चाहिए लिहाजा मान्यवर, मैं उस भावना की जिस भावना से आज भारतीय जनता पार्टी ने इस्लाम का नाम लिया है किताब का वह हिस्सा पढ़ कर सुनाया गया जिसमें इस्लामी आतंकवाद की बात कही गयी है। मान्यवर, इस्लाम आतंकवाद का नाम नहीं है, मान्यवर, पूरी दुनिया का इतिहास देख लिया जाय जितनी इज्म है पूरी दुनिया है कोई इज्म ऐसा नहीं है जो खून से नहाया हुआ न हो, इतिहास तो पढ़े ये लोग इस्लाम शान्ति का नाम है, मोहब्बत का नाम है, प्यार का नाम है मैंने कहा था इसी सदन में किसी धर्म का व्यक्ति अगर कोई गलत काम करता है, अगर कोई हिन्दू काम करता है तो उसके हिन्दू धर्म को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। अगर कोई मुसलमान गलत काम करता है तो इस्लाम को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। मान्यवर, सबसे ज्यादा अगर किसी ने निन्दा की है, किसी मन्दिर में बम फटने की, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों पर तो खुद मुसलमानों ने की है क्योंकि इससे इस्लाम बदनाम होता है, हम मानते हैं लेकिन इसकी निन्दा हम करेंगे, लेकिन वह लोग जिनकी मन्शा आतंकवाद रोकना नहीं है बल्कि इस्लाम को मुजरिमों के कटघरे में खड़े करके अपनी आत्मा को शान्ति देना है।

मैं इस भावना की निन्दा करना चाहता हूं ओर आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसी सारी भावना जो लिखी गई हो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

नोट :--[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*श्री ददद्दू प्रसाद--

मान्यवर, अध्यक्ष महोदय मैंने कानून व्यवस्था के ऊपर कल नोटिस दी थी। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बुन्देलखण्ड में जनपद चित्रकूट की 8 लाख की आबादी, बांदा में 2 लाख आबादी, जंगली क्षेत्रों में निवास करती है। फतेहपुर में 2 लाख की आबादी है। इलाहाबाद और कौशाम्बी, रीवां, सतना इन जिलों में दस्यु गिरोहों का आतंक है। मान्यवर, वहां उनकी एक सामान्तर सरकार चल रही है हम बिना दस्यु गिरोह की अनुमति के अपना खेत नहीं बो सकते हैं। वहां पर ठेकेदारी के नाम पर जो भी काम होते हैं, दस्यु गिरोह जिसको चाहते हैं उसको ठेका मिलता है बाकी निर्माण कार्य नहीं करा सकते। व्यापारी व्यापार नहीं कर सकते। पत्थर और बालू का जो ठेका है दस्यु गिरोह जिसे कहेंगे वही काम ले सकता है बाकी नहीं करा सकते हैं।

मान्यवर, इसी तरीके से जंगल में अवैध कटान, अवैध खनन के जो भी काम हैं वह सरकार के संरक्षण में और प्रशासन के सहयोग से हो रहे हैं। मान्यवर, तेंदू पत्ता तोड़वाने का काम होता है जो 12-13 दिन चलता है। उस दौरान में 3 दिन, 4 दिन की मजदूरी का पैसा, मजदूर की पेट की रोटी का पैसा वन निगम के माध्यम से वह दस्यु गिरोह चढ़वा लेते हैं।

मान्यवर, दस्यु गिरोहों के रूप में वहां शिव कुमार उर्फ ददुआ, खड़क सिंह, छोटा सिंह आदि की वहां फसल तैयार हो गयी है। मान्यवर, वहां पी0ए0सी0 कम से कम 21-22 गांवों में तैनात रहती थी और पिछले 10-15 सालों से तैनात रहती थी लेकिन जून 2006 में जनपद चित्रकूट के इन ग्रामों से पी0ए0सी0 हटा ली गयी है। रानीपुर थाना मानिकपुर, सकरौहा थाना मानिकपुर, चमरौहा थाना मानिकपुर, मऊ गुरदरी थाना मानिकपुर, ऊंचाडीह थाना मानिकपुर, शिठावां कोटा कंदैला थाना मानिकपुर, हरिजनपुर थाना मानिकपुर, निही चिरैया थाना मानिकपुर, कल्याणपुर थाना मानिकपुर, हर्दी डांडी थाना मानिकपुर, छेरिहा खुर्द थाना मारकुण्डी, डोंडा माफी थाना मारकुण्डी, कैलहा थाना बहिलपुरवा, कर्का थाना बहिलपुरवा।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

श्री ददद्दू प्रसाद--

मान्यवर, मैं भाषण नहीं करना चाहता हूं। तथ्यों से परे कोई बात हो तो आप मुझे बाहर निकाल दीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि इसी तरह से ग्राम छीतूपुर थाना बहिलपुरवा, गढ़चपा थाना मानिकपुर, कौबरा थाना रैपुरा, हनुवां थाना मानिकपुर, सेमरदहा थाना मानिकपुर, रामपुर थाना मानिकपुर इन गांवों में पी0ए0सी0 तैनात रहती थी लेकिन पिछले 3 महीने से पी0ए0सी0 हटा ली गयी है और जबसे पी0ए0सी0 वहां से हटा ली गयी है दस्यु गिरोहों को स्वच्छन्दता मिल गयी है। मान्यवर, 8 अगस्त 2006 को श्री शम्भूराम पुत्र श्री केना जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं उनको बुरी तरह से मारा गया और चमड़ी पीठ से निकाल दी गयी उनको 8 जगह फ्रैक्चर है उनको लखनऊ में भर्ती कराया गया है। उनका गुर्दा खराब हो गया है। मान्यवर, उसी दिन पूर्व प्रधान श्री जमींदार पुत्र श्री मथुरिया की इस गिरोह द्वारा आंखें निकाल ली गयी और यहीं पर उनका आतंक समाप्त नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुआ। 11 अगस्त 2006, को श्री मुन्नी लाल मिश्र पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद जो ग्राम मऊ गुरदरी के निवासी थे उनको गोली से मारकर और डीजल डाल कर जिन्दा जला दिया गया है। मान्यवर, यह एक तरह से आतंकवाद की घटनाएं हैं। मान्यवर, चित्रकूट, रीवां, सतना, फतेहपुर, कौशाम्बी, इलाहाबाद जिलों में यह पूरी तरह से लोग इससे पीड़ित हैं। सरकार से माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग है कि इन स्थानों पर जहां पर पहले से पी0ए0सी0 तैनात थी वहां पर पी0ए0सी0 लगाई जाये। मान्यवर, राम गोविन्द चौधरी जी ने जो कहा है मैं उसका स्वागत करता हूं। सरकार को भी धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, चम्बल में जो गिरोह है उनके बाबत कार्यवाही हुई है। मान्यवर, बुन्देलखण्ड में जो गिरोह सक्रिय हैं तो वहां के जिलों में क्यों नहीं एस0टी0एफ0 लगाई गयी है, पी0ए0सी0 क्यों वापस ली गयी है ?

श्री अध्यक्ष--

अब आप खत्म करिये।

श्री दद्दू प्रसाद--

मान्यवर, मैंने जो इन ग्रामों का उल्लेख किया है वहां पी0ए0सी0 फिर से लगाई जाये और जनता की सुरक्षा की जाये। जो इन घटनाओं में लोग मारे गये हैं उनके परिवारजनों को 5-5 लाख रुपये का मुआवजा देने का काम यह सरकार करे। क्योंकि सरकार की विफलता से उनके मर्डर हुए हैं। सरकार की विफलता से प्रशासन की विफलता से लोगों की आंखें निकाल ली गयी है इसलिए इसमें सरकार की जिम्मेदारी बनती है।

मान्यवर, जो मारे गये हैं उनके मृतक के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 2-2 लाख रुपये देने का काम करें। मान्यवर, आपकी पीठ से यह निर्देश हो जाय। आपने मौका दिया धन्यवाद।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)--

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश में बढ़ते हुए आतंकवाद और गिरती हुई कानून व्यवस्था पर बहस शुरू की और मुझे दुख है जो लोग खुद इसके दोषी है। वह अब हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं और जब हम बातों की सत्यता को सामने रखना चाहते हैं तो सुनने का साहस नहीं कर पा रहे हैं और इस बात का भी दुख है कि जो समस्या राष्ट्रीय समस्या है उसका राजनीतीकरण किया जा रहा है। उस समस्या के समाधान की बात नहीं की जा रही है। अगर उन बिन्दुओं को आज उठाया गया होता, इस बात को कहा गया होता कि यह आतंकवाद पूरे राष्ट्र की समस्या है खाली उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है। अगर यह बात कही गयी होती कि सारे राजनीतिक दल मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए सहयोग करें तो लगता कुछ सार्थक बहस की जा रही है। यहां तो ऐसा कर दिया गया कि जैसे कोई कौम किसी विशेष पर आरोप लगाकर और मैं फिर यह बात कह सकता हूं कि किसी एक कौम को इस राष्ट्र से अलग कर राष्ट्र की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है और किसी एक कौम को जो दोषी करार देगा वह कभी राष्ट्र में बहुत दिन तक वह पार्टी जिन्दा नहीं रह सकती और उसी का नतीजा आज हम लोगों के सामने आ रहा है। श्रीमन्, अभी कुछ किताबों का उद्धरण दे दिया गया। बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश में आजादी के नाम पर लोगों को सब कुछ लिखने की स्वतन्त्रता दे दी। मैं तो कहना चाहता हूं

वह रहे केन्द्र में, कांग्रेस रही केन्द्र में क्यों किताबों पर जाय। इतने वर्ष में रॉ ने जितनी भी रिपोर्ट दी है आखिर उन रिपोर्ट्स को क्यों नहीं प्रकाशित कर दिया जाता, कौन मना कर रहा है ? केन्द्र में उनकी सरकार है, आज प्रमोद जी केन्द्र में आपकी सरकार है, मैं चाहता हूं कि रॉ ने जितनी आज तक रिपोर्ट दी है उनको प्रकाशित कर दिया जाय और फिर चर्चा की जाय कि क्यों नहीं आज तक उन पर कार्यवाही की गयी ? एक जमाना था कि हमारी उन राष्ट्रों में प्रभावी थी जो राष्ट्र आज नाम ले रहे हैं कि हमारे राष्ट्र में आतंकवाद है। आज आई0एस0आई0 क्यों हिन्दुस्तान में प्रभावी हुई आखिर इसका कारण क्या था, क्या उत्तर प्रदेश ? आज उत्तर प्रदेश में 3 वर्ष की सरकार में हमने जिस तरह अयोध्या को असफल किया, जितनी जल्दी आतंकवादी अयोध्या में मारे गये और श्रीमन् एक साजिश थी सरकार गिराने की वह भी बनारस में हमने क्या किया एक साजिश को विफल किया। देश में कहीं भी यह नहीं हुआ। लेकिन मुलायम सिंह ने यह कह दिया कि उनकी जान को खतरा है तो गलत नहीं कहा, रिपोर्ट है सिक्रेट रिपोर्ट है कि किसी आतंकवादी संगठन ने माननीय नेता जी की हत्या करने की साजिश की और उसको कहा गया, उसका खुलासा भी किया जा सकता है। आखिर मुलायम सिंह जी की हत्या की साजिश इसीलिए की गयी कि वह आतंकवाद को समाप्त करने, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कह दिया गया सिमी को हमारी सरकार समर्थन दे रही है मैं तो कहना चाहता हूं, मैं मीडिया वालों से भी कहना चाहता हूं कि छोटी चीज को समाचार बना करके जिस तरह से हौव्वा खड़े किये जाते हैं, मैं भी टिहरी में था उस दिन एक समाचार निकल गया कि टिहरी बांध को आतंकवादियों से खतरा। एक दम ऐसा लगा जैसे मिलिट्री पूरी टिहरी पर लगा दी गयी। एकदम बांध को खतरा हो गया इस चीज को बहुत मैं तो कहता हूं कौन सा सिमी संगठन से बड़ा भारी खतरा है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। एक संगठन का नाम लेकर हौव्वा खड़ा करेंगे। मैं तो चाहता हूं कम से कम इस पर राष्ट्रीय बहस हो, क्यों आतंकवाद जब जसवंत सिंह जी गये थे तब तो आतंकवाद की बात नहीं की। कारगिल युद्ध के समय देश की कौन सी ऐसी राष्ट्रीय पार्टी थी, कौन ऐसी क्षेत्रीय पार्टी थी जिसने इस देश की सरकार का समर्थन नहीं किया।

लेकिन जब सरकार दूसरे राष्ट्रों के इशारों पर चलेगी तो फिर समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं बहुत खुला कहता हूं कि आज जिस तरीके से समर्पण की राजनीति अमेरिका के सामने हो रही है, आज उस राजनीति को छोड़ दीजिये, हम सारे दल एक साथ हैं कि इस देश में अगर आतंकवाद रोकना है तो फिर आतंकवादी अड्डों को क्यों न समाप्त किया जाय। मुलायम सिंह जी ने खुद कहा था कि जहां आतंकवादी अड्डे हों उन आतंकवादी अड्डों को समाप्त किया जाय। हम तो खुल के इन चीजों को कहते हैं। लेकिन उस पर सार्थक बहस नहीं की जायेगी। एक विशेष तरीके से हमारे ऊपर आरोप लगा दिया जायेगा, हमारे विचारों को नहीं सुना जायेगा। हम लोगों ने हरदम राष्ट्रीय विचारधारा रखी है और टण्डन जी कह रहे थे, लोहिया विचारधारा अगर टण्डन जी ने लोहिया विचारधारा ही जान ली होती तो शायद टण्डन जी उधर बैठते ही नहीं। अपमानित भी नहीं होते सम्मान के लिए अब तक टण्डन जी विद्रोह कर चुके होते। लेकिन बातों को जिस तरह से कहा गया है, यह उचित नहीं है और मैं यह कहूंगा कि प्रशंसा करनी चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार की जिसने उत्तर प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में सबसे पहले सफलता प्राप्त की। मैं तो कहता हूं कि जो कानून व्यवस्था की बात कह दी जाती है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बड़ी खराब है, एक आरोप केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री जी जब देखो तब उत्तर प्रदेश पर यह आरोप लगा देते

हैं, प्रमोद जी के अध्यक्ष जी भी, अब प्रमोद जी कितनी देर उन्हें अध्यक्ष मानेंगे, यह तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि प्रमोद जी बहुत अध्यक्ष निपटा चुके हैं। लेकिन वह भी जब देखिये, तब आरोप लगा देते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बड़ी खराब है। मैं कहता हूं कि आपके हाथ में केन्द्र सरकार है, मैंने बहुत बार इस बात को कहा है और आज फिर इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं श्वेत-पत्र जारी किया जाता है कि हिन्दुस्तान के सारे राज्यों की कानून व्यवस्था और आतंकवादी स्थिति क्या है ? आप श्वेत-पत्र जारी करिये, आखिर पता तो लगे कि कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है ? किन राज्यों की क्या स्थिति है ? खाली उत्तर प्रदेश को जहां सारे डकैत मार दिये गये हैं, दद्दू जी कह रहे थे, मैंने कल भी दद्दू जी से कहा कि जब आतंकवादी को आप संरक्षण देंगे, जब डकैतों को संरक्षण देंगे, तब यह हालत होगी और जब ददुआ के यहां छापा पड़ा था तो रेलवे के कूपन उन्हीं के पाये गये थे, हम लोगों के नहीं पाये गये थे। मैं उनसे कहना चाहता हूं उन्हीं की बदौलत वह चुनाव जीतते थे। उत्तर प्रदेश में जितने इनकाउन्टर हुये, बधाई देना चाहिये नेता जी को कि जिनके ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपराधियों का सफाया कर दिया, आज अपराधी बाहर नहीं घूम सकते हैं। मैं तो कहूंगा कि केन्द्र सरकार श्वेत-पत्र जारी करें, सरकार उनकी है, हम रोक नहीं रहे हैं। वह खुद जारी करें कि देश के सब राज्यों की कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है और मैं कह सकता हूं कि आज जो श्वेत-पत्र जारी किया जायेगा, उसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति सबसे अच्छी दिखाई देगी। यह आरोप राजनैतिक आरोप हैं और अगर राजनैतिक आरोपों को लगाने से यह सोचें कि समाजवादी पार्टी की पापुलेरिटी गिर जायेगी, अगर उन आरोपों को लगाकर हर दल के राष्ट्रीय नेता सिर्फ मुलायम सिंह जी को दोषी ठहराने की बात करेंगे तो फिर यह जान लें कि उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देने के लिए तैयार है और आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश को अगर देश का सबसे उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प अगर नेताजी ने लिया है तो चाहे किसी क्षेत्र में लीजिए, उत्तम प्रदेश हम बिना केन्द्र की सहायता के बनाकर दिखायेगे और यह जनता के बीच साबित करेंगे कि अपने बल पर उत्तर प्रदेश देश को दिशा दे सकता है तो मुलायम सिंह जी भी अपने दम पर इस देश को दिशा दे सकते हैं और देश की नई दिशा तय कर सकते हैं।

(श्री जगदम्बिका पाल तथा श्रीमती लुईस खुर्शीद के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय पाल साहब, डेढ़ घण्टे से ज्यादा हो गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी को बोल लेने दीजिए। अब आप बैठ जायें खुर्शीद साहब। अब आप लोग माननीय मुख्य मंत्री जी को सुनिए। एक घण्टे की चर्चा थी, डेढ़ घण्टा हो गया है। माननीय पाल साहब आप बैठें।

*श्रीमती लुईस खुर्शीद--

मान्यवर, मैं उस इलाके से आती हूं, जहां नक्सलाइट, एल0टी0टी0ई0, किसी का डर नहीं है। कलुआ और नरेश धीमन गैंग से भी कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। अगर डर है तो पुलिस के आतंक से है। जैसा प्रमोद कुमार जी ने कहा कि फर्रूखाबाद ऐसा इलाका है, जहां एक इन्सपेक्टर और एक कांस्टेबिल ने एस0एस0पी0 को जमीन पर गिराकर चप्पल से मारा नेता सदन यह कहेंगे कि हमने उस वक्त कार्यवाही की थी लेकिन क्या यह आपके संज्ञान में है कि आपके एक

सांसद ने राजनीतिक मंच से एलान किया था कि वह इन्सपेक्टर उस पर पुन: बैठेंगे। अगर वहां पर आदमी आतंकित है तो केवल काम्पिल्य और सम्साबाद के एस0ओ0 और थाना इंचार्ज से है। आखिर क्या कारण है कि एस0पी0, एस0एस0पी बदल जाते हैं लेकिन क्यों एक एस0ओ0 का तबादला नहीं होता है। मैं यहां पर उसका नाम नहीं लेना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, नाम लेना भी नहीं चाहिए।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, दो मिनट में मैं अपनी बात कहूंगा।

श्री अध्यक्ष--

पाल साहब दो घण्टे हो गये हैं, आप बैठ जायें, मुख्य मंत्री जी खड़े हो गये हैं।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

ठीक है, पाल साहब, आप दो मिनट की जगह तीन मिनट ले लीजिए।

श्री रंगनाथ मिश्र--

मान्यवर, अगर इनका सुनते हैं तो दो मिनट हमें भी सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायें, पाल साहब बहुत सीनियर सदस्य हैं, बोलने दीजिए।

श्री रंगनाथ मिश्र--

तब तो मान्यवर, हम लोग भी चले जायें, पाल साहब को सुनेंगे और हमें नहीं सुनेंगे, हम लोग बसपा के हैं इसलिए नहीं सुनेंगे।

श्री अध्यक्ष--

जैसी आपकी मर्जी। आपके नेता बोल चुके हैं, अब आप बैठ जायें।

श्री रंगनाथ मिश्र--

नेता तो इनके भी बोल चुके हैं, हमारी ओर से दो ही लोग बोले हैं और इनकी ओर से तो चार लोग बोल चुके हैं।

श्री अध्यक्ष--

मिश्रा जी, मेरा निवेदन है कि कृपया बैठ जाएं, मेरी बात मान लीजिए।

श्री मोहम्मद आजम खां--

इस विवाद में तीन मिनट से ज्यादा का समय हो गया है, मेरा अनुरोध है कि अब आप माननीय मुख्य मंत्री जी को ही बोलने दें।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठ जाएं, अब माननीय मुख्य मंत्री जी बोलेंगे।

(जगदम्बिका पाल भी बोलने की अनुमति न मिलने के कारण विरोध स्वरूप सदन त्याग कर चले गये)

श्री मुलायम सिंह यादव--

अध्यक्ष महोदय, आज यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करती है। संसदीय प्रणाली और लोंकतांत्रिक व्यवस्था जब से है, तब से ऐसा उदाहरण कभी नहीं हुआ कि मुख्य मंत्री या नेता सदन को सुने बिना केवल अपनी बहस करके एक दल के माननीय सदस्य के कहने पर पूरा दल चला जाए और पीछे-पीछे नेता विरोधी दल चले जाएं। लेकिन क्योंकि यह व्यवस्था ऐसी बनी है, इसकी तो पूरे सदन को निन्दा करनी चाहिए, यह मर्यादाहीन आचरण है, यह लोकतन्त्र विरोधी आचरण है और हम आप से भी प्रार्थना करेंगे कि ऐसे लोगों की निन्दा होनी चाहिए, आपकी तरफ से भी। क्योंकि लोकतन्त्र को मजबूत करने के लिए बहस होती है, हम एक भी शब्द बीच में नहीं बोले, जितने माननीय सदस्यों ने नेताओं ने भाषण दिये हैं, एक भी शब्द बीच में उठकर के नहीं बोला जबकि हमें आपत्ति करनी चाहिए थी क्योंकि कार्यवाही लिख जाती है और यह पुस्तकालय में हमेशा के लिए कार्यवाही में लिखी रहती है और इसे आने वाली पीढ़ी पढ़ती है और अपनी राय भी बनाती है। आप भी पढ़ते रहे, हमने भी पढ़ी है, पुस्तकालय में जाकर के पुराने भाषण पंत जी से लेकर के सभी नेताओं के। लेकिन अब उनके सुनने की हिम्मत ही नहीं थी। माननीय सदस्य केशरी नाथ त्रिपाठी जी, ये अपने को बहुत विद्वान समझते हैं, मैं ऐसे लोगों को कभी विद्वान नहीं मानता हूं। जो इस आसन पर बैठ चुके हैं और वकालत के नाम पर हाईकोर्ट में यह कहते हैं सबसे अच्छे वकील हैं, वकील होते हुए, संविधान का अध्ययन करते हुए भी इस लोकतन्त्र की किस तरह से धज्जियां उड़ाते हैं, वह भी सदन के अन्दर, कितने गुस्से में बोलते हैं, कितना जहरीला बोलते हैं। जहां तक माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि सरकार आतंकवादियों के प्रति नरमी बरत रही है, यहीं से अपना भाषण शुरू किया था। हमारी सरकार ने नरमी नहीं बरती है कठोर कार्यवाही कर रही है। जब इनकी केन्द्र में सरकार थी तब नरमी बरती गयी थी और नरमी उस समय साबित हो गयी जब सारी दुनिया के अन्दर बहस हुई थी। संसद के अन्दर, लोक सभा के अन्दर बहस हुई तो लोकसभा में हमने ही कहा था प्रधान मंत्री जी से कि इससे बढ़िया अवसर कभी नहीं मिलेगा आतंकवादियों पर हमला करने का अमेरिका में हमला हुआ और अमेरिका ने तत्काल अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। यहां विश्व का कोई भी देश आपका विरोध नहीं कर सकता है। नरमी तो अगर किसी ने बरती तो इन्होंने बरती, नरमी आतंकवादियों के पक्ष में किसी ने बरती है तो भारतीय जनता पार्टी की केन्द्रीय सरकार ने, प्रधान मंत्री और उप प्रधान मंत्री ने। जैसा कि कांग्रेस के मा0 नेता प्रमोद कुमार ने कहा था कि जहाज में बैठाकर आतंकवादियों की कितनी खुशामद करके ले गये थे। एक आतंकवादी उसमें से मुजफ्फरनगर में गिरफ्तार हुआ था, उसके बयान हमारे पास है। जब पकड़ा गया तो उसने कहा था कि हम मुलायम सिंह या मुलायम सिंह के लड़के का अपहरण करना चाह रहे थे। वहां उनका रिश्तेदार इन्सपेक्टर ध्रुव लाल यादव था और ध्रुव लाल ने विदेशी नागरिकों को छुड़ाया था और हम पर हमला किया था। यह सही है कि सेना के इन्टेलीजेंस ने लिखकर के भेजा है कि आप आतंकवादियों के निशाने पर हैं लेकिन हम बताते नहीं हैं। ये पुस्तक का सहारा ले रहे हैं। अगर पुस्तक में ये लिखा है कि अक्षरधाम मंदिर पर किस मानसिकता के लोग थे उन्हें नहीं बर्दास्त कर सकते। 30 अक्टूबर, 1990 को किस मानसिकता के लोग थे, जिन्होंने मस्जिद को गिराया। यह मुसलमान विरोधी मानसिकता के लोग थे ये इस्लाम विरोधी मानसिकता के लोग थे क्योंकि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों के निर्देश थे कि यथास्थिति बनायी रखी जाये तो ये नहीं सुनना चाहते थे। पुस्तक के बारे में तो मुझे लगता है कि [x x x] ने ही लिखवाया है।

नोट :--[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

एक बड़ा आदमी है, कौन सा बड़ा आदमी है।

एक आवाज--

[x x x] है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मैंने बता दिया है, इतना ही काफी है। यह मानसिकता होती है, अगर हिम्मत थी तो उस समय क्यों नहीं कहा कि कौन सा विधायक है, मुख्य मंत्री है, क्यों जाहिर नहीं किया। वह कौन सा बड़ा आदमी था, पता है, एक ज्वाइंट डायरेक्टर है। जब तक वह रहे, उन्होंने नहीं लिखा, रिटायर होने के बाद लिखते हैं। जब उनको अधिकार था तो हिम्मत के साथ उन्होंने क्यों नहीं कहा। तो इस तरह की मानसिकता वाले जो लोग हैं वह कभी भी दूसरों के उत्तर सुनने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह बहुत कमजोर लोग होते हैं। साम्प्रादायिक शक्तियों में हिम्मत नहीं होती है। वह टकरा नहीं सकते हैं। हम लोग जो बैठे हैं, हमने अपने सिद्धान्तों से हटकर कभी भी किसी के सामने झुके नहीं हैं। हम लड़े हैं और संघर्ष किया है और उसी का परिणाम है कि अध्यक्ष महोदय हम 2-4 लोग थे और आज हमारी ताकत क्या है। 3-4 सूबे में जो यह हैं, इनसे ज्यादा ताकत हमारी है। हम सिद्धान्त और नीतियों पर चलने वाले लोग हैं। यह तो कहते हैं कि हमारी भावना का सवाल है, हमारी आस्था का सवाल है। हम लोग कहते हैं कि भावना और आस्था से कभी भी सरकार नहीं चलती है, देश नहीं चलता है। देश और सरकार कानून तथा संविधान से चलता है। हम लोग कानून और संविधान को मानने वाले लोग हैं। इनका न तो संविधान में विश्वास है और न कानून में विश्वास है। इन्होंने कोई खास बात कही नहीं, अब नेहरू जी के नाम तक यह चले गये। यह सच्चाई है, अध्यक्ष महोदय यह हमारा कहना नहीं है, यह पूरा देश जानता है कि जब तक मस्जिद नहीं गिराई गयी तब तक कोई आतंकवाद नहीं था। अगर किसी को पता हो तो अध्ययन कर लो 1990 के बाद आतंकवाद हुआ है। अगर आतंकवाद किसी ने पैदा किया है तो वह [x x x] ने पैदा किया है। आतंकवाद अगर किसी ने पैदा किया है तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाले लोगों ने पैदा किया है। आतंकवाद की बुन्यिाद तो डाली है [x x x] ने। गांधी जैसे महापुरुष, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाले लोगों से बड़ा आतंकवादी कौन हो सकता है और उससे बड़ा आतंकवादी और कौन हो सकता है जिसने हम पर हमला किया। अध्यक्ष महोदय [x x x] के दफ्तर में उसका सामान रखा था और भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं से बात करके वह आया था जब हम पर हमला किया था। तो आतंकवाद में विश्वास करने वाली [x x x] है। केवल [x x x] इनका कोई काम नहीं है। अब जब इनको सरकार बनाने का सहारा लेना पड़ा तो [x x x] बन्द कर दिया वरना जब भारतीय जनता पार्टी पंजाब में जाती थी तो [x x x] को देती थी। बिहार में, उत्तर प्रदेश में और आसाम में जाते हैं तो [x x x] दक्षिण भारत में जाते थे तो [x x x] । इनको अभी सीमाओं का पता नहीं है कि हिन्दुस्तान की सीमायें किससे जुड़ी हुई हैं। अगर पाकिस्तान से कोई युद्ध होगा तो सबसे पहले पंजाब लड़ेगा, सिक्ख लड़ेगा। अब आप देखें कि नार्थ-ईस्ट, जब चाइना हो या और कोई देश हो तो उसके किनारे कौन हैं, क्रिश्चियन है। उधर

नोट :--[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

समुद्र के किनारे केरल से लेकर गोवा तक क्रिश्चियन हैं। मुसलमानों को जब तक विश्वास में नहीं लिया जायेगा तब तक पाकिस्तान से आप नहीं लड़ सकते हैं। कश्मीर का मुसलमान जब साथ में होगा तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता है। अकेले कश्मीर के मुसलमान उसको खदेड़ देंगे। सरकार बनने के कुछ महीने पहले मैं श्रीनगर में चार दिन रहा था वहां के मुसलमानों से, वहां के सिक्खों से, व्यापारियों से हिन्दुओं से भी मैंने बात की थी मैंने कहा कि तुम तो नहीं भागे क्या वजह है कि कश्मीर में इतना असंतोष हमारे हिन्दुस्तान के लिए हो रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार कोई रहे विश्वास नहीं है जिस दिन दिल्ली की सरकार पर विश्वास हो जायेगा उसके कुछ ही दिनों में कश्मीर में आतंकवाद का सफाया हो जायेगा खत्म हो जायेगा। एक सम्मेलन में जिसमें प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह अध्यक्षता कर रहे थे उसमें मैं भी था मैंने कहा था कि कश्मीर की जनता विश्वास नहीं करती है। यह हमारे बगल में मुफ्ती मो0 सईद साहब बैठे हैं मुझे लगता है कि मुफ्ती मो0 साहब को जल्दी हटा दिया जायेगा इस पर प्रधान मंत्री जी ने खड़े होकर कहा कि मुफ्ती साहब को नहीं हटाया जायेगा लेकिन उसके दो महीने बाद हटा दिया गया। तो विश्वास नहीं है जनता का इसलिए हम आज यह कह रहे हैं कि यह ऐसा मुद्दा था कि इनमें आलोचना करने का मौका नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं जिस समय अक्षरधाम पर हमला हुआ था, लाल किले पर हमला हुआ था, संसद पर हमला हुआ था उस समय हम लोगों ने व कांग्रेस पार्टी के जितने लोग थे किसी ने भी भारतीय जनता पार्टी सरकार की आलोचना नहीं की, किसी नेता की आलोचना नहीं की लेकिन यह आतंकवाद के बारे में चिन्तित नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, इनका दिमाग आपरेशन करके नागपुर में रख दिया गया है यह सच्चाई है। देश की सीमाओं की क्या तस्वीर है इनको पता नहीं है आप देखेंगे कहीं पर भी हमला हुआ हो कभी भी आतंकवादियों को गिरफ्तार और सही आतंकवादियों को नहीं पकड़ा गया। कौन कितना जिम्मेदार है आतंकवादी सीमा पार करके कैसे आये यह विचार करने की बात है मैं इसके लिए किसी सरकार की आलोचना नहीं कर रहा न ही इसकी आवश्यकता है आतंकवाद तो उत्तर प्रदेश ही नहीं हिन्दुस्तान ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है। आज हम कहना चाहते हैं कि आठ नेताओं की बैठक हुई थी जब अमेरिका पर हमला हुआ था उसमें मैं था ए0बी बर्धन साहब थे, अटल बिहारी बाजपेयी जी थे, आडवानी जी थे, जसवन्त सिंह जी थे, प्रमोद महाजन जी थे जसवन्त सिंह जी उस समय रक्षा मंत्री थे उस समय मैने कहा था कि आप खुलकर क्यों कहते हैं कि हम अमेरिका के साथ मिलकर युद्ध करेंगे। हमने कहा था कि यह मत कहिए केवल आप संसद के अन्दर दोनों सदनों में प्रस्ताव करवा दीजिए कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है इस घटना को अच्छा नहीं मानते हैं। आप खुलकर आ गए मैदान में इतना खतरनाक आतंकवादी है जिससे अमेरिका थर्राता है लेकिन यह तो [xxx] और जनता का दिमाग कहां से कहां ले जाना चाहते हैं। देश की समस्या से इनका कोई मतलब नहीं है। उस समय हमने सुझाव दिया था कि इतने खतरनाक आतंकवादी के खिलाफ मत जाइए जिससे अमेरिका थर्राता है, इंग्लैण्ड थर्रा रहा है आपकी हिम्मत नहीं है कि मुकाबला कर लें।

प्रमोद जी, आपकी अध्यक्ष थी सोनिया जी। चार सदस्य बी0जे0पी0 के थे और चार हम लोग थे। एक गोपनीय बैठक हुई थी। लेकिन आज कहना पड़ रहा है सदन के अन्दर। यह बात रखी थी और सिर हिलाकर आडवानी जी, अटल जी, प्रमोद जी और जसवंत जी ने स्वीकार किया था

नोट :--[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

और उसी बात को बाद में अटल जी ने कहा था कि हमसे गलती हुई हमने उस पर हमला नहीं किया। आतंकवाद का मुकाबला यह लोग नहीं कर सकते। यह कभी भी नहीं कर सकते। हम कहना चाहते हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी के लोग आतंकवाद का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकते अगर इनके सामने कोई आकर खड़ा हो जाय तो यह उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इन्होंने इस देश की सामाजिक व्यवस्था को तोड़ मरोड़ कर नेस्तनाबूद करने का काम किया है। बहुत कुछ कहा है। त्रिपाठी जी ने भी बहुत कुछ कहा। आप जानते हैं कि कितना जहर है इनके अन्दर। अब हमने कहा था और यह सच है हमने कहा था कि अयोध्या दर्शन की बात कर रहे थे हमने कहा था कि अखबार वालों को तो मौका मिलता है। आप जायेंगें और कुछ कहेंगे तो यह उसको जरूर छापेंगे। चल पड़े यह अयोध्या की तरफ बड़ी तेजी के साथ। हमारी पूरी पुलिस और फोर्स उस समय छानबीन कर रही थी। पाँच आतंकवादियों को मारने के बाद चेकिंग में लगी थी कि कहीं कोई और तो नहीं छिपे हुए हैं। कहीं कोई ऐसा विस्फोटक सामान तो नहीं पड़ा है। अगर ऐसे में हम वहां चले जाते तो सारे अधिकारी मुख्य मंत्री के स्वागत में खड़े हो जायेंगे और उनका ध्यान बँट जायेगा और जब धीरे-धीरे मामला ठंडा हो ही गया है तब जाकर हम उस पर अपनी राय दे रहे हैं। ऐसे मौके पर आतंकवाद का खतरा ज्यादा होता है। उनके बारे में ज्यादा छपता है। जो उदाहरण हमने सदन में दिया ऐसा दुनिया में कोई उदाहरण नहीं मिलेगा हमारी पुलिस ने, टास्क फोर्स ने आतंकवादियों को मार कर कमाल कर दिखाया। एक समय में पाँच आतंकवादियों को मार गिराया और राम जन्म भूमि के किसी स्थान पर कोई हमला नहीं कर सके और न ही हमारा कोई जवान मारा गया। आतंकवादी जम्मू कश्मीर से चलकर हरियाणा, पंजाब आये और दिल्ली में किस तरह से रहे। फैजाबाद अम्बेडकरनगर कैसे पहुँचे हमारी टास्क फौर्स ने एक महीने में सारा पता लगा लिया। आप बता दें कहीं इस तरह का कोई उदाहरण हिन्दुस्तान क्या पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। इंग्लैंड, अमेरिका कहीं किसी ने इस तरह से कर दिखाया हो जिस तरह से हमारी पुलिस और फोर्स ने करके दिखाया। आज आतंकवाद के मुद्दे पर हम सबको मिलकर उसका सामना करना चाहिए। हम आपसे जरूर अपील करेंगे कि यह सवाल आतंकवाद का, किसी दल का किसी सरकार का नहीं है। यह सवाल पूरे देश का है। देश सरकार से बड़ा है और इस समस्या के बारे में हम सबको समझकर मिलकर इसका मुकाबला करना है। इसका मुकाबला कोई एक दल या कोई एक सरकार या कोई एक नेता नहीं कर सकता है। यह एक ऐसी समस्या है और इसी भावना से हमने दिल्ली में हमेशा देश के लिये सहयोग करने का वायदा किया है और सहयोग भी किया है। आज भी हम दिल्ली की सरकार के साथ मिलकर इसका मुकाबला कर रहे हैं। अयोध्या में इस तरह आतंकवाद के हमले हुए और हमने उसका मिलकर मुकाबला किया। बनारस में भी हमले हुए। आपको पता होना चाहिए कि कितने बड़े खतरनाक आतंकवादियों को पुलिस और एस0टी0एफ0 के जवानों ने मिलकर मार गिराया। जम्मू कश्मीर का जो आतंकवादियों का सबसे बड़ा चीफ था जो सरगना चीफ कहलाता है। उसको हमारी पुलिस ने मार गिराया। बनारस में भी जो लोग छिपे हुए थे उनको खोज निकाला। ऐसे समय में तो मिलकर मुकाबला करने की बात होनी चाहिए। आप तो सिर्फ राजनीति करते हो। राजनीति करने के तो बहुत मौके है और जल्दी ही आयेंगें। अब तो राजनीति करने का मौका आ ही गया है। अभी फरवरी में ही चुनाव हो जायेंगे या मार्च में हो जायेंगे। जैसा निर्वाचन आयोग कहेगा चुनाव हो जायेंगे। उस समय आप राजनीति कर लेना जो कुछ करनी हो।

यह सवाल है देश का, देश के सवाल पर आतंकवाद का ऐसा खतरा पैदा हो गया है। सारी दुनिया को खतरा है, जो अपनें को सुरक्षित महसूस करता था वह अमरीका था, तो ऐसे मौके पर हम सब लोगों को मिलकर, पत्रकार मित्रों से भी कहेंगे कि आतंकवाद ऐसी समस्या है इसके मामले में, यह सही है कि दिल्ली के पत्रकारों ने बड़ी मदद की उस समय। सारे पत्रकारों ने की, लेकिन तस्वीर मुलायम सिंह यादव की दिखा रहे थे। जाने कितनी तस्वीर छप चुकी है मुलायम सिंह यादव की, एक जमाना ऐसा था एक तरफ माधोसिंह, मलखान सिंह, फूलनदेवी सब मिलकर छपते थे, और बीच में तस्बीर हमारी, आपको याद होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, अध्यक्ष जी ने पढ़ा होगा, पूरा का पूरा देखा होगा तस्वीर सबकी थी और हमारी तस्वीर तो हर जगह छप जाती थी तो हम तो विश्वास करने वाले है नहीं, आप जानते हैं। सच्चाई में रहते हैं। आप किस दृष्टि से देखते हैं। तात्कालिक स्थिति को किस दृष्टि से देखते हैं। यह केशरी नाथ त्रिपाठी जी तो किसी को नहीं देख सकते हैं। जब यह इस पीठ पर आसीन थे तो पता लगा, प्रमोद कुमार जी के साथ कैसा व्यवहार करते थे। कैसा-कैसा बोलते थे। वह किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लालजी टण्डन जी को बर्दाश्त नहीं कर सकते है, मा0 नेता विरोधी दल को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो किसको बर्दाश्त करेंगे। इनको आग लगी है नेता विरोधी दल बनने के लिए, चार महीने बचे हैं। लेकिन माननीय केशरी नाथ त्रिपाठी के दिल में आग लगी है कि लालजी टण्डन को कैसे उठाकर हटाया जाए। मैं कैसे वहां पहुँचूं। यह लक्ष्य है। इसके अलावा और कोई नहीं। एक नफरत भरी बात, चले गए हैं, नेहरू जी से लेकर इन्दिरा गाँधी जी तक, जब हम आलोचना इन्दिरा जी की करते थे तो यह क्या कहते थे अध्यक्ष जी याद है, दुर्गाजी, रणचंडी और न जाने क्या-क्या कहते थे इनके बड़े नेता, जब आप हम आलोचना करते थे तो कहते थे समाजवादी पार्टी के लोग आलोचक है और यह आलोचना कर रहे हैं। शास्त्री जी का निधन हो गया तो श्रद्धा ही श्रद्धा हो गई लेकिन अगर वह जिन्दा होते तो उनके खिलाफ हम बड़ा आन्दोलन करते। यह सही है कि उस समय गलती हुई है हम रक्षामंत्री रहे उस समय गलती हुई। गलती यह हुई कि सेनापतियों को विश्वास में नहीं लिया। अगर सेनापतियों को विश्वास में लिया जाता तो हम लोग लाहौर के पास पहुँच गए थे लाहौर उस समय सुरक्षित नहीं था। 90 हजार बन्दी छोड़े थे। यह सही है हमने अपने जितने भी बन्दी थे उनको नहीं छुड़ाया और उनके 90 हजार फौजी छोड़ दिए। उनको खाना खिलाया मस्ती से रहे। हमारे तो पहुँचे नहीं, सबसे ज्यादा तादाद फतेहगढ़ में थी हमें खबर मिली जो हमारे फौजी थे, जो सेना में थे, एयरफोर्स में थे उनके बारे में कहा जाता है कि वह पागल हो गए हैं। पागल हो गए हैं या मर गए हैं इतना टारचर किया है। अभी साल भर तक वह जिन्दा थे हमने भी लिखा-पढ़ी की रक्षामंत्री से, क्योंकि वह हमारे कार्यकर्ता के पिता थे, वह एयरफोर्स में थे हमने लिखा था कि वह हमारी सेना के थे, उन्होंने उनको इंटेलीजेंस का कोई आदमी समझाकर लिखा पढ़ी कर दी। उनकी तगड़ी लिखा पढ़ी होती है। वह जासूस बताते रहे। वह जासूसी की परिधि में थे यह कहते हमारे लोगों को जासूस बनाकर बंद किए हो तो हो सकता है वह छूट जाते। 15-20 साल से लगातार प्रयास करते रहे वह अकेले नहीं छूटे उनके साथ जो जेल के अंदर रहे उन्होंने सब बताया। दो साल पहले तक वह जिन्दा थे। तो गल्तियां हुई हैं उन गल्तियों को, इतनी पुरानी गल्तियों को कहें तो हम लागों ने ज्यादा विरोध किया था इन बातों का, समाजवादी पार्टी के लोगों ने विरोध किया था। डा0 राममनोहर लोहिया ने किया था चीन युद्ध के बाद नेहरू जी की आलोचना बर्दाश्त नहीं करते थे, इंदिरा जी को रणचण्डी, दुर्गा क्या-क्या बोलते

थे। नेहरू जी ने भविष्यवाणी की थी कि यह नौजवान देश का नेता बनेगा। वह तो तारीफ कर रहे थे, आज उनकी आलोचना कर रहे हैं। अटल जी के सामने ये क्या है, एक बार एम0एल0सी का टिकट नहीं मिला था, लालजी टण्डन और ये दोनों टिकट के दावेदार थे, तो हमने कहा था कि लालजी टण्डन ठीक रहेंगे, हम लोग 85 थे तो हमारे पास अतिरिक्त वोट थे तो हमने लालजी टण्डन को वोट दे दिया तो इसकी भी जलन हो सकती है। यह भी जलन हो सकती है कि हमारा टिकट इन्होंने कटवाया। अटल जी ने भी कहा कि बहुत प्रिय हैं, मुलायम सिंह यादव, जिता देना।

श्री रंगनाथ मिश्र--

मान्यवर, आपकी सरकार बनवाने में बहुद मदद की थी और आपने उन्हें अध्यक्ष बनाये रखा था।

श्री मुलायम सिंह यादव--

आपका क्या भरोसा, आज यहाँ, कल वहाँ। आप तो अवसरवादी हैं। हम लोग जितने हैं, नीतियों को लेकर चलने वाले हैं। आप उन्हीं के साथ थे, यह बात याद रखो कि कहाँ थे। मौर्या जी, आपने जो कहा, जवाब मिर्जापुर के कठुआ थाने का भी है, आप खुद बोले थे कि मारा-पीटा और निधन हो गया। कल क्या बोले थे और आज क्या बोले, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप तो नेता हैं। वह तो अस्पताल में जाकर मौत हुई, बदमाशों ने मारा था।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, वह दूसरी घटना है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

माननीय प्रमोद कुमार जी, आपको जवाब हम देना नहीं चाहते, आप कुछ ज्यादा ही कह गए हैं, लेकिन यह देखना चाहिए, मैं इतना कहूँगा कि अंग्रेजों ने भी कभी आजादी के नाम पर जाति-धर्म पहचान कर गोली नहीं चलायी लेकिन आपकी सरकार जाति और धर्म देखकर गोली बदमाशों पर चला रही थी। आप समझ गये होंगे, हमें किसी का नाम नहीं लेना, वहाँ गिन-गिन कर गोलियां चलायी गयी थी। 80 से लेकर 82-83 तक, लोग लुट रहे थे और चौधरी साहब कितनी बार सभाओं में रो पड़े थे। भीख मांगते हुए आपकी देवरिया में एक ब्राहमण की हत्या की गयी थी।

मान्यवर, आज हम कह सकते हैं कि इतने लोग मुठभेड़ में मारे गये हैं। मान्यवर, हमारी सरकार बनने के बाद वर्ष 2003 में 214, वर्ष 2004 में 238, वर्ष 2005 में 292 तथा 4 जनवरी से जुलाई 2006 तक 200 और कुल मिलाकर 944 हत्याएँ हुई हैं। कोई यह नहीं कह सकता कि यह निर्दोष हैं। यह नामी-कुख्यात बदमाश हैं। प्रमोद कुमार जी आपके जमाने में 14 जांचें हमने कराई और सबमें पुलिस फंस गयी। इसमें से एक मामला मैनपुरी के एक लड़के का था जो बी0 ए0 पास था उसे मार दिया था। मैं उस समय नेता विरोधी दल था। हमारी बात पर सी0आई0डी0 जांच हुयी और उसमें जांचोपरान्त एक डी0एस0पी0 को आजीवन कारावास की सजा हुयी थी तथा दरोगाओं को भी सजा हुयी थी। इस तरह की करीब 5000 हत्याएं हुयी थी। आपके नेताओं ने भी हमारी रिपोर्ट का समर्थन किया था। हमने होम मिनिस्टर ज्ञानी जैल सिंह जी को सूची दी थी 14 हत्याओं की और सबमें पुलिस फंसी थी। आज कोई यह नहीं कह सकता न सदन में और न सदन के बाहर

कि निर्दोष की हत्या हो गयी। यह हमारी सरकार के पले हुए बदमाश नहीं थे। यह तो मौर्य जी बताएंगे, श्री रंगनाथ मिश्र जी बताएंगे कि यह किसके पले हुए बदमाश थे। मैं कहना चाहता हूँ कि एक माननीय सदस्य ददुआ के यहाँ तक चले गये। वहाँ के लोग किसके बल पर जीते हैं ?

श्री दद्दू प्रसाद--

क्या कहना चाहते हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

क्यों कहलाना चाहते हैं। वहाँ पर कूपन किसके मिले थे ? इसलिए अध्यक्ष महोदय, इतना ही कहना सही है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वकील इन्हें पसन्द नहीं करता। वकील हमारी नीति को पसन्द करता है, व्यापारी हमारी नीति को पसन्द करता है। हमने आज किसान को लाभ पहुंचाया है, छात्रों की फीस कम की है, 20 हजार रुपये हम लड़कियों को दे रहे हैं, अपने चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। लगभग 6 लाख नौकरियाँ हम अब तक दे चुके हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कानून व्यवस्था खराब है तो इतना विकास कैसे हो गया ? इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं कि यहाँ कानून व्यवस्था खराब है। माननीय प्रमोद तिवारी जी, जो दस सूबे की सूची हैं उसमें सबसे ज्यादा पिछड़े और सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था खराब में उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है। मुम्बई, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की अगर तुलना करें तो पता चल जायेगा कि कानून व्यवस्था कहाँ खराब है। बल्कि मैं तो मांग करता हूँ कि केन्द्र आयोग बैठा दें और यह जाँच करा ले कि कहां कानून व्यवस्था खराब है। जितनी बेहतर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है उतनी शायद वहां की नहीं होगी। इतना बड़ा प्रदेश है कहीं न कहीं मारपीट तो होगी ही। बस्ती में पंचायत में कहा सुनी हो गयी। सगे चाचा और भतीजा दोनों पंचायत करने पहुंच गये माननीय मंत्री जी के भाई गये और उन्हीं से कहा सुनी हुई, जो दोषी थे उनको पकड़ा गया और गिरफ्तार कर लिया गया। तो जो भी दोषी होगा हमारी सरकार में, अगर वह कानून का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। प्रमोद जी यहाँ पर सरकार का राज है, किसी जिले में किसी का राज नहीं है। यह हम जरूर चाहते हैं कि राजनीति करने वालों को आपस में मतभेद नहीं रखना चाहिए। राजनीति करने वाले एक जिले में रहते हैं तो उनके सम्बन्ध ठीक होने चाहिए। चुनाव लड़ने वाले कैसे दुश्मनी कर सकते हैं, कैसे जनता के बीच में मैसेज देंगे, क्या करेंगे ? हमारा प्रयास यह है कि रास्ता निकलना चाहिए। अगर किसी का विरोध है तो उसको खत्म होना चाहिए। क्यों है यह सच्चाई आ जानी चाहिए। हालांकि हमारा विरोध था मैंने विरोध खत्म किया। आज अफसोस होता है कि विरोध खत्म हुआ तो किस हालत में उनकी मौत हुई। आप तो जानते हो, आप मेरी सरकार में थे क्या-क्या हुआ। कोई बात बची थी क्या ? जौहरी काण्ड में जो 24 की हत्या हुई थी उसमें मुल्जिम हम बनाये जा रहे थे, हमारी गिरफ्तारी हो रही थी। मैं और जार्ज फर्नान्डीज और राम विलास पासवान हम तीनों गये थे ज्ञानी जैल सिंह साहब के पास। चौधरी साहब ने मेरे बारे में बहुत अच्छा पत्र भी लिखा था। जौहरी कांड में हमें गिरफ्तार किया जा रहा था, तब मैं मंत्री था। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार में कोई भी हो चाहे सामाजवादी पार्टी का हो या गैर पार्टी का हो अगर वह गैर कानूनी काम करेगा, कानून का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। और आतंकवाद के खिलाफ किसी भी संगठन में हो, हम संगठन के बारे में नहीं कहेंगे, हम किसी

संगठन को नहीं मानते हैं कि वह आतंकवादी है, लेकिन संगठन के व्यक्ति जो हैं, अगर वह हैं, तो आप देखें कि बाराबंकी में एक को आजीवन कारावास हो गया और तीन पर मुकदमा चल रहा है। मैंने यह जरूर कहा कि जो सिम्मी के लोग हैं उन सिम्मी के लोगों का न तो अयोध्या में हाथ था, न बनारस में हाथ था और न ही श्रमजीवी ट्रेन की घटना में हाथ था। अगर इन तीनों घटनाओं में किसी का भी हाथ आ जाये तो हम उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेंगे। लेकिन आज आप मदरसों पर हमला करेंगे तो मैं यह राय देना चाहूँगा कि मदरसों पर हमला करके हम देश को मजबूत नहीं बना सकते हैं। मदरसों में यह अनावश्यक कहेंगे, पहले भी कहा है यह सही है कि हमारी सरकार थी, आई0बी0 ने गलत काम किया था, नदवा पर हमला किया था, फायरिंग की थी, और फायरिंग करके आई0बी0 ने 7-8 लड़के गिरफ्तार किये थे और यह सही है कि हमने सातों लड़के छुड़वाये थे और मैंने यह कह कर छुड़वाये थे गलत नहीं कहूँगा। मुझे लगता है कि किताब का लेखक भी उसी समय का था, मुझे लगता है कि यही था, पता लगाना है, अगर पता लग जाय कि यही था कि नहीं था, हो सकता उस समय यही अफसर हो आई0बी0 का। उस वक्त मैंने कहा था उस समय तो मैं हैदराबाद जा रहा था, अगर इन लड़कों को नहीं छोड़ा जायेगा तो आई0बी0 के लोगों ने गोली चलाई है अनावश्यक इन पर 307 का मुकदमा कायम करके गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा जाय, हां मैंने कहा और इसके लिए आई0बी0 ने कहा था कि इन लड़कों को तो मैं छोड़े दे रहा हूँ लेकिन अब मुलायम सिंह को देख लूँगा। तो उसी आई0 बी0 के लोगों ने ईरान से हम रुपया लेते हैं इसकी जांच कराई थी और सुरेन्दर सिंह उस समय थे केबिनेट सेक्रेटरी और वह जांच में आये तो बोले कि मुलायम सिंह का चाय नाश्ता तो होता है, रुपया लेने की कहीं बात नहीं आई तो चाय कौन नहीं पीता है, खाना कौन नहीं खाता है। हर 15 दिन में 10 दिन में राजदूतों के यहां चाय-नाश्ता और खाना-पीना तो होता है, हमेशा होता है अब भी होता है प्रधान मंत्री भी जाते हैं और मनमोहन सिंह भी जाते हैं, तो खाना-पीना तो होता था, हम ईरान को बुलाते थे तो उनके यहां भी जाते थे, रूस बुलाता है तो रूस में भी गये और अमेरिका के राजदूत के यहां भी गये, हम कई राजदूतों के यहां खाना खाने गये,बुलाते थे, बात-चीत करते थे और खाना खाते थे और पाकिस्तान के राजदूत हमारे यहां घर पर नाश्ता करने आये और उस समय जब हम देहली में पार्लियामेण्ट में थे तब वहां पर डेलीगेशन आया तो हमारे यहां खाना खाये, हमारे घर पर खाना खाये तो यह खाना पीना तो होता ही रहता है। तो अध्यक्ष महोदय मेरा तो दुर्भाग्य है अब ऐसा क्यों होता है, किस मानसिकता के लोग है, हम कहां से आये, हमारे आपके समाज के लोग किस मानसिकता के है इसलिए आज हम कहना चाहते है कि आज बी0जे0पी0 को इन बातों को सुनने की हिम्मत नहीं थी और यह बी0जे0पी0 आज मैं कहना चाहता हूँ कि अगर बी0जे0पी0 नहीं सुधरती है तो अपने आचरण से अपनी हैसियत पर आ जायेगी। आठ थे एक बाइ इलेक्शन चुन कर आये तो 09 हो गये थे और 85 में आये थे 14 अगर उनकी यही गतिविधियां और उनकी यही नीतियां रही तो बी0जे0पी0 उसी हैसियत पर आ जायेगी जो 1980-85 में थी तो उनको तो हम राय दे रहे है बराबर धर्म की बात छोड़ो, मंदिर-मस्जिद की बात बन्द करो, बात करो किसानों की, गरीबों की, पिछड़ों की बात करो, बेरोजगारों की बात करो, मजदूरों की बात करो। देश के विकास का सवाल है, आज अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक होड़ लगी है कि कौन राज्य विकास के मार्ग पर आगे जायेगा और यह समाज को तोड़ने की बात करेंगें यह देश के हित में नहीं है, इसलिए मैं यही कहूँगा सभी माननीय सदस्यों से कि सही

आलोचना करें, अपने सुझाव के रूप में आलोचना कर सकते हैं, आलोचना के रूप में अपनी राय दे सकते हैं और जहां तक आतंकवाद का सवाल है, तो आतंकवाद के बारे में हम सब मिलकर एक होकर के उसका मुकाबला कर सकते हैं। हमारी इस मामले में दिल्ली की सरकार से और हमारी बहुत अच्छी एप्रोच है एक-दूसरे से बातचीत होती है और दोनों मिलकर काम कर रहे है, गृह मंत्री से बात हो जाती है, टेलीफोन से हो जाती है और उनसे संदेश भी आ जाते हैं इसलिए हम आज इस बात से उम्मीद करेंगे कि हम सब लोग मिल कर के इन बी0जे0पी0 वालों को छोड़िये बाकी जितने रह गये हैं इतने लोग मिलकर के बात करें, चुनाव मैदान में चाहे जो करें, ठीक है वह तो अपनी-अपनी लड़ाई रहेगी लेकिन जहां ऐसा सवाल है इस सवाल पर आज मैं चाहता था हमारी राय थी कि बी0जे0पी0 के लोग भी अगर होते तो इस पर एक प्रस्ताव पास हो जाता कि आतंकवादियों के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश की जनता मजबूती से खड़ी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से केवल एक शंका का समाधान करना चाहता हूँ कि चित्रकूट के दस्यु प्रभावित इलाके के उन 20 गाँवों में जहां लगभग 10 साल पहले से लगातार आज तक पी0ए0सी0 तैनात थी, इसी जून से हटा ली गयी तो क्या वहां पर पुनः पी0ए0सी0 तैनात होगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, जहां पर भी पी0ए0सी0 की आवश्यकता होगी वहां पर लगेगी। आपको और भी कहीं पी0ए0सी0 की जरूरत होगी तो लगा देंगे। अभी चार कम्पनियां पी0ए0सी0 की चित्रकूट में लगी हैं। अगर और कहीं जरूरत होगी वहां भी लगा देंगे।

श्री प्रमोद कुमार---

मान्यवर, सदैव यहां की यह परम्परा रही है कि जो इस सदन में उपस्थित नहीं हों उन पर आक्षेपात्मक टिप्पणी नहीं की जा सकती, उनका नाम लिया जा सकता है। विशेषकर जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, पं0 नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इन्दिरा गांधी जी- इन पर जो आक्षेपात्मक टिप्पणियां की गयी हैं मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप टिप्पणियां देख लें और जो आक्षेप लगाये गये हैं उनको कार्यवाही से निकालने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

मैं देख लूँगा।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मात्र कार्यवाही से उन अंशों को निकाल देने से काम नहीं चलेगा। श्री केशरी नाथ त्रिपाठी जी ने जो कहा है उस पर विचार कर लें और जब कभी दुबारा वह इस सदन में आये तो वहां से आप उन्हें चिन्हित करें कि भविष्य में कम से कम उनके विरुद्ध कभी आक्षेपात्मक टिप्पणी नहीं की जा सकती है जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। मान्यवर, उनका आचरण निन्दनीय और शर्मनाक था और मान्यवर, पार्लियामेटरी प्रैक्टिस के बिल्कुल विपरीत आचरण किया है उन्होंने।

श्री रंगनाथ मिश्र--

मान्यवर, कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक घोषणा की थी कि मिर्जापुर के पास जो 7 अगस्त को घटना हुई थी उसकी उच्चस्तरीय जांच कराने की। उसमें एक नौजवान मारा गया था। आप उच्च अधिकारी से जांच करायेंगे तो कुछ नहीं होगा सी0आई0डी0 से जांच करा दें। मान्यवर, पिछले दिनों जब आप विपक्ष में थे आपने फर्जी मुठभेड़ में सी0आई0डी0 जांच करायी थी और उसमें दरोगा फंसे हैं और सजा हुई है। मान्यवर, 7 अगस्त को वहां जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक गोली काण्ड हुआ है उसमें आप सी0आई0डी0 से जांच करा लें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

हम इसमें मान्यवर, उच्च अधिकारी, आई0जी0 से जांच करा रहे हैं। अगर आप संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर विचार कर लेते हैं।

श्री सुखदेव राजभर--

मान्यवर, दिनांक 20-7-2006 को गोरखपुर विश्वविद्यालय की होरापुरी कालोनी में विद्या रानी रहती है जो वहां संभवतः रीडर हैं उनके वहां गया पुत्री श्री राम नौकरानी के रूप में काम करती थी वह मात्र 14 वर्ष की थी। उसको 500 रुपया महीना तनख्वाह उनसे मिलती थी। वह उनके सर्वेन्ट क्वाटर में रहती थी जहां 2 दिन से वह बन्द थी और जब विद्या देवी आती हैं तो उनका दोनों ताला खुलवाता है तो उसमें से उस लड़की की लाश निकलती है। मान्यवर, आज उसकी हत्या को लेकर उसका परिवार और उसकी मां चिल्ला रही है कि हमारी लड़की को मरवा दिया गया है जबकि वहां कहा जा रहा है कि लड़की ने आत्महत्या कर ली है और उसमें पुलिस कुछ नहीं कर रही है। उसकी मां डर रही है कि उसकी बच्ची की हत्या कर दी गयी है परन्तु पुलिस कोई संज्ञान नहीं ले रही है। मैं चाहूंगा कि आप इसमें पुलिस को निर्देश दे दें और कुछ उसकी सहायता हो जाये।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कृपया इसको दिखवा लें।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 23 अगस्त, 2006 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 55 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री प्रमोद कुमार की जनपद प्रतापगढ़ के थाना उदयपुर के अन्तर्गत ग्रामों में आये भीषण शक्तिशाली चक्रवात के कारण हुई तबाही से उत्पन्न हुई स्थिति के सम्बन्ध में है, जिसे वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। दूसरी सूचना श्री रंगनाथ मिश्र की जनपद भदोही स्थित पेयजल की चार परियोजनाओं को धन उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में है, जिसे वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। तीसरी सूचना श्री सुखदेव राजभर की प्रदेश के महाविद्यालयों में वर्ष 1991 से तदर्थ रूप से नियुक्त शिक्षकों को विनियमित किए जाने के सम्बन्ध में है, जिसे वक्तव्य

हेतु स्वीकृत किया जाता है। चौथी सूचना श्री कौशल किशोर की ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में नीति विरुद्ध तथा नियम विरुद्ध स्थानान्तरण किए जाने के सम्बन्ध में है, जिसे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। पांचवी सूचना श्री राकेश सचान की कानपुर नगर के घाटमपुर क्षेत्र में पेयजल योजना के अन्तर्गत स्वीकृत अधूरे पड़े कार्यो को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, जिसे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। छठी सूचना श्री धर्मपाल सिंह की जनपद बरेली के थाना सिरौली के थानाध्यक्ष द्वारा विधायक से बात न करने एवं नियम विरुद्ध कार्य करने के सम्बन्ध में है, जिसे ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। सातवीं सूचना डा0 विनोद तिवारी की जनपद पीलीभीत स्थित पूरनपुर की सहकारी गन्ना विकास समितियों में कार्यरत सीजनल कर्मचारियों की कार्यावधि पूर्व की भाँति किए जाने के सम्बन्ध में है, जिसे ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। आठवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद शाहजहाँपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के ग्रामों में विद्युत आपूर्ति किए जाने हेतु खराब ट्रान्सफार्मर को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में है, जिसे ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। नौवीं सूचना श्री ज्ञानेन्द्र सिंह की जनपद महाराजगंज स्थित बौद्ध परिपथ मार्ग के निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत टेण्डर के बाद भी कार्य प्रारम्भ न कराये जाने के सम्बन्ध में है जिसे ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। दसवीं सूचना श्री बैजनाथ दूबे की जनपद गोण्डा की कटरा बाजार में स्वीकृत विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, जिसे ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। ग्यारहवीं सूचना श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी" की वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र वाराणसी कैण्ट में अपराधियों द्वारा अपहरण एवं लूट की जांच कराये जाने एवं अपराध पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में है, जिसे ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। बारहवीं सूचना श्री विद्यासागर गुप्ता की लखनऊ स्थित राज्य सम्पत्ति विभाग की आवासीय कालोनियों में निम्नस्तरीय लिफ्टें लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, जिसे ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। तेरहवीं सूचना सेठ किशनलाल बघेल की भू-गर्भ जल विभाग में अवशेष कार्य प्रभावित कर्मचारियों को नियमित करने के सम्बन्ध में है जिसे ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुई :--

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री प्रागीलाल अहरिवार, प्रो0 रवीन्द्र पुण्डीर, श्री अमरजीत सिंह 'जनसेवक', डा0 सुशील चौधरी, श्री रामकरन आर्य, श्री शिव प्रताप यादव, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना', श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री राम इकबाल सिंह, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री हरि प्रताप सिंह, श्री मदन गोपाल वर्मा, श्रीमती विद्या चौधरी, श्री लल्लू सिंह, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री प्रभुदयाल बाल्मीकि, श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री उमाशंकर कुशवाहा, श्री अमर सिंह परमार, श्री बीजू पटनायक, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री लालजी वर्मा, श्री कपिलदेव यादव, श्री भगेलू राम, श्री बाबूलाल कुशवाहा, श्री राजेश कुमार, श्री नवाब सिंह नागर, श्री मदन चौहान, श्री मुंशीलाल गौतम, श्री रणवीर राणा, श्री सोमारू राम सरोज, श्री जियाउद्दीन रिजवी, श्री कालीचरण राजभर, श्री शिव तपस्या पासवान, श्री विश्राम सिंह यादव, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय तथा श्री मस्तराम।

जनपद पीलीभीत के पूरनपुर विधान सभा क्षेत्र में पल्स पोलियों दिवस पर प्रशासनिक अधिकारियों के उपस्थित न होने के सम्बन्ध में डा0 विनोद तिवारी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री--[मा0 सदस्य द्वारा नियम 300 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि मा0 सदस्य द्वारा दिनांक 20-3-2006 को नियम 51 के अन्तर्गत दिनांक 20-11-2005 को पूरनपुर, पीलीभीत में पल्स पोलियो दिवस पर उप जिला अधिकारी व अन्य अधिकारियों द्वारा क्रिकेट मैच खेलते रहने एवं पल्स पोलियो कार्यक्रम में भाग न लेने की सूचना दी गयी थी, जिसे मा0 अध्यक्ष द्वारा वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया था तथा दिनांक 23-3-2006 को सरकार द्वारा विधान मण्डल में वक्तव्य दिया गया, जो अन्तरिम था।

2--मा0 सदस्य द्वारा पूर्व में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर जिला अधिकारी पीलीभीत द्वारा प्रकरण में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) पीलीभीत से जांच करायी गयी जिसके अनुसार प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में किसी प्रकार की कोई लापरवाही बरती जाना परिलक्षित नहीं पाया गया तथापि इस प्रकार के दृष्टान्त से जन मानस में प्रशासन की गलत तस्वीर बनने के दृष्टिगत जिला अधिकारी पीलीभीत को निर्देशित किया गया कि वे समस्त सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को सचेत कर दें कि भविष्य में इस प्रकार के प्रकरण की पुनरावृत्ति न होने पाये। तदनुसार जिलाधिकारी, पीलीभीत द्वारा उप जिलाधिकारी, पूरनपुर को सचेत भी कर दिया गया है।

3--मा0 सदस्य द्वारा प्रमुख सचिव विधान सभा को सम्बोधित अपने पत्र दिनांक 20-6-06 में अपर जिलाधिकारी, पीलीभीत द्वारा न ही उनसे मिलने और न ही उनसे जानकारी करने एवं एकतरफा पक्षपात पूर्ण/रिपोर्ट शासन को भेजने का उल्लेख करते हुए प्रकरण की जांच जिलाधिकारी से कराये जाने की मांग की गयी है। तदनुसार जिलाधिकारी, पीलीभीत को जांच हेतु निर्देशित कर दिया गया है।]

जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी स्थित विकास खण्डों के ग्रामों में संक्रमित पेयजल से गम्भीर संक्रामक रोग पैदा हो जाने के कारण हजारो लोगों का स्वास्थ्य खराब होने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम विकास मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

[मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 17-5-06 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में उल्लिखित है कि जनपद-प्रतापगढ़ के विकास खण्ड-आसपुर देवसरा, पट्टी, मगरौरा तथा बाबा बेलखरनाथ के ऐसे सभी ग्राम जो विधान सभा क्षेत्र पट्टी की सीमा में आते हैं, में गुणता प्रभावित

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पेयजल से गम्भीर संक्रामक रोग पैदा हो जाने के कारण अब तक बहुत से लोग घातक बीमारी की समस्या से ग्रस्त हो गये हैं। उक्त क्षेत्र में पेयजल योजना द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

2--इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पट्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त ग्राम मानक के अनुसार इण्डिया मार्क--II हैण्डपम्पों से संतृप्त है।

3--जनपद-प्रतापगढ़ पट्टी विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड आसपुर देवसरा, पट्टी, मगरौरा तथा बाबा बेलखरनाथ के कतिपय ग्रामों में मुख्यत: खारेपन एवं लौह की मात्रा अनुमन्य सीमा से अधिक पायी गयी है, परन्तु इन अशुद्धियों से संक्रामक रोग नहीं फैलता है। यहां यह भी अवगत कराना है की भारत सरकार द्वारा रासायनिक अशुद्धियों से प्रभावित ग्रामों/बस्तियों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्धारित प्राथमिकता में सर्वोच्च प्राथमिकता आर्सेनिक एवं फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों को दी गई है जिसके उपरान्त द्वितीय प्राथमिकता पर खारापन से प्रभावित बस्तियों तथा तृतीय प्राथमिकता पर लौह से प्रभावित बस्तियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना है।

4--पट्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गुणता प्रभावित कार्यक्रम के अन्तर्गत पाँच ग्रामों नामत: हरिपुर, बरदैता, सराय मघई, रत्तीपुर, बारी कलाँ तथा फेनहा की एकल ग्राम पाइप पेयजल योजनाएं निर्माधाधीन है, जिनके अन्तर्गत 12 गुणता प्रभावित बस्तियों को वर्ष 2005-2006 में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है।

5--विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत 10 गुणता प्रभावित ग्रामों नामत: विक्रम पट्टी, गधियावा, पूरे बंशीधर, दाउदपुर, नारायणपुर, अरैला, गौसपुर, प्यारेपुर, रसूलपुर तथा डुकरा ग्रामों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु गुणता प्रभावित कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाएं माह अप्रैल 2000 में स्वीकृति के उपरान्त धनावंटन किया जा चुका है, जिन पर कार्य निर्माणाधीन है। इस प्रकार पट्टी विधान सभा क्षेत्र के गुणता प्रभावित ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जा रही है।

6--उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार के निर्देशानुसार समस्त पेयजल श्रोतों के नमूनों का परीक्षण भी किया जा रहा है। उक्त परीक्षण में जिन ग्रामों/बस्तियों के इण्डिया मार्क--II हैण्डपम्प के जल के नमूनों में रासायनिक अशुद्धियां अनुमन्य सीमा से अधिक पाई जायेगी, उनमें शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद भदोही के ज्ञानपुर तथा औराई में अग्निशमन केन्द्रों पर गाड़ी व कर्मचारी न होने के सम्बन्ध में रंग नाथ मिश्र द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

[मा0 सदस्य द्वारा नियम 51 की सूचना में यह इंगित किया है गर्मी के मौसम में आये दिन आगजनी की घटनाओं से निपटने हेतु प्रदेश शासन जगह-जगह पर अग्निशमन केन्द्र खोल रहा है

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

किन्तु कहीं पर गाड़ी, कहीं पर यन्त्र तो कहीं पर कर्मचारी नहीं है, कही भाड़े के मकान में आफिस खोलकर कार्य चल रहा है। अग्निशमन केन्द्र ज्ञानपुर तथा औराई तहसील पर न गाड़ी है न कर्मचारी। औराई अग्निशमन केन्द्र पर 50.00 लाख की बिल्डिंग बन कर खड़ी है परन्तु वहां पर अग्निशमन का एक कर्मचारी नहीं रहता। नोटिस में उक्त केन्द्रों पर कर्मचारियों की नियुक्ति एवं गाड़ी उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2--इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कुल 150 स्थायी फायर स्टेशन हैं तथा गर्मी के दिनों में अग्निकाण्डों की व्यापकता एवं भयावहता को देखते हुए अग्निशमन विभाग द्वारा सीजनल अग्निशमन केन्द्र भी खोले जाते हैं। ज्ञानपुर फायर स्टेशन हेतु अग्निशमन अधिकारी-01, लीडिंग फायरमैन-05, फायर सर्विस चालक-05, फायरमैन-29, कुक-01, कहार-01 एवं स्वीपर-01 का स्टाफ उपलब्ध है तथा/वाटर टेण्डर टाइप (बी) बड़ा-01, वाटर टेण्डर टाइप (बी) छोटा-01, जीप टोइंग वेहिकल-01, पोर्टेबुल पम्प-02 एवं ट्रॉली-01 उपकरण के रूप में उपलब्ध है।

उल्लेखनीय है कि औराई फायर स्टेशन हेतु उपरोक्त ज्ञानपुर फायर स्टेशन में उपलब्ध स्टाफ से वर्तमान में औराई फायर स्टेशन हेतु कर्मचारियों की व्यवस्था की जाती है। इस फायर स्टेशन हेतु 02 वाटर टेण्डर हेतु चेसिस एवं 01 जीप टोइंग वेहिकल, बड़ा पम्प-01, अन्य उपकरण वायरलेस सेट क्रय कर लिया गया है। चेसिसों पर बाडी निर्माण का कार्य प्रक्रिया में है जिसके पूर्ण होते ही औराई फायर स्टेशन हेतु उक्त उपकरण यथाशीघ्र उपलब्ध करा दिया जायेगा।]

जनपद-चित्रकूट के थाना-मऊ के ग्राम दुबारी में श्री बच्ची लाल प्रधान के साथ मार-पीट करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किये जाने के सम्बन्ध में श्री दद्दू प्रसाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

[जनपद-चित्रकूट के थाना-मऊ के ग्राम-दुबारी में श्री बच्ची लाल प्रधान को मारने-पीटने के सम्बन्ध में पंजोकृत मु0अ0सं0-35/06 धारा-323/504/506/352/427 भा0द0वि0 व 3 (1)10 एससी/एसटी ऐक्ट के अभियुक्तों को गिरफ्तार न किये जाने व अभियुक्तों द्वारा गवाहों एवं प्रधान जी को धमकाए जाने के सम्बन्ध में श्री दद्दू प्रसाद, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मई, 2006 को प्रस्तुत की गई नोटिस पर पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट से जांच कराई गई। प्राप्त जांच आख्या के अनुसार तथ्यात्मक विवरण निम्नवत् है:--

दिनांक 16-03-2006 को वादी श्री बच्ची लाल पुत्र दुखी पासी, नि0-ग्राम दुबारी, थाना-मऊ जनपद-चित्रकूट की सूचना पर अभियुक्तगण क्रमशः 1-अवधेश, 2-कमलेश पुत्रगण चन्द्रपाल सिंह, 3-भोला पुत्र इन्द्रपाल सिंह, नि0 ग्राम-दुबारी, थाना-मऊ जनपद-चित्रकुट के विरुद्ध मु0अ0सं0-35/06 धारा323/504/506/352/427 भा0द0वि0 व 3 (1)10एससी/एसटी ऐक्ट के अन्तर्गत अभियोग थाना-मऊ में पंजीकृत कराया था, जिसमें विवेचना के दौरान नामजद अभियुक्तगण के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने पर आरोप पत्र सं0-41 दिनांक 18-04-2006 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्तगणों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में क्रिमि0 मिस रिट पिटीशन सं0 4613/06 के माध्यम से गिरफ्तारी का स्थगन आदेश प्राप्त किया था, जिसके परिणाम स्वरूप नामजद अभियुक्तगण अवधेश आदि की गिरफ्तारी नहीं की गई। अभियुक्तगण द्वारा वादी व गवाहों को धमकाने आदि से सम्बन्धित कोई मामला प्रकाश में नहीं आया। जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था कायम है तथा जनता में किसी प्रकार का भय एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है। थानाध्यक्ष, मऊ को वादी एवं गवाहों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। इसके अलावा अभियुक्तगण के विरुद्ध थानाध्यक्ष, मऊ द्वारा एकपक्षीय निरोधात्मक कार्यवाही सिलसिला नं0 214/06 धारा 107/116 (3) सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत दिनांक 22-05-06 को पाबन्द कराया जा चुका है।]

प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री सोबरन सिंह यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

[माननीय विधायक ने नियम 51 के अधीन दी गयी सूचना में प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दिये जाने का उल्लेख किया है।

2--इस सन्दर्भ में स्पष्ट किया जाना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1993 (यथासंशोधित) 1997 के अधीन राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित लोक सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को रिक्तियों का 2 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्रदान किया गया है।

3--उक्त अनुमन्य आरक्षण क्षैतिज प्रकृति का है तथा आरक्षित रिक्तियों पर चयनित व्यक्तियों को उन श्रेणियों में रखा जायेगा जिनसे वे सम्बन्धित हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई चयनित व्यक्ति अनुसूचित जाति श्रेणी से सम्बन्धित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके सम्बन्धित कोटे में रखा जायेगा यदि वह अनुसूचित जनजाति श्रेणी से सम्बन्धित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके सम्बन्धित कोटे में रखा जायेगा, यदि वह पिछड़े वर्ग श्रेणी से सम्बन्धित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके सम्बन्धित कोटे में रखा जायेगा। इसी प्रकार यदि वह खुली प्रतियोगिता से सम्बन्धित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके सम्बन्धित कोटे में रखा जायेगा।

इस प्रकार केवल सीधी भर्ती के प्रक्रम पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को 2 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्रदान किया गया है। पदोन्नति के प्रक्रम पर आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं, कल 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन सांयकाल 5 बजकर 2 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक 23 अगस्त, 2006

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0--एल 222 विधान सभा--23-11-06--813 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।